सत्यमेव जयते

KARTIKAY E MATHUR

Digitally signed by KARTIKAYE MATHUR
Date: 2022.12.16 11:28:07 +05'30'

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार

(राजस्व विभाग - सीमा शुल्क)

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

2022 की संख्या 30

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

(राजस्व विभाग - सीमा शुल्क)

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

2022 की संख्या 30

..... को लोकसभा तथा राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया।

विषय सूची

	अध्याय	*पैरा सं.*	*पृष्ठ*
प्राक्कथन			*i*
कार्यकारी सार			*iii*
शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली			*xi*
सीमा शुल्क राजस्व	*I*	1.1 से 1.14	1
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखापरीक्षा की सीमा	*II*	2.1 से 2.7	25
सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अननुपालन	*III*	3.1 से 3.9	31
विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन	*IV*	4.1 से 4.2.2	65
अनुलग्नक			81

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग-सीमा शुल्क तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन महानिदेशक विदेश व्यापार की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

सरकार ने भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में महत्वपूर्ण निवेश किया है जिसके परिणामस्वरूप व्यापक, कागज रहित, पूर्ण रूप से स्वचालित सीमा शुल्क निकासी प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में संव्यवहार की जानकारी की उपलब्धता हुई है। यह लेखापरीक्षा को कुछ स्थानों पर संव्यवहार की नमूना जांच की अपेक्षा सौ *प्रतिशत* डेटा की समीक्षा का एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा और सभी सीमा शुल्क आयुक्तालयों में कर कानून लागू करने की सटीकता पर सरकार और संसद को उच्च स्तर पर आश्वस्त करेगा। पूर्ण डेटा की उपलब्धता संव्यवहारों की नमूना जांच के लिए सीमा शुल्क परिसर में लेखापरीक्षा के भौतिक रूप से निरीक्षण की आवश्यकता को भी कम करेगी। हालांकि विभाग ने अखिल भारतीय संव्यवहारों के लिए पूर्ण डेटा प्रदान नहीं किया था, अत: 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में से 32 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में लेखापरीक्षा की गई थी।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं, जो 2020-21 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए और साथ ही जो पहले के वर्षों में संज्ञान में आए थे, लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए नहीं जा सके थे।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

भारत में आयात किये गए माल और भारत से बाहर निर्यात किए गए कतिपय माल (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83) पर सीमा शुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है। सीमा शुल्क प्राप्तियां सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का भाग होती हैं।

सीमा शुल्क को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उद्ग्रहीत किया जाता है, और शुल्क की दरों को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम तथा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अंतर्गत शासित किया जाता है।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के लागू किये जाने से पहले सीमा शुल्क प्राप्तियों में मूल सीमा शुल्क (बीसीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) और विशिष्ट अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी) शामिल होते थे। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के लागू किये जाने के बाद, पैट्रोलियम उत्पादों और स्पिरिट को छोड़कर सभी वस्तुओं के आयात पर सीवीडी और एसएडी को सम्मिलित तथा एकीकृत कर (आईजीएसटी) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित दो सांविधिक बोर्ड नामत: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) एवं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष संघीय करों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है।

सीमा शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा सीमा-पार निवारक कार्यों को सीबीआईसी द्वारा पूरे देश में स्थित 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों के माध्यम से शासित किया जाता हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन वाणिज्य विभाग द्वारा महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) के माध्यम से विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) को प्रतिपादित, कार्यान्वित और इसकी निगरानी की जाती है जो निर्यातों और व्यापार बढ़ाने के लिए अनुपालन की जाने वाली नीति और कार्यनीति को आधारभूत प्रारूप प्रदान करती है।

वि.व. 21 के दौरान 405 सीमा शुल्क पत्तनों (203 ईडीआई, 44 गैर-ईडीआई, 2 मैनुअल और 156 सेज पत्तन) के माध्यम से ₹21.59 लाख करोड़ मूल्य का निर्यात (1.25 करोड़ संव्यवहार) और 437 सीमा शुल्क पत्तनों (183 ईडीआई, 29 गैर-इडीआई, 2 मैनुअल और 223 सेज़ पत्तनों) के माध्यम से ₹29.15 लाख करोड़ मूल्य का आयात (1 करोड़ संव्यवहार) किया गया।

वि.व. 21 के दौरान जीडीपी अनुपात के प्रति सीमा शुल्क प्राप्तियां 0.68 *प्रतिशत* थी जबकि सकल कर प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 6.65 *प्रतिशत* थीं। अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 12.51 *प्रतिशत* थीं।

सीमा शुल्क राजस्व की अनुपालन लेखापरीक्षा में सीमा शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण, सीमा शुल्क के अन्य कोई उद्ग्रहण, विदेश व्यापार नीति के अतंर्गत लागू की गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये गये आयात और निर्यात के संव्यवहार और समय-समय पर लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किये गये विशिष्ट अनुपालन के क्षेत्र शामिल होते हैं।

कुल 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में से 32 को नमूना जांच के लिए चयनित आयुक्तालयों के नमूने में शामिल किया गया। लेखापरीक्षा कस्टम हाऊस सर्विस सेंटर या वेब आधारित आईसगेट द्वारा भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में इलैक्ट्रोनिक रूप से फाइल किये गये बिल्स् ऑफ एंट्री (बीई) और शिपिंग बिल्स् (एसबी) की जांच पर आधारित थी। गैर-ईडीआई सीमा शुल्क स्थानों पर, बीई और एसबी को प्रत्यक्ष रूप से फाइल और इनका निर्धारण किया जाता है। आईसीईएस स्वचालित चरणों की श्रृंखला द्वारा डेटा को प्रसंस्कृत करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) का प्रयोग करती है और इसके परिणामस्वरूप इलैक्ट्रानिक निर्धारण किया जाता है। यह निर्धारण सुनिश्चित करता है कि क्या बीई पर कार्यवाही की जाएगी अर्थात निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत मूल्यांकन होगा या माल की जांच होगी या दोनों होगें या शुल्क के भुगतान के बाद और बिना किसी निर्धारण और जांच के प्रत्यक्ष रूप से निकासी कर दी जाएगी। हमने आरएमएस और मैनुअल मूल्यांकन प्रणाली दोनों द्वारा प्रसंस्कृत बीई और एसबी की लेखापरीक्षा की।

विदेश व्यापार नीति की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाईसेंस फाईलों की नमूना जांच द्वारा डीजीएफटी के अधीन 17 क्षेत्रीय प्राधिकरणों में विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत प्रदत्त प्रोत्साहनों की लेखापरीक्षा की गई थी।

इस प्रतिवेदन को चार अध्यायों में बाँटा गया है। अध्याय I राजस्व विभाग और वाणिज्य विभाग के कार्यों का संक्षिप्त विवरण तथा सीमा शुल्क प्राप्तियों, भारत के आयातों और निर्यातों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निष्पादन, सीमा शुल्क प्राप्तियों के बकाया और विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना का उच्च स्तरीय विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। अध्याय II सीएजी का लेखापरीक्षा अधिदेश, कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा प्रयासों के परिणामों का वर्णन करता है। अध्याय III और IV में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम शामिल किये गये हैं। इस प्रतिवेदन में ₹86 करोड़ के राजस्व प्रभाव के 105 पैराग्राफ हैं। वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए गए 105 मामलों में से 50 में प्रतिक्रिया दी है। ₹71 करोड़ के धन मूल्य वाले 93 पैराग्राफों में, कारण बताओ नोटिस जारी करने, कारण बताओ नोटिस पर अधिनिर्णयन करने के रूप में विभाग/मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और 59 मामलों में ₹65 करोड़ की वसूली अभी तक की जा चुकी है।

वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग से प्राप्त उत्तरों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया हैं।

अध्याय I: विहंगावलोकन - सीमा शुल्क राजस्व

वि.व. 21 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियां ₹1,34,750 करोड़ थी जबकि वि.व. 20 में शुल्क प्राप्तियां ₹1,09,283 करोड़ थी। वि.व. 21 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि का एक कारण यह हो सकता है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए सीमा शुल्क छूट और स्क्रिप व्यय को तर्कसंगत बनाया गया है और बड़ी संख्या में छूट को हटा दिया गया है।

{पैराग्राफ 1.6.1 और 1.6.2}

वि.व. 21 में आयात में (-)13.24 *प्रतिशत* की कमी दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि के दौरान निर्यात में भी (-)2.74 *प्रतिशत* की कमी दर्ज की गई।

भारत का आयात वि.व. 20 के दौरान ₹33.60 लाख करोड़ से घटकर वि.व. 21 में ₹29.15 लाख करोड़ हो गया, और निर्यात भी वि.व. 20 के दौरान ₹22.19 लाख करोड़ से घटकर वि.व. 21 में ₹21.59 लाख करोड़ हो गया।

{पैराग्राफ 1.7.1 और 1.7.2}

पिछले पांच वर्षों (वि.व. 17 से वि.व. 21) के दौरान भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार चीन, यूएसए, यूएई, हांगकांग, सऊदी अरब, सिंगापुर, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया और कोरिया थे। इनमें से सऊदी अरब को छोड़कर नौ व्यापारिक भागीदारों का वि.व. 21 में आयात का हिस्सा वि.व. 17 की तुलना में बढ़ा है।

वि.व. 21 के दौरान, अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों के साथ भारत का व्यापार असंतुलन कुल व्यापार असंतुलन का 87 *प्रतिशत* {(-)₹7,56,914 करोड़} था।

{पैराग्राफ 1.7.3}

वि.व. 21 में आयातित शीर्ष पांच वस्तु समूह अर्थात् (i) खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद, (ii) प्राकृतिक या कृत्रिम मोती/कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर, सोना और उससे बनी वस्तुएं, (iii) विद्युत मशीनरी और उपकरण और पुर्जे, (iv) मशीनरी और उपकरण और (v) जैविक रसायन थे। वि.व. 21 के दौरान किए गए कुल आयात में इन वस्तुओ की हिस्सेदारी 65 *प्रतिशत* थी।

{पैराग्राफ 1.8.1}

वि.व. 2021 के दौरान निर्यात किए गए शीर्ष पांच वस्तु समूह (i) खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद, (ii) प्राकृतिक या कृत्रिम मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर, कीमती धातु और उससे बनी वस्तुएं (iii) फार्मास्युटिकल उत्पाद (iv) मशीनरी और यांत्रिक उपकरण एवं उसके पुर्जे और (v) जैविक रसायन अपने संबंधित क्रम में थे। वि.व. 21 के दौरान निर्यात में पांच प्रमुख वस्तुओं की हिस्सेदारी कुल निर्यात का 37 *प्रतिशत* थी।

{पैराग्राफ 1.8.2}

सीमा शुल्क अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की कुल 12,329 रिक्तियां (जनवरी 2021 तक) बढ़कर 12,512 (जुलाई 2021 तक) हो गई हैं। इन रिक्त पदों की संख्या कुल स्वीकृत संख्या (26,677) का 46.90 *प्रतिशत* है।

{पैराग्राफ 1.14.1}

अध्याय II: सीएजी का लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखापरीक्षा की सीमा

वि.व. 21 के दौरान लेखापरीक्षा ने 1,424 अभ्युक्तियों वाली 198 निरीक्षण रिपोर्टें संबंधित आयुक्तालयों/क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को जारी कीं, जिसमें कुल ₹441 करोड़ का राजस्व निहितार्थ था। इनमें से, वि.व. 21 के दौरान ₹86 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाली 105 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। शेष मामलों का संबंधित क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अनुसरण किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए गए 105 मामलों में से 50 में प्रतिक्रिया दी है। इसके अतिरिक्त, 43 मामलों में, स्थानीय सीमा शुल्क आयुक्तालयों/ क्षेत्रीय प्राधिकरणों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। मंत्रालयों/विभागों ने 93 पैराग्राफ स्वीकार किए हैं और कारण बताओ नोटिस जारी करने, कारण बताओ नोटिस के अधिनिर्णयन के रूप में ₹71 करोड़ के धन मूल्य को शामिल करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई की है और सीमा शुल्क के गलत निर्धारण के 59 मामलों में ₹65 करोड़ की वसूली की सूचना दी है।

{पैराग्राफ 2.6}

अध्याय III: सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

बार-बार अनुरोध के बावजूद वि.व. 2019, 20 और 21 के आयात और निर्यात संव्यवहारों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए अखिल भारतीय डेटा प्राप्त नहीं हुए। अखिल भारतीय संव्यवहार संबंधी डेटा के अभाव में आईसीईएस के सीआरए मॉड्यूल इंटरफेस के माध्यम से लेखापरीक्षा की गई थी, जिसकी अपनी सीमाएं थीं। सीआरए और आईसीआरए मॉड्यूल की सीमाओं के बारे में सीबीआईसी को भी सूचित किया गया था। तदनुसार, अनुपालन लेखापरीक्षा

पर इस अध्याय के परिणाम सीमित लेखापरीक्षाओं पर आधारित थे जो 32 आयुक्तालयों के प्रत्यक्ष दौरों द्वारा की गई थी।

नमुनों का चयन अखिल भारतीय डेटा के अभाव में पृथक क्षेत्रीय संरचनाओं के स्तर पर किया गया था, जो उप-इष्टतम है। सीमा शुल्क आयुक्तालयों में आयात/निर्यात दस्तावेजों की नमूना जांच के दौरान ₹10 लाख या उससे अधिक के राजस्व प्रभाव वाली महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से संबंधित आयुक्तालयों को लघु अभ्युक्तियाँ जारी की गई थीं।

लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए अननुपालन के मामलों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- आयातों का गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 3.6.1 से 3.6.15)
- अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग (पैराग्राफ 3.7.1 से 3.7.5)।
- अन्य अनियमितताएं (पैराग्राफ 3.8)।

लेखापरीक्षा में आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण, अधिसूचनाओं के गलत अनुप्रयोग और लागू शुल्कों और अन्य प्रभारों के गलत उद्ग्रहण के कारण लागू सीमा शुल्क के कम निर्धारण के 88 मामले देखे गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹75 करोड़ का राजस्व जोखिम में था।

{पैराग्राफ 3.6 से 3.8}

अध्याय IV: विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

विदेश व्यापार नीति की निर्यात संवर्धन योजनाओं में अनियमितताएं

17 क्षेत्रीय प्राधिकरणों और आठ विकास आयुक्तों की नमूना जांच लेखापरीक्षा में निर्धारित नियमों, विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए बनाई गई प्रक्रियाओं और निर्यात दायित्वों को पूरा करने और निर्यात प्रोत्साहन देने के संबंध में प्रक्रियाओं के उल्लंघन के उदाहरणों का पता चला। ₹11 करोड़ का राजस्व उन निर्यातकों/आयातकों से देय था जिन्होंने निर्यात

संवर्धन योजनाओं के तहत शुल्क का लाभ उठाया था लेकिन निर्धारित दायित्वों/शर्तों को पूरा नहीं किया है।

{पैराग्राफ 4.2.1 से 4.2.2}

सामान्य सिफ़ारिशें

यद्यपि मंत्रालय ने कई मामलों में शुल्क वसूलने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की है, फिर भी यह ध्यान दिया जाए कि इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा पैराग्राफ केवल कुछ निदर्शी मामले हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि भूल-चूक की ऐसी त्रुटियां, चाहे आरएमएस आधारित निर्धारण या मैनुअल निर्धारण के, कई और मामलों में मौजूद हो सकती हैं। यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि नमूना जांच में लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए अनेकों बीई का निर्धारण आरएमएस के माध्यम से किया गया था, जिससे पता चला कि प्रणाली आधारित निर्धारण की सुविधा के लिए आरएमएस में प्रतिचित्रित किए गए निर्धारण नियम अपर्याप्त थे। आरएमएस में जोखिम मापदंडों की प्रतिचित्रण और अद्यतन की प्रक्रिया की भी समीक्षा करने की आवश्यकता है।

{पैराग्राफ 3.9}

शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षर	विस्तृत रूप
एए	अग्रिम प्राधिकरण
एसीसी	एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स
एडीडी	एंटी डंपिंग ड्यूटी
एडीजीएफटी	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार
एओ	निर्धारण अधिकारी
बीसीडी	आधारभूत सीमा शुल्क
बीई	बिल ऑफ एंट्री
बीई	बजट अनुमान
बीआरसी	बैंक वसूली प्रमाण-पत्र
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
आयुक्तालय	सीमा शुल्क आयुक्तालय
सीआरए	सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा
सीआरसी	लागत वसूली प्रभार
सीएसईजेड़	कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र
सीटीएच	सीमा शुल्क टैरिफ हैडिंग
सीवीडी	प्रतिकारी शुल्क
डीसी	विकास आयुक्त
डीसी	सीमा शुल्क उपायुक्त
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीजीओवी	मूल्यांकन महानिदेशालय
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीआरआई	राजस्व आसूचना निदेशालय
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ई-बीआरसी	इलेक्ट्रॉनिक बैंक उगाही प्रमाणपत्र
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक डेटा का आदान प्रदान

संकेताक्षर	**विस्तृत रूप**
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओडीसी	निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र
ईओयू	निर्यातोन्मुख इकाई
ईपीसीजी	निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान
ईएक्सआईएम	निर्यात और आयात
एफईएमए	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफओबी	फ्री आन बोर्ड
एफ़टीपी	विदेश व्यापार नीति
एफटीडीआर अधिनियम	विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम
वि.व.	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीटीआर	सकल कर राजस्व
एचबीपी	प्रक्रिया हैंडबुक
आईसीडी	इन्लैन्ड कंटेनर डिपो
आईसगेट	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य गेटवे
आईसीईएस	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा विनिमय प्रणाली
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईजीएसटी	एकीकृत माल और सेवा कर
जेडीजीएफटी	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार
केएएसईजेड़	कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र
एलईओ	निर्यात आदेश
एलओपी	अनुमति पत्र
एमईआईएस	मर्चेन्डाइज एक्पोर्टस फ्रॉम इंडिया स्कीम
एमओसीआई	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमपीआर	मासिक निष्पादन रिपोर्ट

संकेताक्षर	**विस्तृत रूप**
एमटीआर	मासिक तकनीकी रिपोर्ट
एनएफई	निवल विदेशी विनिमय
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनएसईजेड	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
ओआईओ	मूल आदेश
ओएम	कार्यालय ज्ञापन
पीएच	व्यक्तिगत सुनवाई
पीएनसी	पूर्व सूचना परामर्श
प्र. सीसीए	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
₹	रुपया
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकरण
आरसी	वसूली प्रकोष्ठ
आरई	संशोधित अनुमान
आरएमएस	जोखिम प्रबंधन प्रणाली
एसएडी	सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क
एसबी	शिपिंग बिल
एसईईपीजेड़	सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात संसाधन क्षेत्र
एसईआईएस	सर्विस एक्पोर्टस फ्रॉम इंडिया स्कीम
सेज़	विशेष आर्थिक क्षेत्र
वीएसईजेड	विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र
वाईओवाई	वर्ष दर वर्ष

अध्याय ।

सीमा शुल्क राजस्व

1.1. सीमा शुल्क की प्रकृति

1.1.1 भारत में माल के आयात पर और भारत से बाहर कतिपय माल (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83) के निर्यात पर सीमा शुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है। सीमा शुल्क प्राप्तियां सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का भाग होती हैं।

1.1.2 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क, उद्ग्रहीत किया जाता हैं और शुल्क की दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अंतर्गत शासित की जाती हैं।

1.2 सीमा शुल्क राजस्व आधार

1.2.1 महानिदेशालय विदेश व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) जारी किये गये आयातक और निर्यातक सीमा शुल्क राजस्व आधार में शामिल होते हैं। मार्च 2021 तक 16,67,347 सक्रिय आईईसी[1] थे। वि.व. 21 के दौरान, 405 सीमा शुल्क पत्तनों (203 ईडीआई, 44 गैर-ईडीआई, 2 मैनुअल और 156 सेज पत्तन) के माध्यम से ₹21.59 लाख करोड़ (1.25 करोड़ संव्यवहार) मूल्य के निर्यात और 437 सीमा शुल्क पत्तनों (183 ईडीआई, 29 गैर-ईडीआई, 2 मैनुअल और 223 सेज पत्तन) के माध्यम से ₹29.15 लाख करोड़ के आयात (1 करोड़ संव्यवहार) किए गए।

1.3 प्रशासनिक विभागों का संगठन और कार्य

1.3.1 वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के अधीन राजस्व विभाग (डीओआर), केंद्रीय राजस्व अधिनियम बोर्ड, 1963 के अंतर्गत गठित दो सांविधिक बोर्ड नामत: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय करों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी भारत सरकार का सर्वोच्च विभाग है।

[1]आईईसी, डीजीएफटी, दिल्ली द्वारा प्रत्येक आयातक/निर्यातक को जारी किया जाता है।

चार्ट 1: सीमा शुल्क क्षेत्र संरचना का संगठन चार्ट -सीबीआईसी

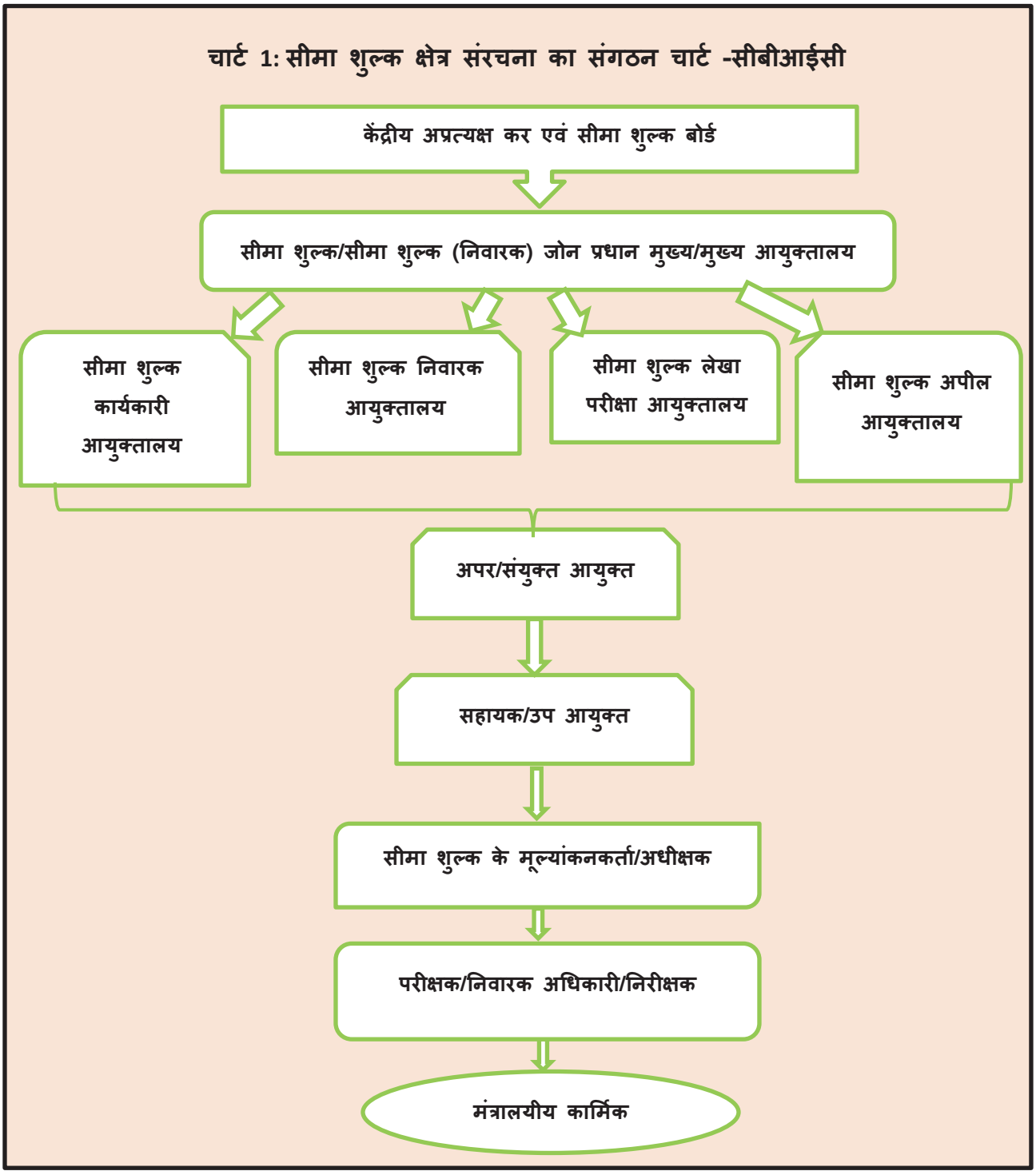

1.3.2 पूरे देश में मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता वाले 11 जोनों के माध्यम से सीबीआईसी द्वारा आयात पर सीमा शुल्क, आईजीएसटी का उद्ग्रहण और संग्रहण तथा सीमा-पार के निवारक कार्य किये जाते हैं।

सीमा शुल्क और सीमा शुल्क (निवारक) के 11 जोन और नौ संयुक्त वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जोन हैं, जिनमें सीमा शुल्क आयुक्तालय देश भर में

फैले हुए हैं। इन जोनों की अध्यक्षता प्रधान मुख्य आयुक्तों/मुख्य आयुक्तों द्वारा की जाती है। विशेष रूप से सीमा शुल्क, सीमा शुल्क (निवारक), सीमा शुल्क (अपील) और सीमा शुल्क (लेखापरीक्षा) के 70 आयुक्तालय हैं।

1.3.3 महानिदेशालय विदेश व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) के अधीन वाणिज्य विभाग (डीओसी) उस विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) को प्रतिपादित, कार्यान्वित और निगरानी करता है जो निर्यात और व्यापार बढ़ाने के लिए अनुपालन की जाने वाली नीति और कार्यनीति को आधारभूत प्रारूप प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, डीओसी को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंध, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), राज्य व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन और व्यापार सरलीकरण और कतिपय निर्यात उन्मुख उद्योग और वस्तुओं के विकास और विनियमन के संबंध में उत्तरदायित्व भी सौंपे गये है।

1.3.4 एफटीपी को क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरए) के माध्यम से लागू किया जाता है जो निर्यात प्रोत्साहन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आईईसी प्रदान करने और लाइसेंस देने के लिए उत्तरदायी है। वि.व. 21 के दौरान, पूरे भारत में 24 आरए थे। हालांकि, ऐसे लाइसेंस का कार्यान्वयन/ क्रियान्वयन सीमा-शुल्क आयुक्तालयों के माध्यम से किया जाता है।

1.4 सीमा शुल्क प्राप्तियां

1.4.1 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किये जाने से पहले, सीमा शुल्क प्राप्तियों में मूल सीमा शुल्क (बीसीडी), अतिरिक्त शुल्क[2] और विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) शामिल थे। सभी आयात फरवरी 2018[3] से शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के स्थान पर समाज कल्याण अधिप्रभार (एसडब्ल्यूएस) के अधीन भी होते हैं। इसके, अतिरिक्त एंटी-डंपिंग शुल्क (एडीडी) और सेफगार्ड शुल्क (एसडी), जहां कहीं भी लागू है, वहां उद्ग्राह्य है।

---

[2]सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3(1) के तहत उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, स्थानीय कर और अन्य प्रभारों के बराबर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क उद्गृहीत किया जाता है जिसे प्रतिकारी शुल्क के रूप में जाना जाता है।

[3]एसडब्ल्यूएस, माल के आयात पर वित्त विधेयक (अधिनियम), 2018 के खंड 108 के तहत उदग्रहीत किया गया एक अतिरिक्त शुल्क है।

1.4.2 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के उपरांत, पांच पैट्रोलियम उत्पादों और मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहल को छोड़कर सभी वस्तुओं के आयात पर सीवीडी और एसएडी को सम्मिलित कर दिया गया है और इसके स्थान पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) लागू कर दिया गया है। तम्बाकू उत्पाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आईजीएसटी दोनों के अधीन है। आईजीएसटी लागू बीसीडी के अतिरिक्त है जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार उद्ग्रहीत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) उपकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कतिपय ऐश्वर्यपूर्ण तथा निषेध माल पर भी उद्ग्राह्य होता है। एंटी-डंपिंग शुल्क और सेफ गार्ड शुल्क का उद्ग्रहण भी अपरिवर्तित रहा।

1.5 बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियां

1.5.1 संघ सरकार का राजस्व बजट सरकार के कर और गैर कर राजस्व का बजट अनुमान प्रदान करता है। बजट अनुमान के साथ वास्तविक प्राप्तियों की तुलना राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता की संकेतक है। वास्तविक प्राप्तियां या तो अप्रत्याशित घटनाओं या अवास्तविक अनुमानों के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकती हैं।

1.5.2 वि.व. 17 से वि.व. 21 के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां नीचे **तालिका 1.1** में दी गई हैं।

तालिका 1.1: बजट और संशोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां

वर्ष	बजट अनुमान ₹ करोड़ में	संशोधित अनुमान ₹ करोड़ में	वास्तविक प्राप्तियां ₹ करोड़ में	वास्तविक और बीई में अंतर ₹ करोड़ में	वास्तविक और बीई के बीच *प्रतिशत* भिन्नता	वास्तविक और आरई के बीच अंतर ₹ करोड़ में	वास्तविक और आरई के बीच *प्रतिशत* भिन्नता
वि.व. 17	2,30,000	2,17,000	2,25,370	(-)4,630	(-)2.01	(+)8,370	(+)3.86
वि.व. 18	2,45,000	1,35,242	1,29,030	(-)1,15,970	(-)47.33	(-)6,212	(-)4.59
वि.व. 19	1,12,500	1,30,038	1,17,813	(+) 5,313	(+)4.72	(-)12,225	(-)9.40
वि.व. 20	1,55,904	1,25,000	1,09,283	(-)46,621	(-)29.90	(-)15,717	(-)12.57
वि.व. 21	1,38,000	1,12,000	1,34,750	(-)3,250	(-)2.36	(+)22,750	(+)20.31

स्रोत: संबंधित वर्ष हेतु संघीय बजट और वित्त लेखे।

1.5.3 वि.व. 17 से वि.व. 21 के दौरान आरई और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता (-)12.57 *प्रतिशत* से 20.31 *प्रतिशत* के बीच थी। उक्त अवधि के दौरान ही बीई और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता (-)47.33 *प्रतिशत* से 4.72 *प्रतिशत* थी।

1.5.4 वि.व. 20 के दौरान, अपने बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां (-)29.90 *प्रतिशत* (₹46,621 करोड़) कम थीं, जबकि वि.व. 21 के दौरान, वे (-)2.36 प्रतिशत (₹3,250 करोड़) कम थीं। वि.व. 21 के दौरान वास्तविक प्राप्तियां संशोधित अनुमान से अधिक हो गई हैं क्योंकि कोविड महामारी के प्रभाव और वि.व. 21 की पहली छमाही के दौरान प्रचलित वृहद आर्थिक नीति स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरई चरण में सीमा शुल्क लक्ष्य को संशोधित किया गया था। हालांकि, वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान आर्थिक गतिविधियों की बहाली राजस्व के अतिरिक्त संग्रहण में सहायक रही।

बजट अनुमान/संशोधित अनुमान में भिन्नता के लिए राजस्व विभाग ने कहा (मार्च 2021) कि सीमा शुल्क अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न आर्थिक कारकों जैसे जीडीपी वृद्धि, आयात मात्रा, भारतीय रुपये (आईएनआर) के मुकाबले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की विनिमय दर, वैश्विक आर्थिक स्थितियों आदि के साथ-साथ कर नीति, कर दरों और कर आधार पर निर्भर करता है। बजट अनुमान 2020-21 के लिए सीमा शुल्क का लक्ष्य फरवरी 2020 में बजट पेश करते समय मौजूदा वृहद आर्थिक स्थितियों और पिछले राजस्व रुझानों के आधार पर विभिन्न धारणाओं के तहत निर्धारित किया गया था। हालांकि, वि.व. 21 की पहली छमाही (एच 1) अभूतपूर्व कोविड महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी, जिसके कारण तब सीमित आर्थिक गतिविधियां हुईं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी धीमा हो गया था।

राजस्व विभाग ने वि.व. 21 के दौरान संशोधित अनुमान की तुलना में सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि के लिए इस तथ्य को भी जिम्मेदार ठहराया कि सीमा शुल्क छूट और स्क्रिप व्यय को तर्कसंगत बनाया गया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए बड़ी मात्रा में छूट हटा दी गई है। इसके अलावा, सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के

अंतर्गत मूल नियमों का प्रशासन) (कैरोटार)[4] नियम, 2020 लागू करने, जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) का व्यापक अनुप्रयोग, सीमा शुल्क में लेखापरीक्षा का संस्थागत तंत्र आदि जैसे नीतिगत परिवर्तन अतिरिक्त राजस्व जुटाने में सहायक रहे हैं।

1.6 सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि

1.6.1 वि.व. 17 से वि.व. 21 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), सकल कर राजस्व (जीटीआर) प्राप्तियां और सकल अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के संदर्भ में सीमा शुल्क प्राप्तियों की परस्पर वृद्धि को नीचे **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	वर्ष दर वर्ष वृद्धि *प्रतिशत*	जीडीपी ₹ करोड़ में	जीडीपी के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्ति	सकल कर राजस्व (जीटीआर) ₹ करोड़ में	सकल कर % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां	सकल अप्रत्यक्ष कर ₹ करोड़ में	अप्रत्यक्ष कर के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां
वि.व. 17	2,25,370	7	1,51,83,709	1.48	17,15,968	13.13	8,62,151	26.14
वि.व. 18	1,29,030	(-)43	1,67,73,145	0.76	19,19,183	6.72	9,16,445	14.07
वि.व. 19	1,17,813	(-)09	1,90,10,164	0.62	19,68,456	5.99	8,43,177	13.97
वि.व. 20	1,09,283	(-)07	2,03,39,849	0.54	20,10,059	5.44	8,59,122	12.72
वि.व. 21	1,34,750	23	1,97,45,670	0.68	20,27,102	6.65	10,76,891	12.51

स्रोत: संबंधित वर्ष हेतु वित्त लेखे

1.6.2 सीमा शुल्क प्राप्तियों में वि.व. 18 से वि.व. 20 तक धीरे-धीरे गिरावट आई है। ऐसा आंशिक रूप से है क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद (जुलाई 2017) पेट्रोलियम उत्पादों और अल्कोहल को छोड़कर आयात पर सीवीडी और एसएडी को समाहित कर दिया गया है और आईजीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित

[4] कैरोटार, नियम 2020- यह भारत में वस्तुओं के आयात पर लागू होता है जहां आयातक व्यापार करार के संदर्भ में शुल्क की अधिमान्य दर का दावा करता है। आयातक को बिल ऑफ एंट्री में एक घोषणा करना आवश्यक है कि आयातित उत्पाद उत्पत्ति प्रमाण पत्र (सीओओ) का प्रस्तुत करने के अलावा, उस करार के तहत शुल्क की अधिमान्य दर के लिए मूल वस्तुओं के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं। यह मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) के दुरुपयोग से घरेलू उद्योग की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को लागू करता है।

किया गया है। आईजीएसटी एक अलग लेखांकन शीर्ष (मुख्य शीर्ष 0008) के अंतर्गत एकत्र किया जा रहा है।

हालांकि, वर्ष दर वर्ष (वाईओवाई) आधार पर सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि दर में वि.व. 21 के दौरान 23 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है। राजस्व विभाग के अनुसार, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए सीमा शुल्क छूट और स्क्रिप व्यय को तर्कसंगत बनाया गया है और बड़ी संख्या में छूट को हटा दिया गया है।

1.6.3 वि.व. 21 के दौरान जीडीपी में सीमा शुल्क प्राप्तियों का *प्रतिशत* वि.व. 20 के 0.54 *प्रतिशत* की तुलना में मामूली रूप से बढ़कर 0.68 *प्रतिशत* हो गया। सकल कर राजस्व के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां वि.व. 20 में 5.44 *प्रतिशत* की तुलना में वि.व. 21 में बढ़कर 6.65 *प्रतिशत* हो गई थी। वि.व. 18 से वि.व. 20 के दौरान जीडीपी/जीटीआर की तुलना में सीमा शुल्क प्राप्तियों के *प्रतिशत* में कमी मुख्य रूप से इसलिए थी कि जीएसटी लागू होने के बाद, आईजीएसटी एक अलग लेखांकन शीर्ष (मुख्य शीर्ष 0008) के तहत एकत्र किया जा रहा है।

चार्ट 2: जीडीपी के प्रति जीटीआर और सीमा शुल्क प्राप्तियों में प्रवृति

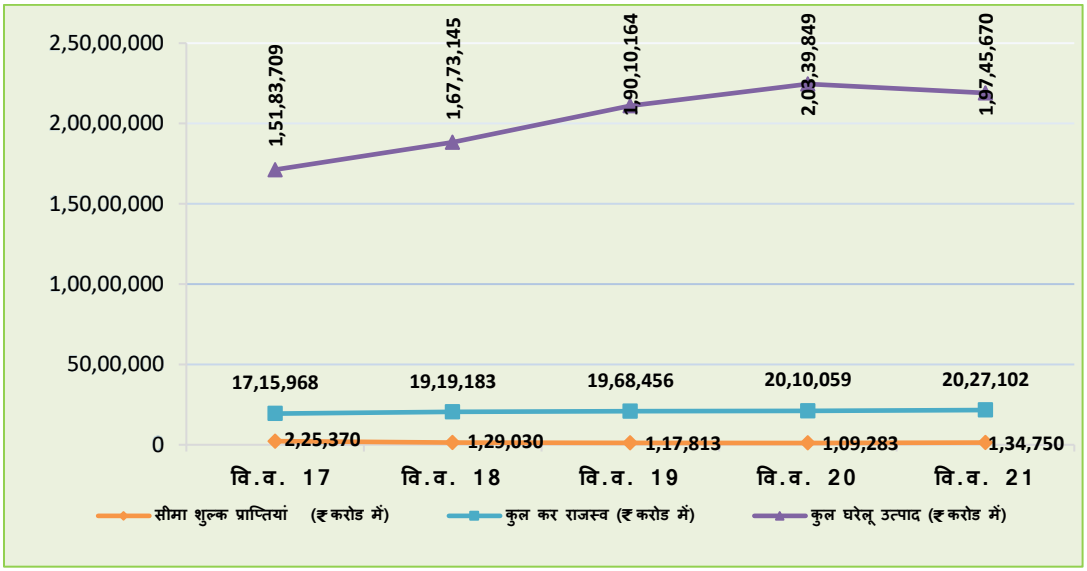

स्रोत: संबंधित वर्षों हेतु वित्त लेखे

1.6.4 वि.व. 21 के दौरान, जीडीपी अनुपात के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियों का अनुपात एक *प्रतिशत* (0.68 *प्रतिशत*) से कम था जबकि जीटीआर की

प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 6.65 *प्रतिशत* थीं। अप्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 12.51 *प्रतिशत* थीं।

1.7 भारत का आयात और निर्यात

1.7.1 वि.व. 17 से वि.व. 21 के दौरान भारत के आयात और निर्यात की वृद्धि की प्रवृति को **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: भारत का आयात और निर्यात

वर्ष	आयात ₹ करोड़ में	विगत वर्ष में वृद्धि % में	निर्यात ₹ करोड़ में	विगत वर्ष में वृद्धि % में	व्यापार असंतुलन ₹ करोड़ में
वि.व. 17	25,77,422	3.49	18,52,340	7.92	(-)7,25,082
वि.व. 18	30,01,033	16.44	19,56,515	5.62	(-)10,44,518
वि.व. 19	35,94,675	19.78	23,07,726	17.95	(-)12,86,949
वि.व. 20	33,60,954	(-)6.50	22,19,854	(-)3.81	(-)11,41,100
वि.व. 21	29,15,958	(-)13.24	21,59,043	(-)2.74	(-)7,56,915

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

1.7.2 भारत के आयात का मूल्य वि.व. 20 में ₹33.60 लाख करोड़ से घटकर वि.व. 21 के दौरान ₹29.15 लाख करोड़ तक हो गया और निर्यात भी वि.व. 20 में ₹22.19 लाख करोड़ से घटकर वि.व. 21 में ₹21.59 लाख करोड़ हो गया।

वि.व. 17 से वि.व. 19 के दौरान आयातों की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर 3.49 *प्रतिशत* से बढ़कर 19.78 *प्रतिशत* हो गई। निर्यात में वृद्धि दर भी वि.व. 18 के 5.62 *प्रतिशत* से बढ़कर वि.व. 19 में 17.95 *प्रतिशत* हो गई। वि.व. 20 की तुलना में वि.व. 21 में आयात में (-)13.24 *प्रतिशत* की गिरावट आई, जबकि इसी अवधि के दौरान निर्यात में भी (-)2.74 *प्रतिशत* की गिरावट आई।

1.7.3 शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापार

पिछले पांच वर्षों (वि.व. 17 से वि.व. 21) के दौरान भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार चीन, यूएसए, यूएई, हांगकांग, सऊदी अरब, सिंगापुर, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया और कोरिया थे। इनमें से वि.व. 21 में सऊदी अरब को छोड़कर नौ व्यापारिक भागीदारों के आयात का हिस्सा वि.व. 17 की तुलना

में बढ़ा है। **चार्ट 3** पिछले पांच वर्षों के दौरान शीर्ष व्यापारिक भागीदारों के आयात हिस्से को दर्शाता है।

चार्ट 3: शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों से आयात

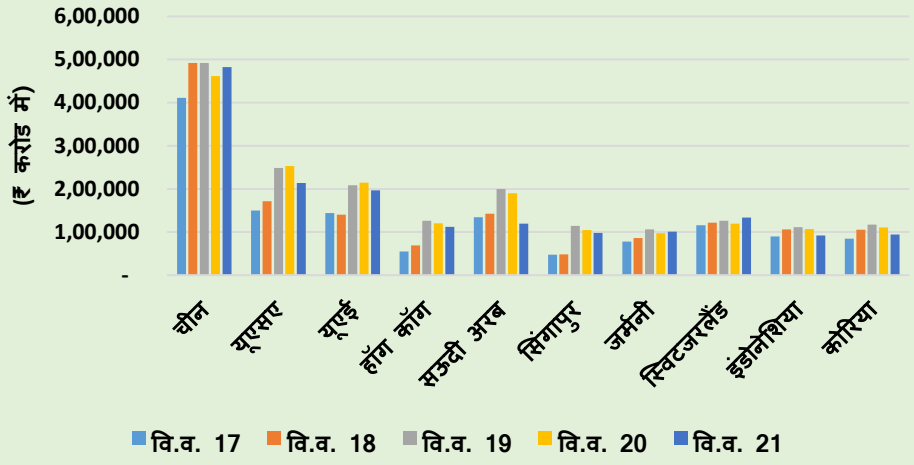

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वि.व. 20 की तुलना में वि.व. 21 की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के संदर्भ में, 10 देशों में से तीन देशों (चीन, स्विट्जरलैंड और जर्मनी) से आयात में वृद्धि हुई है और शेष सात देशों से आयात में गिरावट आkई है। चीन, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी से आयात किए जाने वाले वस्तु समूहों में प्रमुख आयात में जीवित जानवर, अयस्क, मछली और क्रस्टेशियंस, मोलस्क और अन्य जलीय अकशेरूकीय, विविध खाद्य तैयारी, फार्मास्युटिकल उत्पाद, विविध रासायनिक उत्पाद, उर्वरक, तिलहन और ओलिया फल, विविध अनाज और फल, कॉफी, चाय, मेट और मसाले, पशु या वनस्पति वसा और तेल और उनके उत्पाद, रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव, लोकोमोटिव रोलिंग-स्टॉक और उसके हिस्से, विमान, अंतरिक्ष यान, और पुर्जे, स्लैग और राख, आदि की हिस्सेदारी थी।

वि.व. 17 की तुलना में वि.व. 21 में एक देश (चीन) से निर्यात दुगुना हो गया है, छः भागीदारों (सऊदी अरब, जर्मनी, कोरिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड और इंडोनेशिया) के साथ मध्यम से महत्वपूर्ण निर्यात वृद्धि हुई है। दो भागीदारों (हांगकांग और यूएई) के साथ निर्यात में गिरावट आई है । शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों को निर्यात **चार्ट 4** में दर्शाया गया है।

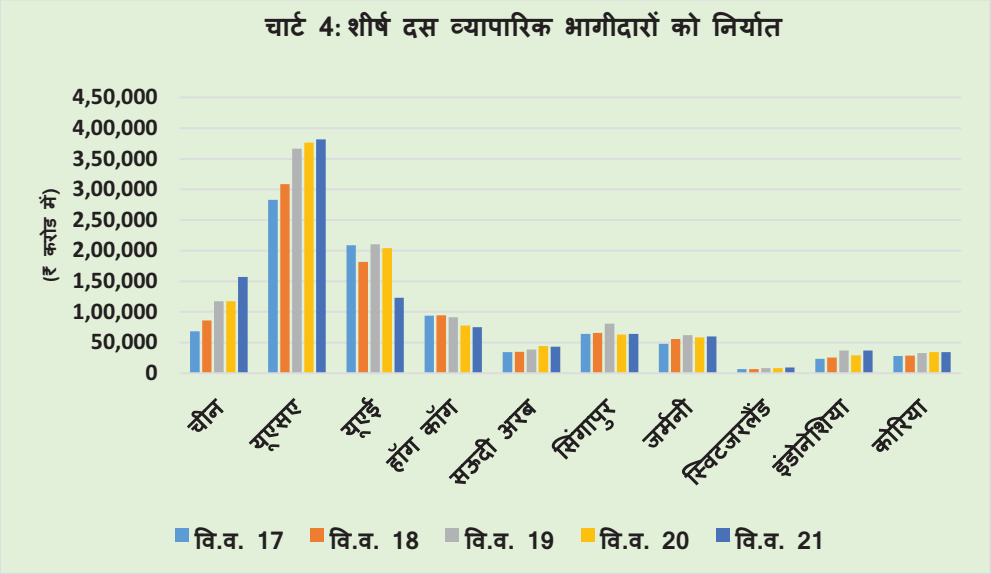

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वि.व. 21 के दौरान भारत का अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापार असंतुलन कुल व्यापार असंतुलन का 87 *प्रतिशत* {(-)₹7,56,914 करोड़} था । वि.व. 21 के दौरान शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों से आयात और निर्यात का विवरण नीचे **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: वि.व. 21 के लिए भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदार

	वि. व. 21	मूल्य: ₹ करोड़ में			
पद	देश	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार संतुलन
1	चीन	1,57,202	4,82,496	6,39,697	-3,25,294
2	यूएसए	3,81,845	2,13,725	5,95,569	1,68,120
3	यूएई	1,23,334	1,96,351	3,19,684	-73,017
4	हांगकांग	75,201	1,12,218	1,87,420	-37,017
5	सऊदी अरब	43,359	1,19,759	1,63,118	-76,400
6	सिंगापुर	64,382	98,220	1,62,602	-33,837
7	जर्मनी	60,113	1,01,105	1,61,218	-40,992
8	स्विट्ज़रलैंड	9,341	1,33,868	1,43,208	-1,24,527
9	इंडोनेशिया	37157	92,325	1,29,482	-55,169
10	कोरिया	34,694	94,476	1,29,170	-597,82
	शीर्ष देशों का योग	9,86,627	16,44,541	26,31,168	-6,57,915
	भारत का योग	**21,59,043**	**29,15,958**	**50,74,987**	**-7,56,914**
	शीर्ष देशों का % हिस्सा	**45.70**	**56.40**	**51.85**	**86.92**

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों में से, भारत का व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण अधिशेष (वि.व. 21 में ₹1,68,120 करोड़) में रहा, जबकि अपने अन्य सभी प्रमुख भागीदारों के साथ उसे व्यापार घाटा हुआ, जिसमें सबसे बड़ा घाटा {वि.व. 21 में (-)₹3,25,294 करोड़} चीन के साथ हुआ।

वि.व. 20 और 21 के दौरान शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों से आयात इस अवधि के दौरान किए गए कुल आयात का लगभग आधा था **(तालिका 1.5)**। दस प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से सात के आयात में वि.व. 20 के दौरान किए गए आयात की तुलना में वि.व. 21 के दौरान किए गए आयात में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई गई थी। बड़ी गिरावट (-)37.05 *प्रतिशत* की वि.व. 21 के दौरान सऊदी अरब से आयात में थी। इसी अवधि के दौरान दस प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से तीन से आयात में वृद्धि हुई थी।

तालिका 1.5: शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों से आयात में वि.व. 20 की तुलना में वि.व. 21 में वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर

क्र. स.	नाम	वि.व. 20 (₹ करोड़ में)	वि.व. 20 में कुल आयात का % हिस्सा	वि.व. 21 (₹ करोड़ में)	वि.व. 21 में कुल आयात का % हिस्सा	वि.व. 20 की तुलना में वि.व. 21 में वृद्धि %
1	चीन	4,61,525	13.73	4,82,496	16.55	4.54
2	यूएसए	2,53,363	7.54	2,13,725	7.33	-15.65
3	यूएई	2,14,447	6.38	1,96,351	6.73	-8.44
4	हांगकांग	1,19,999	3.57	1,12,218	3.85	-6.48
5	सऊदी अरब	1,90,245	5.66	1,19,759	4.11	-37.05
6	सिंगापुर	1,04,394	3.11	98,220	3.37	-5.91
7	जर्मनी	96,928	2.88	1,01,105	3.47	4.31
8	स्विट्ज़रलैंड	1,19,239	3.55	1,33,868	4.59	12.27
9	इंडोनेशिया	1,06,727	3.18	92,325	3.17	-13.49
10	कोरिया	1,10,883	3.30	94,476	3.24	-14.80
	उप योग	17,77,752		16,44,541		
	प्रतिशत		**52.89**		**56.40**	
	भारत का कुल आयात	**33,60,954**	**100.00**	**29,15,958**	**100.00**	**-13.24**

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

1.8 वि.व. 21 के दौरान आयात और निर्यात में शीर्ष पांच वस्तु समूहों की हिस्सेदारी

1.8.1 वि.व. 21 में आयात की वृद्धि का नेतृत्व पांच प्रमुख वस्तु समूहों ने किया, अर्थात्,

(i) खनिज ईंधन और उनके आसवन के उत्पाद (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 27)

(ii) प्राकृतिक या संवर्धित मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर, सोना और उसकी वस्तुएँ (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 71)

(iii) विद्युत मशीनरी और उपकरण और पुर्जे (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 85)

(iv) मशीनरी और उपकरण और पुर्जे (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 84) और

(v) कार्बनिक रसायन (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 29)

वि.व. 21 के दौरान किए गए कुल आयात में इन वस्तु समूहों का हिस्सा 65 *प्रतिशत* था, जैसा कि नीचे **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6 : वि.व. 21 के दौरान आयात में शीर्ष पांच वस्तु समूहों की हिस्सेदारी

क्र.सं.	वस्तु का नाम	आयात मूल्य (₹ करोड़ में)	कुल आयात का *प्रतिशत*
1	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद; बिटुमिनस पदार्थ; खनिज मोम। (अध्याय 27)	7,37,396	25
2	प्राकृतिक या संवर्धित मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर, कीमती धातुएँ, कीमती धातु से ढकी हुई और उसकी वस्तुएँ; नकली गहने; सिक्का। (अध्याय-71)	4,06,038	14
3	विद्युत मशीनरी और उपकरण और उसके पुर्जे; साउंड रिकॉर्डर और रिप्रोड्यूसर, टेलीविज़न इमेज और साउंड रिकॉर्डर और रिप्रोड्यूसर, और पार्ट्स। (अध्याय-85)	3,45,118	12
4	मशीनरी और यांत्रिक उपकरण; उसके हिस्से। (अध्याय-84)	2,74,025	9
5	कार्बनिक रसायन (अध्याय -29)	1,45,830	5
6	अन्य (अध्याय-27, 71, 85, 84, 29 को छोड़कर)	10,07,550	35
	कुल	**29,15,958**	100

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वि.व. 21 के दौरान आयात में शीर्ष पांच वस्तु समूहों की हिस्सेदारी को नीचे **चार्ट 5** में सचित्र रूप से दर्शाया गया है।

चार्ट 5: वि.व. 21 के दौरान आयात में शीर्ष पांच वस्तु समूहों की हिस्सेदारी

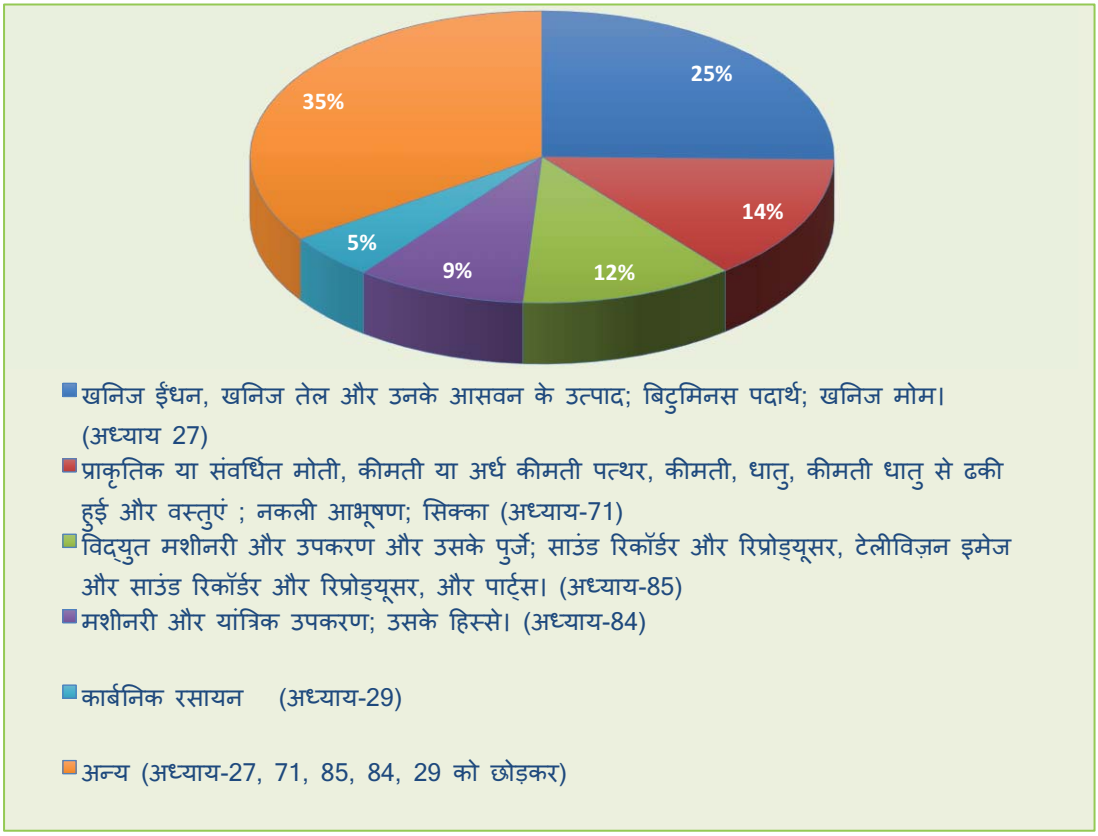

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

1.8.2 वि.व. 21 के दौरान निर्यात किए गए शीर्ष पांच वस्तु समूह थे:

(i) खनिज ईंधन और उनके आसवन के उत्पाद (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 27)

(ii) प्राकृतिक या संवर्धित मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर, सोना और उससे बनी हुए वस्तुएं (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 71)

(iii) फार्मास्युटिकल उत्पाद (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 30)

(iv) मशीनरी और उपकरण और उसके पुर्जे (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 84) तथा

(v) कार्बनिक रसायन (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 29) उनके संबंधित क्रम में।

वि.व. 21 के दौरान निर्यात में पांच प्रमुख वस्तु समूहों की हिस्सेदारी कुल निर्यात का 37 *प्रतिशत* थी जैसा कि नीचे **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: वि.व. 21 के दौरान निर्यात में शीर्ष पांच वस्तु समूहों की हिस्सेदारी

क्र. सं.	वस्तु का नाम	निर्यात मूल्य (₹ करोड़ में)	कुल निर्यात का *प्रतिशत*
1	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद; बिटुमिनस पदार्थ; खनिज मोम। (अध्याय-27)	1,99,073	9
2	प्राकृतिक या संवर्धित मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर, कीमती धातुएँ, कीमती धातु से ढकी हुई और उसकी वस्तुएँ; नकली आभुषण; सिक्का। (अध्याय-71)	1,92,969	9
3	फार्मास्युटिकल उत्पाद (अध्याय-30)	1,43,738	7
4	मशीनरी और यांत्रिक उपकरण; उसके हिस्से। (अध्याय-84)	1,40,162	6
5	कार्बनिक रसायन (अध्याय -29)	1,33,140	6
6	अन्य (अध्याय-27, 71, 30, 84, 29 को छोड़कर)	13,49,959	63
	कुल	**21,59,043**	**100**

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वि.व. 21 के दौरान निर्यात में शीर्ष पांच वस्तु समूहों की हिस्सेदारी को नीचे **चार्ट 6** में सचित्र रूप से दर्शाया गया है।

चार्ट 6: वि.व. 21 के दौरान निर्यात में शीर्ष पांच वस्तु समूहों की हिस्सेदारी

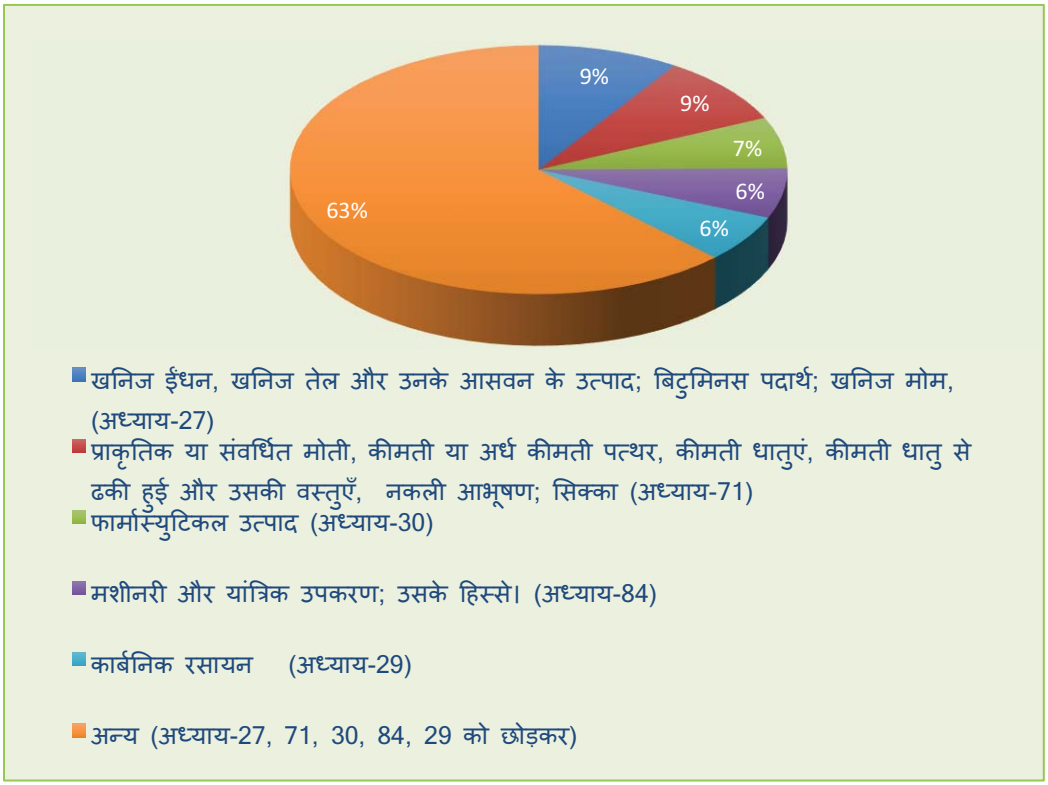

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

1.9 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का प्रदर्शन

1.9.1 सेज नियमों द्वारा समर्थित सेज अधिनियम, 2005, 10 फरवरी, 2006 को प्रभावी हुआ, जिसमें प्रक्रियाओं के सरलीकरण और केंद्र और राज्य सरकारों से संबंधित मामलों पर एकल खिड़की मंजूरी प्रदान की गई। सेज़ अधिनियम, 2005 के अनुसार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी व्यक्ति द्वारा माल के निर्माण या सेवाएं प्रदान करने के लिए या दोनों के लिए या एक मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजेड) के रूप में संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक सेज़ की स्थापना की जा सकती है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित ऐसे प्रस्तावों पर सेज़ के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा विचार किया जाता है।

सेज़ अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन
- वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना
- घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना
- रोजगार के अवसरों का सृजन
- बुनियादी सुविधाओं का विकास

जबकि 427 सेज़ को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया था, 378[5] को 1 अप्रैल 2021 को अधिसूचित किया गया था, जिनमें से केवल 265 सेज़ चालू थे **(अनुलग्नक 1)** यानी कुल स्वीकृत सेज़ का 62.06 *प्रतिशत*।

1.9.2 सेज़ प्रदर्शन के तीन पैरामीटर (i) निर्यात प्रदर्शन, (ii) निवेश, और (iii) रोजगार वि.व. 17 से वि.व. 21 की अवधि के लिए अगले पृष्ठ पर **तालिका 1.8** में दिए गए हैं।

[5]378 (7 केंद्र सरकार और 12 राज्य सरकार/निजी क्षेत्र के सेज़, सेज अधिनियम 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित सेज सम्मिलित है)

तालिका 1.8: सेज का प्रदर्शन

	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19	वि.व. 20	वि.व. 21
निर्यात प्रदर्शन (₹ करोड़ में)	5,23,637 (12%)	5,81,033 (1 1%)*	7,01,179 (21%)*	7,96,669 (14%)	7,59,524 (-4.66%)
निवेश (₹ करोड़ में)	4,33,142 (15%)	4,92,312 (14%)	5,07,644 (3%)	5,71,735 (13 %)	6,17,499 (8%)
रोजगार (व्यक्तियों के रूप में)	17,78,851 (12%)	19,96,610 (12%)	20,61,055 (3%)	22,38,305 (8%)	23,58,136 (5%)

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय *कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाते हैं

सेज से निर्यात, जो वि.व. 21 में ₹7.59 लाख करोड़ था, वि.व. 17 में किए गए निर्यात पर 45 *प्रतिशत* (₹2.36 लाख करोड़) की कुल वृद्धि हुई थी। निर्यात वृद्धि *प्रतिशत* में वि.व. 20 के मुकाबले वि.व. 21 ₹7.59 लाख करोड़ के निर्यात के साथ घटकर (-)4.66 हो गया था। वि.व. 21 के दौरान गिरावट को कोरोना महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की मंदी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पिछले वर्षों की तुलना में निर्यात में वार्षिक वृद्धि वि.व. 17 में 12 *प्रतिशत से घटकर वि.व.* 21 में (-)4 *प्रतिशत हो गई थी* **(तालिका 1.8, चार्ट 7 और अनुलग्नक 1)।** वि.व. 19 (21 *प्रतिशत)* से वि.व. 21 में (-)4 *प्रतिशत* तक निर्यात वृद्धि में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी गई है।

चार्ट 7: सेज का प्रदर्शन

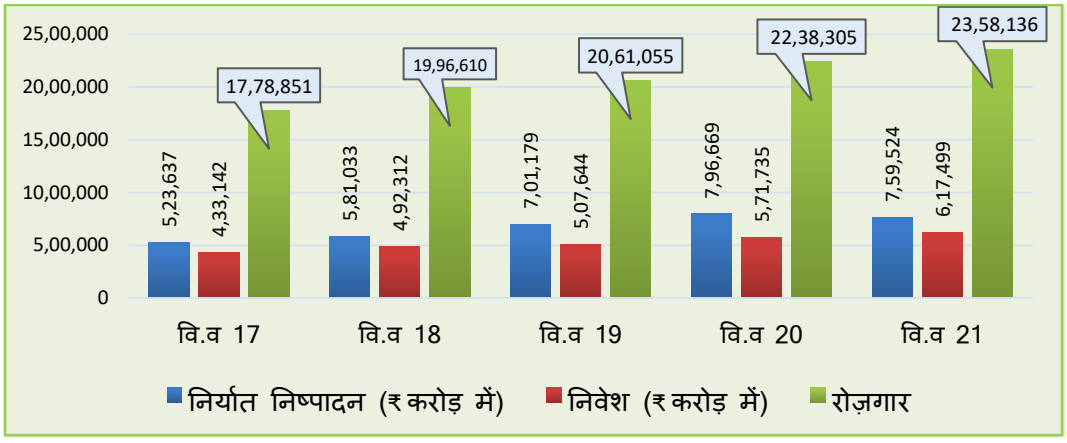

स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

1.9.3 वि.व. 21 के दौरान सेज में कुल ₹6.17 लाख करोड़ का निवेश किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 23.58 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का

सृजन हुआ। वि.व. 17 में किए गए ₹4.33 लाख करोड़ के निवेश की तुलना में वि.व. 21 में निवेश में 43 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसी अवधि के दौरान, सृजित रोजगार में 33 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई थी। **(चार्ट 7, तालिका 1.8)।**

1.9.4 तथापि, वि.व. 21 के दौरान सेज में निवेश और रोजगार सृजन में वृद्धि की प्रवृत्ति के बावजूद, निर्यात प्रदर्शन में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी थी।

1.10 वि.व. 17 से वि.व. 21 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

1.10.1 संग्रह की लागत सीमा शुल्क के संग्रह पर होने वाली लागत है और इसमें आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्यों, निवारक कार्यों, आरक्षित निधि/जमा लेखे में स्थानांतरण और अन्य व्यय पर व्यय शामिल है।

1.10.2 वि.व. 21 के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत सीमा शुल्क प्राप्तियों का 3.42 *प्रतिशत* थी। वि.व. 17 से वि.व. 21 तक की अवधि के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रह की लागत नीचे **तालिका 1.9** में दिया गया है।

तालिका 1.9: वि.व. 17 से वि.व. 21 के दौरान संग्रहण की लागत

वर्ष	राजस्व-सह-आयात/निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय (₹ करोड़ में)	निवारक और अन्य कार्यों पर व्यय (₹ करोड़ में)	रिजर्व, फंड, जमा लेखे और अन्य व्यय में स्थानांतरण (₹ करोड़ में)	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	सीमा शुल्क प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	सीमा शुल्क प्राप्तियों के *प्रतिशत* के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व. 17	544	2,771	7	3,322	2,25,370	1.47
वि.व. 18	640	3,262	39	3,941	1,29,030	3.05
वि.व. 19	743	3,667	9	4,419	1,17,813	3.75
वि.व. 20	753	3,871	0	4,419	1,09,283	3.75
वि.व. 21	783	3,809	21	4,613	1,34,750	3.42

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे

1.10.3 सीमा शुल्क प्राप्तियों के *प्रतिशत* के रूप में व्यक्त, संग्रह की लागत 1.47 *प्रतिशत* (वि.व. 17) से 3.75 *प्रतिशत* (वि.व. 19) के बीच थी। वि.व. 20 (3.75 *प्रतिशत)* की तुलना में संग्रह की लागत वि.व. 21 में घटकर

3.42 *प्रतिशत* हो गई थी। संग्रह की लागत वि.व. 20 से घटी हुई प्रवृत्ति दिखा रही है।

1.11 सीमा शुल्क की बकाया राशि

1.11.1 बकायों की वसूली क्षेत्राधिकारी आयुक्तों की समग्र जिम्मेदारी है। उन्हें आयुक्तालयों में काम कर रहे वसूली प्रकोष्ठों के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 15 दिसंबर 1997 के अनुसार, सरकारी बकायों की वसूली करने के उद्देश्य से प्रत्येक सीमा शुल्क आयुक्तालय में एक "वसूली प्रकोष्ठ (आरसी)" बनाया जाना चाहिए। हर वर्ष, प्रत्येक आयुक्तालय के लिए वसूली लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

बोर्ड ने समय-समय पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं सीमा शुल्क के तहत बकायों की वसूली के संबंध में निर्देश/परिपत्र जारी किए हैं। विशेष रूप से जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरुआत के बाद हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क के बकायों की वसूली के लिए प्रक्रिया को अद्यतन और संशोधित करना अनिवार्य हो गया है।

1.11.2 सीमा शुल्क के बकाया ऐसे शुल्क हैं जो विभाग द्वारा अधिरोपित किए गए हैं, लेकिन विभिन्न कारणों जैसे अधिनिर्णयन, विवादित दावों और अनंतिम निर्धारणों के लंबित होने के कारण वसूल नहीं किए गए हैं। 31 मार्च 2021 को कुल सीमा शुल्क बकाया ₹42,601 करोड़ था। वि.व. 17 से वि.व. 21 के लिए सीमा शुल्क राजस्व बकाया नीचे **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.10: सीमा शुल्क की बकाया राशि

वर्ष	विवादित सीमा शुल्क बकाया (₹ करोड़ में)	अविवादित सीमा शुल्क बकाया (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)	कुल बकायों में विवादित बकाया *प्रतिशत*	अविवादित बकायों का कुल बकायों में *प्रतिशत*
वि.व.17	21,780	4,700	26,480	82.25	17.75
वि.व.18	18,836	5,849	24,685	76.31	23.69
वि.व.19	27,972	7,855	35,827	78.08	21.92
वि.व.20	36,951	8,101	45,052	82.02	17.98
वि.व.21	34,215	8,386	42,601	80.32	19.68

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाएं

1.11.3 वि.व. 17 से वि.व. 20 के दौरान वि.व. 18 को छोड़कर सीमा शुल्क की बकाया राशि में लगातार वृद्धि हुई थी। मार्च 2021 में लंबित सीमा शुल्क राजस्व का कुल बकाया (₹42,601 करोड़) मार्च 2020 तक लंबित कुल बकायों (₹45,052 करोड़) की तुलना में (-)5.44 *प्रतिशत* तक कम हो गया था। सीमा शुल्क का कुल बकाया वि.व. 21 में वि.व. 17 की तुलना में 60 *प्रतिशत* तक बढ़ गया।

चार्ट 8 : सीमा शुल्क की बकाया राशि

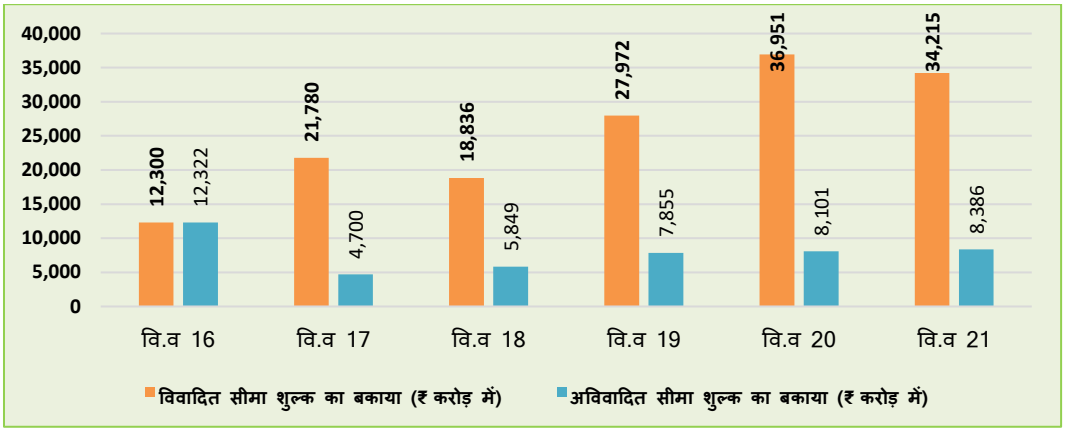

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाएं

1.11.4 कुल बकायों के अनुपात में विवादित बकायों की राशि वि.व. 17 में 82.25 *प्रतिशत* से थोड़ा कम होकर वि.व. 21 के लिए 80.32 *प्रतिशत* हो गई और यह ₹42,601 करोड़ रही।

1.11.5 वि.व. 17 से वि.व. 21 के दौरान बकाया सीमा शुल्क की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण नीचे **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.11: वि.व. 17 से वि.व. 21 के दौरान वसूली लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किया गया

वर्ष	बकाया लक्ष्य (₹ करोड़ में)	लक्ष्य हासिल किया (₹ करोड़ में)	लक्ष्य में कमी (₹ करोड़ में)	लक्ष्य से अधिक हासिल किया गया (₹ करोड़ में)	कमी का *प्रतिशत*	हासिल की गई अधिकता का *प्रतिशत*
वि.व. 17	1,000	1,284	-	284	-	28.44
वि.व. 18	1,000	1,092	-	92	-	9.25
वि.व. 19	4,315	2,159	(-)2,156	-	(-)49.97	-
वि.व. 20	4,044	1.952	(-)2,092	-	(-)51.73	-
वि.व. 21	4.108	1,128	(-)2,980	-	(-)72.54	-

स्रोत: डीडीएम पोर्टल, सीबीआईसी

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सीमा शुल्क बकाया की वसूली के लिए सीबीआईसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य विभाग द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हैं। लक्ष्य में कमी वि.व. 21 में (-)72.54 *प्रतिशत* थी। पिछले तीन वर्षों से बकाया सीमा शुल्क वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगातार कमी हो रही थी।

1.11.6 वि.व. 21 के दौरान कुल 20 जोनों {11 सीमा शुल्क जोन और नौ संयुक्त (सीमा शुल्क और जीएसटी जोनों)} में से, 10 जोन वि.व. 21 के दौरान लंबित कुल बकायों (₹42,601 करोड़) के 83.51 *प्रतिशत* (₹35,578 करोड़) *के* लिए जिम्मेदार हैं जैसा कि तालिका 1.12 में नीचे दिखाया गया है।

तालिका 1.12: 31 मार्च 2021 तक सीमा शुल्क राजस्व का जोनवार बकाया

क्र.सं.	सीसी क्षेत्र	विवाद के अंतर्गत राशि ₹ करोड़ में	राशि अविवादित ₹ करोड़ में	31.03.2021 तक लंबित राशि ₹ करोड़ में
1	मुंबई-II सीमा शुल्क	5,742	428	6,170
2	दिल्ली सीमा शुल्क	3,699	1,735	5,434
3	अहमदाबाद सीमा शुल्क	4,661	619	5,280
4	बैंगलूरू सीमा शुल्क	4,909	166	5,075
5	मुंबई-III सीमा शुल्क	2,672	284	2,956
6	चेन्नई सीमा शुल्क	2,040	515	2,555
7	भोपाल सीई और जीएसटी	1,157	1,019	2,176
8	कोलकाता सीमा शुल्क	1,329	762	2,091
9	मुंबई-I सीमा शुल्क	1,473	464	1,937
10	भुवनेश्वर सीई और जीएसटी	1,901	3	1,904
	उप योग	29,582	5,996	35,578
11	अन्य	4,632	2,391	7,023
	कुल योग	34,215	8,386	42,601

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (कर बकाया वसूली), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाएं

1.11.7 वि.व. 21 में सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्तालय, मुंबई-II पर सीमा शुल्क की बकाया राशि सबसे अधिक थी, इसके बाद दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई-III, चेन्नई और भोपाल सीमा शुल्क/सीई-जीएसटी जोन थे।

1.11.8 31 मार्च 2021 तक लंबित अविवादित बकाया (₹8,386 करोड़) कुल बकायों (₹42,601 करोड़) का 19.68 *प्रतिशत* था।

चार्ट 9: 31 मार्च 2021 तक सीमा शुल्क राजस्व का जोन वार बकाया

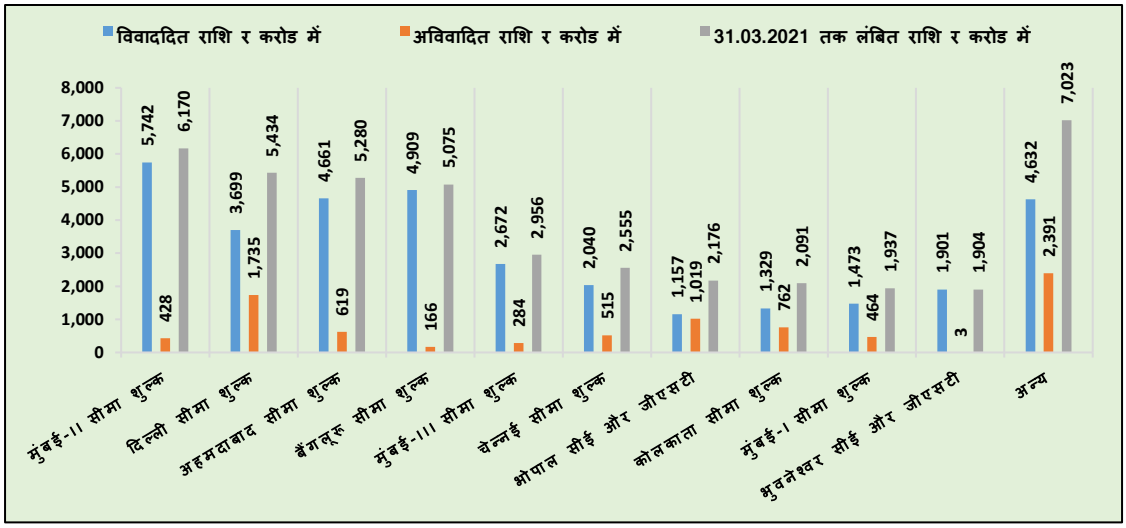

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (कर बकाया वसूली), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाएं

1.11.9 वि.व. 17 से वि.व. 21 के लिए सीमा शुल्क राजस्व की अवधि-वार बकाया राशि को **तालिका 1.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: वि.व. 17 से वि.व. 21 के लिए सीमा शुल्क राजस्व के अवधिवार लंबित बकाए

वर्ष	विवादित राशि (₹ करोड़ में)				अविवादित राशि (₹ करोड़ में)				सर्वयोग (5+9)
	5 वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	योग (कॉलम 2+3+4)	5 वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	योग (कॉलम 6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वि.व. 17	17,919	2,716	1,145	21,780	2,538	1,245	917	4,700	26,480
वि.व. 18	15,554	2,279	1,005	18,836	3,931	980	938	5,849	24,685
वि.व. 19	24,670	2,373	929	27,972	5,361	831	1,663	7,855	35,827
वि.व. 20	29,226	6,128	1,597	36,951	6,243	864	994	8,101	45,052
वि.व. 21	25,077	7,599	1,539	34,215	6,285	918	1,183	8,386	42,601

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (कर बकाया वसूली), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाएं

अविवादित बकाया राशि के अवधि विश्लेषण से पता चला है कि कुल ₹8,386 करोड़ में से ₹2,101 करोड़ (25 *प्रतिशत*) पांच वर्ष से अधिक समय से वसूले नहीं गए थे। वसूली के लिए ₹1,183 करोड़ की राशि दस वर्ष से अधिक समय से लंबित थी।

चार्ट 10: अविवादित बकाया की तुलना में विवादित की अवधि-वार लबंन

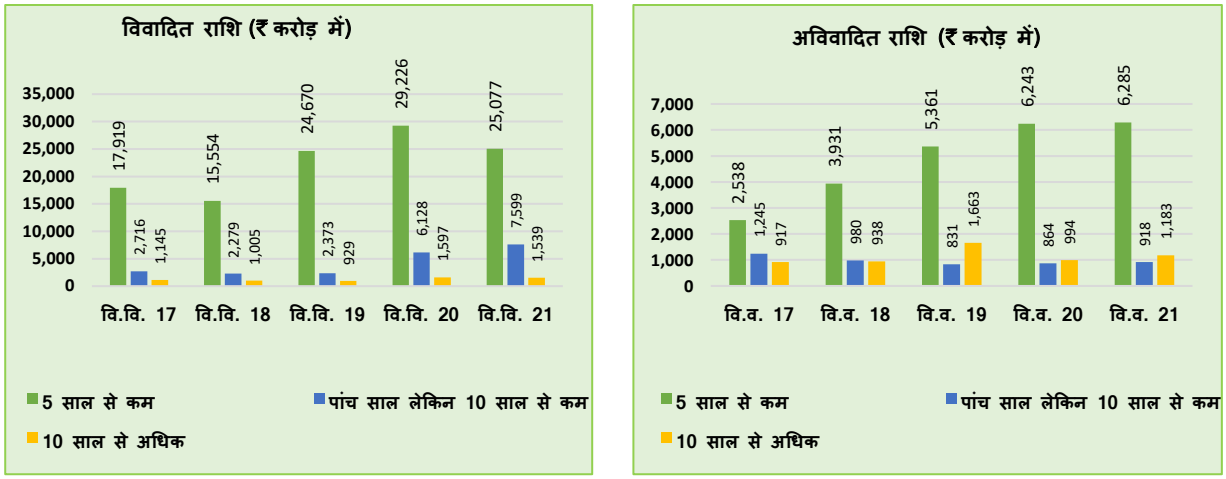

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (कर बकाया वसूली), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाएं

1.11.10 इसके अतिरिक्त, वि.व. 21 की शुरुआत में (अप्रैल 2020 तक), 20 जोन में 8,916 चूककर्ता थे, जिनसे ₹3,866 करोड़ का सीमा शुल्क राजस्व वसूली के लिए बकाया था। वि.व. 21 के दौरान 2,995 नए चूककर्ता (₹1,564 करोड़ का राजस्व बकाया) जोड़े गए। इसलिए, मार्च 2021 तक 10,920 चूककर्ता थे और कुल ₹5,104 करोड़ की राशि जोखिम में थी। मंत्रालय को विभाग के वसूली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.12 आंतरिक लेखापरीक्षा

1.12.1 सीबीआईसी और इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा में महानिदेशालय लेखापरीक्षा {डीजी (लेखापरीक्षा)} द्वारा की गई तकनीकी लेखापरीक्षा और प्रधान मुख्य लेखानियंत्रक (प्र. सीसीए) द्वारा किए गए भुगतान और लेखा की लेखापरीक्षा शामिल है। महानिदेशक (लेखापरीक्षा) का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जिसकी अध्यक्षता महानिदेशक (लेखापरीक्षा) करते हैं और अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में सात जोनल इकाइयां हैं, जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता एक अतिरिक्त महानिदेशक करते हैं। मुख्य आयुक्त और आयुक्तालयों की जोनल इकाइयों पर डीजीए की प्रत्येक जोनल इकाई का क्षेत्रवार क्षेत्राधिकार नियंत्रण होता है।

1.12.2 वि.व. 21 के दौरान महानिदेशक (लेखापरीक्षा) ने दो प्रकार की लेखापरीक्षा अर्थात लेन-देन आधारित लेखापरीक्षा (टीबीए)-पीसीए और परिसर आधारित लेखापरीक्षा (पीबीए) की योजना बनाई थी। टीबीए के लिए, कुल 3,10,495 बीई की लेखापरीक्षा करने की योजना बनाई गई थी। इनमें से 3,36,019 बीई के लिए लेखापरीक्षा की गई थी जो नियोजित लेखापरीक्षा से अधिक थी क्योंकि इसमें पिछले वर्ष के कुछ बीई शामिल थे। लेखापरीक्षा द्वारा पता लगाए गए ₹324 करोड़ के शुल्क में से ₹59.92 करोड़ का शुल्क वसूल किया गया है।

1.12.3 पीबीए के लिए, लेखापरीक्षा के लिए कुल 176 इकाइयों की योजना बनाई गई थी। इनमें से 75 इकाइयों के लिए लेखापरीक्षा की गई थी जो नियोजित लेखापरीक्षा से कम थी। पीबीए के दौरान महानिदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा ₹354 करोड़ के शुल्क का पता लगाया गया था। इसमें से ₹82.51 करोड़ के शुल्क की वसूली की जा चुकी है।

1.12.4 प्र. सीसीए सीबीआईसी और इसके क्षेत्रीय संरचनाओं के भुगतान और लेखा की आंतरिक लेखापरीक्षा करता है। 2020-21 के दौरान प्र. सीसीए द्वारा उठाई गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां पर सीबीआईसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक ₹3,335 करोड़[6] की 23 अभ्युक्तियां लंबित थी। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित अनियमितताएं शामिल थी:

क) सरकारी विभागों/राज्य सरकार के निकायों/निजी पक्षों/स्वायत्त निकायों से बकाया राशि की वसूली न होना- ₹396.32 करोड़;

ख) अवरुद्ध सरकारी राजस्व- ₹16.08 करोड़

ग) अन्य अनियमितताएं- ₹2,922.70 करोड़

वि.व. 20 (₹18,067 करोड़) की तुलना में वि.व. 21 में लंबित राशि (₹3,335.10 करोड़) में कमी की प्रवृत्ति थी।

1.13 कर अपवंचन और जब्ती

1.13.1 डीआरआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शुल्क अपवंचन के मामलों की संख्या वि.व. 17 में 667 से बढ़कर वि.व. 21 में 805 हो गई,

---

[6] **प्र**. सीसीए सं. आईए/एनजेड/मुख्यालय/सीएजी/सूचना/2021-22/828 दिनांक 03 जून 2022

जबकि इसी अवधि के दौरान मूल्य ₹1422 करोड़ से बढ़कर ₹3,488 करोड़ हो गया **(अनुलग्नक 2)**। तथापि, पता लगाए गए मामलों में वि.व. 21 के दौरान की गई वसूलियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

1.13.2 डीआरआई, नई दिल्ली के अनुसार वि.व. 21 के दौरान विनिर्दिष्ट प्रमुख वस्तुओं के मूल्य के आधार पर जब्ती की प्रोफाइल के अनुसार, इसमें शामिल प्रमुख वस्तुएं परिष्कृत लौह अयस्क, रेडीमेड गारमेंट्स, विकृत एथिल एल्कोहल, टनल बोरिंग मशीनें और इसकी बैकअप प्रणाली, ग्रैब टाइप शिप अनलोडर, सेल्फ-एडेसिव प्रिंटेड फिल्में आदि हैं। डीआरआई द्वारा जब्त की गई प्रमुख कीमती वस्तु ₹450.42 करोड़ मूल्य का सोना थी।

1.14 मानव संसाधन

1.14.1 सीबीआईसी में सीमा शुल्क संरचनाओं के लिए सभी स्तरों पर मानव संसाधन का पुनर्गठन अंतिम बार वर्ष 2017-18 में किया गया था। सीमा शुल्क अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की कुल 12,329 रिक्तियां (जनवरी 2021 तक) बढ़कर 12,512 (जुलाई 2021 तक) हो गई हैं। इन रिक्त पदों की संख्या कुल स्वीकृत संख्या (26,677) का 46.90 *प्रतिशत* है।

तालिका 1.14: सीबीआईसी में मानव संसाधन

इस तिथि तक	स्वीकृत पदों की संख्या				कार्यकारी क्षमता				रिक्ति							
	ग्रुप क	ग्रुप ख	ग्रुप ग	कुल ग्रुप क, ख और ग	ग्रुप क	ग्रुप ख	ग्रुप ग	कुल ग्रुप क, ख और ग	ग्रुप क	%	ग्रुप ख	%	ग्रुप ग	%	कुल ग्रुप क, ख और ग	सभी का %
01.01.2021	1,278	16,811	8,588	**26,677**	856	9,652	3,840	**14,348**	422	33.02	7,159	42.59	4,748	55.29	12,329	**46.22**
01.07.2021	1,278	16,811	8,588	**26,677**	806	9,592	3,767	**14,165**	472	36.93	7,219	42.94	4,821	56.14	12,512	**46.90**

स्रोत: मानव संसाधन विकास महानिदेशालय, सीबीआईसी

अध्याय II

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखापरीक्षा की सीमा

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्राधिकार

2.1.1 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16, सीएजी को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार तथा विधान सभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा तथा स्वयं की संतुष्टि तक राजस्व का निर्धारण, संग्रहण और उचित संवितरण पर प्रभावी जांच को सुरक्षित करने के नियम और क्रियाविधि बनाई गई हैं तथा इनका यथावत पालन किया जा रहा है, हेतु अधिकृत करता है। लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियमों में प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है।

2.1.2 सीमा शुल्क राजस्व की अनुपालन लेखापरीक्षा में उन संव्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें सीमा शुल्क के उद्ग्रहण तथा संग्रहण, सीमा शुल्क के कोई अन्य उद्ग्रहण, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए आयात और निर्यात के संव्यवहार और समय-समय पर लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किए गए विशेष अनुपालन क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित संव्यवहार वित्तीय वर्ष (वि.व.) 21 से संबंधित हैं, परंतु कुछ मामलों में, समग्र स्थिति प्राप्त करने हेतु पूर्व अवधि के संव्यवहारों की भी समीक्षा की गई है।

2.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2.2.1 सीएजी, सीमा शुल्क विभाग के क्षेत्रीय संगठनों के आयातों, निर्यातों, प्रतिदायों से संबंधित संव्यवहार अभिलेखों के नमूनों सहित केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के विभिन्न कार्यात्मक विंग के लेखापरीक्षा दल (समग्र पैन-इंडिया डेटा के अभाव में) द्वारा जोखिम आधारित नमूनों से चयनित अभिलेखों की जांच करता है। सीएजी, विभागीय कार्यों जैसे बकायों के अधिनिर्णयन एवं वसूली तथा निवारक कार्यों से संबंधित अभिलेखों की भी जांच करता है।

2.2.2 इसके अतिरिक्त, एफटीपी के अंतर्गत आयातकों/निर्यातकों द्वारा लिए गए सीमा शुल्क छूट लाभ के संबंध में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) के अधीन महानिदेशालय विदेश व्यापार (डीजीएफटी) के

संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरए) के अभिलेखों की भी जांच की गई है। इसी प्रकार सीएजी सरकारी स्वामित्व की सेज[7] के लेखाओं के प्रमाणीकरण सहित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), निर्यातोन्मुख इकाई (ईओयू) तथा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) के विकास आयुक्त (डीसी) की लेखापरीक्षा करते हैं।

2.3 लेखापरीक्षा संसृति

2.3.1 सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा संसृति में सीबीआईसी, इसके सीमा शुल्क क्षेत्रीय संगठन तथा पत्तन (इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटेरचेंज (ईडीआई) एवं गैर-ईडीआई और सेज) तथा बिल्स ऑफ एंट्री (बीई) व शिपिंग बिल्स (एसबी) के अधीन निष्पादित संव्यवहार सम्मिलित हैं।

2.3.2 सीमा शुल्क की क्षेत्रीय संरचनाओं को एक मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता वाले प्रत्येक 20 ज़ोनों, 11 सीमा शुल्क ज़ोन तथा नौ संयुक्त {सीमा शुल्क एवं वस्तु एवं सेवाकर (जीसटी)} ज़ोन वाले 70 प्रधान आयुक्त/आयुक्त में बांटा गया है। 1 अप्रैल, 2021 तक, 44 सीमा शुल्क कार्यकारी आयुकतालय, 13 सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, नौ सीमा शुल्क अपील आयुक्तालय तथा चार सीमा शुल्क लेखापरीक्षा आयुक्तालय थे।

2.3.3 निर्यात संवर्धन योजनाओं की लेखापरीक्षा हेतु, लेखापरीक्षा संसृति में डीजीएफटी, इसके आरए तथा सेज/ईओयू/एसटीपी के डीसी सम्मिलित हैं। डीजीएफटी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का सम्बद्ध कार्यालय है तथा इसकी अध्यक्षता महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा की जाती हैं। डीजीएफटी भारत के निर्यात संवर्धन के मुख्य उद्देश्य से एफटीपी बनाने तथा कार्यान्वित करने हेतु उत्तरदायी हैं। डीजीएफटी निर्यातकों को स्क्रिप/प्राधिकार जारी करता हैं तथा 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से उनके तदनुरूपी दायित्वों की निगरानी करता है।

2.3.4 सेज तथा ईओयू के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं की लेखापरीक्षा सेज/ईओयू के संबंधित डीसी के कार्यालय में की जाती हैं।

2.4 लेखापरीक्षिती के डेटा तक पहुँच

लेखापरीक्षा में यह आश्वासन प्राप्त करने हेतु सीमा शुल्क संव्यवहार डेटा पर विश्वास किया जाता है कि राजस्व हानि को रोकने हेतु कानूनों को उचित रूप

---

[7]सांताक्रूज इलेक्ट्रानिक्स, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (एसईईपीज़ेड), कांडला सेज, मद्रास सेज, कोचीन सेज विशाखापट्टनम सेज, नोएडा सेज, तथा फाल्टा सेज

से लागू किया गया है। पैन इंडिया के डेटा तक पूर्ण पहुँच की कमी प्रत्येक सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं पर चयनित संव्यवहारों की नमूना जांच हेतु लेखापरीक्षा संवीक्षा को सीमित करती है तथा राजस्व प्राप्तियों के प्रमाणीकरण में आश्वासन को सीमित करती है।

मार्च 2015 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा वि.व. 18 से वि.व. 21 की अवधि के लिए मांगा गया (जून 2019/जुलाई/ सितंबर 2020) पैन इंडिया आयात एवं निर्यात संव्यवहारों का डेटा बारंबार अनुरोध के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ। पैन इंडिया ट्रांजेक्शनल डेटा के अभाव में, 70 आयुक्तालयों में से 32 आयुक्तालयों का प्रत्यक्ष रूप से दौरा करके एवं भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा विनिमय प्रणाली (आईसीईएस) के सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा (सीआरए) मॉडयूल तथा आयात सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा (आईसीआरए) मॉडयूल के इंटरफेस जिसकी अपनी सीमाएं थीं, के माध्यम से लेखापरीक्षा की गई।

विभाग द्वारा सीआरए मॉडयूल तथा आईसीआरए मॉडयूल में प्रदान किए गए सीमित अभिगमों के माध्यम से नमूना जांच में निष्कर्षों के आधार पर जहां तक संभव हो सका, लेखापरीक्षा द्वारा जोखिम वाले संव्यवहारों की कुल संख्या निर्धारित की गई है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वि.व. 21 की अवधि तथा कुछ मामले गत वर्ष के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए थे।

2.5 लेखापरीक्षा नमूना

वि.व. 21 के दौरान संव्यवहारों की नमूना जांच 70 आयुक्तालयों में से 32 में (46 *प्रतिशत*) की गई थीं। सीमा शुल्क आयुक्तालयों की लेखापरीक्षा में, 44 कार्याकारी आयुक्तालयों में से 22, 13 निवारक आयुक्तालयों में से 07, नौ अपील आयुक्तालयों में से एक तथा चार लेखापरीक्षा आयुक्तालयों में से दो सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त डीजीएफटी द्वारा प्रदान की गई एफटीपी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इसके आरए के माध्यम से 24 आरए में से 17 में अनुज्ञा पत्रों/प्राधिकारों की लेखापरीक्षा की गई थी।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा संसृति तथा नमूना

मंत्रालय	लेखापरीक्षिती इकाई	लेखापरीक्षा संसृति	लेखापरीक्षा नमुना
वित्त मंत्रालय (सीबीआईसी, राजस्व विभाग)	मुख्य आयुक्तालय सीमा शुल्क एवं निवारक	11[8]	6 (55 %)
	प्रधान आयुक्तालय/ आयुक्तालय	70	32 (46 %)
	कार्यकारी आयुक्तालय	44	22 (50%)
	विशेष निवारक आयुक्तालय	13	7 (54%)
	अपील आयुक्तालय	9	1 (11%)
	लेखापरीक्षा आयुक्तालय	4	2 (50%)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग)	क्षेत्रीय प्राधिकरण	24	17 (71%)
	विकास आयुक्त	8[9]	6 (75%)

2.6 लेखापरीक्षा प्रयास

2.6.1 वि.व. 21 के दौरान संबंधित आयुक्तालयों/आरए/डीसी को 198 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए गए थे जिसमें 1,424 अभ्युक्तियों थीं और उनका कुल राजस्व प्रभाव ₹441 करोड़ था।

2.6.2 लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए महत्वपूर्ण तथा उच्च मूल्य वाले मामले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने से पहले टिप्पणी हेतु मंत्रालय (एमओएफ/एमओसीआई) को जारी किए गए थे। इस प्रतिवेदन में वि.व. 21 के दौरान पाए गए ₹86 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ 105 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं। अप्रैल 2021 से सितंबर 2022 के दौरान मंत्रालय को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी की गई थीं।

2.6.3 मंत्रालय ने जारी किए गए 105 मामलों में से 50 मामलों में उत्तर दिया है। इसके अतिरिक्त, 43 मामलों में, स्थानीय सीमा शुल्क आयुक्तालयों/आरए से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं। मंत्रालयों/विभागों ने 93 पैराग्राफ स्वीकार किए हैं तथा कारण बताओ नोटिस जारी करने, कारण बताओ

---

[8]सीमा शुल्क ज़ोन-11 (अहमदाबाद सीमा शुल्क, बैंगलुरु सीमा शुल्क, चेन्नई सीमा शुल्क, त्रिची निवारक, दिल्ली सीमा शुल्क, दिल्ली निवारक, कोलकाता सीमा शुल्क, पटना निवारक, मुंबई-I, मुंबई-II, मुंबई-III)।

[9] सांताक्रूज इलेक्ट्रानिक्स, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (एसईईपीज़ेड), कांडला सेज, मद्रास सेज, कोचीन सेज, विशाखापट्टनम सेज, नोएडा सेज, फाल्टा सेज तथा सेज इंदौर

नोटिस के अधिनिर्णयन के रूप में सुधारात्मक कार्रवाई की जिसमें ₹71 करोड़ के धन मूल्य सम्मिलित हैं तथा सीमा शुल्क के गलत निर्धारण के 59 मामलों में ₹65 करोड़ की वसूली की सूचना दी है।

2.6.4 अध्याय III में, लेखापरीक्षा ने चयनित आयुक्तालयों में बीई तथा अन्य अभिलेखों की जांच के दौरान ₹75 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ महत्वपूर्ण परिणामों की सूचना प्रदान की। लेखापरीक्षा परिणाम आम तौर पर "आयातों के गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 3.6.1 से 3.6.15)", "अधिसूचनाओं का गलत उपयोग (पैराग्राफ 3.7.1 से 3.7.5)" तथा "अन्य अनियमितताओं (पैराग्राफ 3.8.1 से 3.8.3)" से संबंधित हैं। लेखापरीक्षा के परिणामों में कुछ प्रणालीगत मुद्दों तथा अनवरत अनियमितताओं को भी इंगित किया गया।

(क) प्रणालीगत मुद्दे

लेखापरीक्षा में कुछ आयात मामलों में प्रणालीगत मुद्दों को देखा गया जिसमें आरएमएस ने स्वीकृति दी जबकि निर्धारित आयात शर्तों को पूरा नहीं किया गया था। आरएमएस को ऐसे मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है ताकि निर्धारित आयात शर्तों का अनुपालन किया जा सके तथा एक बार बीई के प्रणाली से गुजरते ही लागू शुल्क को स्वत: प्रभारित किया जा सके।

कुछ मामलों का उल्लेख नीचे किया गया है तथा प्रतिवेदन के अध्याय III में भी इन पर चर्चा की गई है।

(i) "नारंगी (किन्नू) जूस" का "संतरा जूस" के रूप में गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 3.6.1)
(ii) स्विचिंग और रूटिंग उपकरण सहित ध्वनि, छवियों अथवा अन्य डेटा के अभिग्रहण, रूपांतरण और संचारण अथवा पुनर्निर्माण हेतु मशीनों का गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 3.6.3 तथा 3.6.6)
(iii) डीज़ल इंजन के पुर्ज़ों के आयातों पर आईजीएसटी दर का गलत अनुप्रयोग (पैराग्राफ 3.7.1)

(ख) अनवरत अनियमितताएं

सेज में इकाइयों से लागत वसूली (स्थापना) प्रभारों की वसूली ना होने तथा गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मंत्रालय को भेजे गए आयातों के गलत वर्गीकरण के ऐसे मामलों को सीमा शुल्क की क्षेत्रीय संरचनाओं में पाया जाना, सीबीआईसी के आश्वासनों कि उन्होंने अपनी क्षेत्रीय संरचनाओं को इसी तरह के मुद्दों को सावधानी से जाँच करने हेतु संवेदनशील बनाया है, के बावजूद जारी रहा है।

कुछ मामलों का नीचे उल्लेख किया गया है:

(i) 'नेटवर्क इंटरफेस कार्डों' का गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 3.6.4)
(ii) "स्मार्ट घड़ियों" का गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 3.6.5)
(iii) अप्राप्त निर्यात आय के मामलों में प्रतिअदायगी की वसूली न करना (पैराग्राफ 3.8.1)

2.6.5 अध्याय IV में, लेखापरीक्षा ने एफटीपी के अनुसार निर्यातकों को अपात्र निर्यात तथा सेवाओं हेतु एमईआईएस और एसईआईएस शुल्क स्क्रिप्स के अनुपयुक्त निर्गम के कारण ₹10.86 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाली अनियमितताओं की सूचना दी।

2.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव

वि.व. 17 से वि.व. 21 तक के पाँच प्रतिवेदनों में, लेखापरीक्षा में ₹16,018 करोड़ की राशि वाले 547 लेखापरीक्षा पैराग्राफों **(तालिका 2.2)** सम्मिलित किए गए हैं। सरकार ने ₹713 करोड़ की राशि वाले 503 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है तथा सितंबर 2022 तक 362 पैराग्राफों में ₹214 करोड़ की वसूली की है।

तालिका 2.2: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव

वर्ष	सम्मिलित पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ		प्रभावित वसूली	
	सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सं.	राशि (₹ करोड़ में)
वि.व. 17	99	85	91	78	63	37
वि.व. 18	92	4,795	85	368	56	31
वि.व. 19	114	10,909	104	69	83	41
वि.व. 20	137	143	130	127	101	40
वि.व. 21	105	86	93	71	59	65
कुल	**547**	**16,018**	**503**	**713**	**362**	**214**

स्रोत: गत वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा कृत कार्रवाई टिप्पणियां

अध्याय III

सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

3.1 भारत में किसी जलयान/विमान में आयातित माल पर सीमा शुल्क लगाया जाता है और जब तक ये पत्तन/विमानपत्तन आगमन पर सीमा शुल्क निकासी के लिए नहीं होते हैं और उनका उद्देश्य किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन तक या भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाने के उद्देश्य हेतु नहीं है, आयातकों को उतारे गए माल की विस्तृत सीमा शुल्क निकासी औपचारिकताओं का पालन करना होगा। आयातक को कार्गो, आयातित टैरिफ वर्गीकरण और लागू शुल्क तथा अन्य आवश्यक सूचना का विवरण देते हुए बिल्स ऑफ एंट्री (बीई) फाइल करना अपेक्षित है। स्व-निर्धारण के अंतर्गत, बीई आईसीईएस[10] संदर्भित भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) प्रणाली में आइसगेट[11] के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल किया जा सकता है। गैर-ईडीआई प्रणाली में, बीई को आयातक द्वारा दस्तावेजों के निर्धारित सेट के साथ व्यक्तिगत रूप में फाइल किया जाता है।

3.2 सीमा शुल्क प्राधिकारियों का निर्धारण कार्य विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत दावा की गई किसी भी छूट या लाभों को ध्यान में रखते हुए शुल्क देयता का निर्धारण करना है। उन्हें यह भी जांचना होगा कि क्या आयातित वस्तुओं पर कोई प्रतिबंध या निषेध है और यदि उन्हें किसी अनुमति/लाइसेंस/परमिट आदि की आवश्यकता है, और यदि हो, तो क्या यह

---

[10]भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) के दो पहलू हैं: (i) एक व्यापक, कागजरहित, पूर्णतया: स्वचालित सीमा शुल्क निकासी प्रणाली के लिए सीमा शुल्क भवन का आंतरिक स्वचालन (ii) आइसगेट के माध्यम से आयात और निर्यात कार्गो के सीमा शुल्क निकासी से संबंधित व्यापार, परिवहन, बैंकों और विनियामक अभिकरणों के साथ ऑनलाइन वास्तविक काल इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस।

[11]आइसगेट से तात्पर्य भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य/इलेक्ट्रॉनिक डाटा आदान-प्रदान (ईसी/ईडीआई) गेटवे से है। आइसगेट एक वेब आधारित पोर्टल है, जिसके माध्यम से विभाग बीई (आयात माल घोषणा), लदान पत्र (निर्यात वस्तुओं की घोषणा), सीमा शुल्क व्यापार से संबंधित विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइटों/सूचनाओं के लिए ई-भुगतान, ऑन-लाइन पंजीकरण और अन्य आंकड़े तथा लिंक एवं अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सहित कई सेवाएं प्रदान करता है।

आवश्यकताएं पूरी की गई हैं अथवा नहीं। शुल्क के निर्धारण में नियमों के स्पष्टीकरण, अध्याय तथा अनुभागीय टिप्पणियों आदि को ध्यान में रखते हुए अनिवार्यत: सीमा शुल्क टैरिफ में आयातित वस्तुओं का समुचित वर्गीकरण और शुल्क देयताओं का निर्धारण सम्मिलित हैं। इसमें मूल्य का सही निर्धारण भी शामिल है जहां वस्तुएं मूल्यानुसार निर्धारण के योग्य है।

3.3 सीमा शुल्क भवन सेवा केंद्र अथवा वेब आधारित आइसगेट के माध्यम से आईसीईएस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए आयात पत्रों (बीई) को आईसीईएस द्वारा आरएमएस[12] में प्रेषित किया जाता है। आरएमएस स्वचालित चरणों की श्रृंखला के माध्यम से आंकड़ों को संसाधित करता है और इलेक्ट्रॉनिक निर्धारण प्रस्तुत करता है। इस निर्धारण में यह निर्धारित किया जाता है कि क्या बीई कार्रवाई के लिए ली जाएगी, अर्थात निर्धारण अधिकारी द्वारा मानवीय मूल्यांकन अथवा वस्तुओं की जांच अथवा दोनों, अथवा शुल्क के भुगतान उपरांत और बिना किसी निर्धारण और जांच के सीधे प्रभार से बाहर की जाएगी। जहां आवश्यक हो, आरएमएस मूल्यांकन अधिकारी, जांच अधिकारी या प्रभारी अधिकारी को निर्देश देगा। इसके अतिरिक्त, स्थानीय जोखिम प्रबंधन (एलआरएम) समिति आयात के अवरोधन हेतु स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त हस्तक्षेप करने का निर्णय करेगी। आरएमएस आधारित आईसीईएस और/अथवा सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण के माध्यम से आयात की स्वीकृति प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छूट प्रदान करने से पहले निर्धारित शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जाए।

3.4 लेखापरीक्षा उत्पाद

वि.व. 19, 20 और 21 के आयात और निर्यात संव्यवहारों की लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित अखिल भारतीय डेटा को बारंबार अनुरोध किए जाने के बावजूद प्राप्त नहीं हुए। अखिल भारतीय संव्यवहार डेटा के अभाव में, आईसीईएस के

[12]जोखिम प्रबंधन प्रणाली सुविधा और प्रवर्तन के मध्य इष्टतम संतुलन बनाने और सीमा शुल्क स्वीकृति में स्व-अनुपालन को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य से एक आईटी संचालित प्रणाली है। यह व्यापार लेन-देन से जुडे जोखिमों का निर्धारण करने के लिए प्रांसगिक मानदंड की पहचान करने के लिए एक स्वचालित समाधान का उपभोग करता है और प्रत्येक लेनदेन के लिए जोखिम के स्तर को निर्धारित करने के लिए व्यवस्थित तरीके से मानदंड लागू करता है और सीमा शुल्क हस्तक्षेप के स्तर को निर्दिष्ट करता है।

सीआरए मॉड्यूल इंटरचेंज के माध्यम से लेखापरीक्षा की गई, जिसकी अपनी सीमाएं थीं। सीआरए और आईसीआरए मॉड्यूल की सीमाओं से सीबीआईसी को अवगत कराया गया। तदनुसार, इस अध्याय में अनुपालन लेखापरीक्षा संबंधी निष्कर्ष 32 आयुक्तालयों के प्रत्यक्ष दौरे करने वाले सीमित लेखापरीक्षण पर आधारित था।

सीमा शुल्क आयुक्तालय में इस अध्याय में शामिल किए गए दस्तावेज़ों की नमूना जांच में सीमा शुल्क अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन न करने की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और ₹10 लाख रुपए या अधिक के राजस्व निहितार्थ सहित टैरिफ अधिसूचनाएं शामिल हैं। ₹75 करोड़ के राजस्व वाली इन अभ्युक्तियों (88 मामले), को जून से सितम्बर, 2022 के दौरान मंत्रालय को जारी किया गया था। सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से संबंधित आयुक्तालयों को कुछ अभ्युक्तियां जारी की गई थीं।

मंत्रालय/विभाग ने 80 मामलों में अभ्युक्तियां स्वीकार करते हुए 82 मामलों में उत्तर भेजे (₹65 करोड़) और 48 मामलों में ₹62 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

3.5 लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए अननुपालन मामलों को मुख्यत: निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

I. आयातों का गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 3.6.1 से 3.6.15)

II. अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग (पैराग्राफ 3.7.1 से 3.7.5)

III. अन्य अनियमितताएं (पैराग्राफ 3.8)

3.6 आयातों का गलत वर्गीकरण

आयातित वस्तुओं का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपबंधों के अधीन शासित होता है। लागू शुल्क का उद्ग्रहण आयातित वस्तु पर लागू वर्गीकरण पर निर्भर होता है।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, 45 मामलों में गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का अल्प उद्ग्रहण पाया गया। ₹10 लाख या उससे अधिक के राजस्व निहितार्थ से जुड़े प्रत्येक 45 मामलों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है, जिनमें ₹58 करोड़ रुपए का कुल राजस्व निहितार्थ है। ₹10 लाख से

कम मूल्य वाले आयातों के गलत वर्गीकरण के एकल मामले क्षेत्रीय निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से स्थानीय आयुक्तालयों को सूचित किए गए हैं।

21 आयुक्तालयों में पाये गये गलत वर्गीकरण के 45 मामलों में से, ₹53 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव वाले 15 मामलों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है और ₹5.14 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव वाले शेष मामले **अनुलग्नक 3** में सूचीबद्ध/उल्लिखित हैं। विभाग ने ₹52.48 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 40 मामलों को स्वीकार किया और 20 मामलों में ₹53.40 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

3.6.1 "नारंगी (किन्नू) जूस" का "संतरे का जूस" के रूप में गलत वर्गीकरण

सीटीएच 20093900 के अंतर्गत किसी अन्य एकल खट्टे फल के जूस यथा "नारंगी" (किन्नू) जूस को वर्गीकृत किया गया है और यह 50 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी प्रभारित है।

जेएनसीएच आयुक्तालय मुंबई जोन-II के अंतर्गत 58 बीई में ₹30.83 करोड़ (फरवरी 2018 से फरवरी 2021) मूल्य के "नारंगी (किन्नू) जूस" के आयात के लिए, 58 बीई की नमूना जांच की गई तथा सभी 58 बीई में ₹3.04 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण इंगित किया गया।

बीई के विश्लेषण से पता चला कि मैसर्स ए बेवरेज लिमिटेड और छह अन्य ने (फरवरी 2018 से फरवरी 2021) "नारंगी (किन्नू) जूस" की 58 खेपों को जेएनसीएच आयुक्तालय, मुंबई के माध्यम से बेल्जियम से आयात किया। आयातित वस्तुओं को सीटीएच 20093900-'किसी एक खट्टे फल के जूस' के स्थान पर आयातित जूस को सीटीएच 20091100/ 20091900 के अंतर्गत 'संतरे के जूस' में गलत वर्गीकृत किया गया था। विभाग ने लागू बीसीडी दर 50 *प्रतिशत* के स्थान पर 35 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उद्ग्रहीत करके निकासित किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीमा शुल्क टैरिफ में "संतरे का जूस (सीटीएच 08051000)" और "नारंगी फल (सीटीएच 08052100)" को भिन्न सीटीएच के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, इसलिए इनके जूस को भी दो भिन्न टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था तथा इन्हें एक समान नहीं माना जाना चाहिए था। इस गलत वर्गीकरण से ₹3.05 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस संबंध में इंगित (मार्च, 2021) किए जाने पर, विभाग ने (अगस्त 2021) लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और शुल्क के भुगतान के लिए आयातकों को मांग नोटिस जारी किए। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

3.6.2 जैविक रसायन को 'पशुओं के चारे' के रूप में गलत वर्गीकरण

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 में 'जैविक रसायन' को वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, अमीनो अम्ल एचएस कोड 2922 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है, ब्यूटेनॉइक अम्ल और इसके लवण, ऐस्टर एचएस कोड 29156010 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है, मेथियोनीन एचएस कोड 29304000 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है, निकारबाज़िन एचएस कोड 29335990 के अंतर्गत नाइट्रोजन हेटेरो- एटम(ओं) के साथ अन्य हेटेरोसायक्लिक यौगिक के रूप में वर्गीकरण योग्य है तथा फॉलिक ऐसिड एचएस कोड 29362910 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है। ये सभी जैविक रसायन बीसीडी 7.5 *प्रतिशत* की दर से तथा आईजीएसटी 18 *प्रतिशत* की दर पर उद्ग्रहण योग्य हैं। तथापि पशु आहार में उपयोगी एक प्रकार का आहार-निर्माण सीटीएच 2309 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है तथा 20 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी के अंतर्गत आता है और आईजीएसटी से छूट प्राप्त है {अधिसूचना सं.02/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017, क्रमांक 2}।

अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 के दौरान सीटीएच 2309 के अंतर्गत वस्तुओं के आयात हेतु, आईसीडी, सनथनगर, हैदराबाद के माध्यम से ₹108.99 करोड़ के आयात वाले कुल 365 बीई फाइल किए गए थे। लेखापरीक्षा नमूना जांच में ₹59.98 करोड़ के आयात वाले 131 बीई की जांच की गई और 65 बीई में ₹2.56 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण दर्शाया गया था।

मैसर्स बी फार्म्स प्रा. लि. और तीन अन्य ने सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), आईसीडी, सनथनगर, हैदराबाद के माध्यम से सीटीएच 2309 के अंतर्गत 'एल-आर्जिनीन फीड ग्रेड/रोडीमेट एटी 88/एल-वैलिन और अन्य-' माल की 65 खेपों का आयात (अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020) में किया था। विभाग ने अध्याय 23 (पशु चारे के रूप में सीटीएच 23099090) के अंतर्गत उन्हें गलत वर्गीकृत करते हुए स्वीकृत किया और बीसीडी 20 *प्रतिशत* की दर से उदग्रहीत

किया और अधिसूचना संख्या 02/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के अंतर्गत आईजीएसटी में छूट प्रदान की।

बीई की लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि आयातित वस्तुएं 'जैविक यौगिक होने के कारण सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है और न कि अध्याय 23 के अंतर्गत है। तदनुसार, बीसीडी 7.5 *प्रतिशत* की दर से और आईजीएसटी 18 *प्रतिशत* की दर से उद्ग्रहीत किया गया था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹2.56 करोड़ का शुल्क कम उद्ग्रहीत किया गया जो लागू ब्याज सहित आयातकों से वसूली योग्य था।

यह इंगित (अगस्त 2020) किए जाने पर, विभाग ने एक आयातक (मैसर्स सी थेरप्यूटिक्स प्रा. लि.) से ब्याज समेत ₹12.06 लाख की वसूली (सितंबर 2020/मई 2021) की सूचना दी और शेष तीन आयातकों को नोटिस पूर्व परामर्श जारी किया। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (सितंबर 2022)।

3.6.3 'ऑप्टिकल ट्रांस्पोंडर' को अभिग्रहण, रूपांतरण और संचारण अथवा ध्वनि, छवियों अथवा अन्य आंकड़ों के पुन:-निर्माण हेतु मशीनों के पुर्ज़ों के रूप में गलत वर्गीकरण

'ऑप्टिकल ट्रांसपोंडर' "स्विचिंग और रूटिंग उपकरण" होने के कारण सीटीएच 85176290- अन्य मशीनों के रूप में अभिग्रहण, रूपांतरण और संचारण अथवा ध्वनि, छवियों के पुन:-निर्माण के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है और 20 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उदग्राह्य है। इन मशीनों के 'पुर्ज़ों' को सीटीएच 85177090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और अधिसूचना सं. 57/2017-सीमा शुल्क (क्रमांक 5) दिनांक 30 जून, 2017 के अंतर्गत बीसीडी से छूट प्राप्त हैं।

वर्ष 2019-20 की अवधि में सीमा शुल्क आयुक्तालय (पत्तन), कोलकाता के माध्यम से ₹95.44 करोड़ मूल्य के 'ओएसएन-10जीटीएक्स पीओएनडीईआर 1550 एनएम 192 2टी एचज़ेडएलसी/पीसी-ए' के आयात हेतु कुल 121 बीई फाइल किए गए। लेखापरीक्षा नमूना जांच में ₹57.12 करोड़ मूल्य के 50 बीई की जांच की गई और गलत वर्गीकरण के कारण पांच बीई में ₹1.89 करोड़ के शुल्क के कम उद्ग्रहण को इंगित किया गया।

मैसर्स डी लि. ने सीमा शुल्क आयुक्तालय (पत्तन), कोलकाता के माध्यम से 'ओएसएन-10जीटीएक्स-पीओएनडीईआर 1550 एनएम 192 2टी एचज़ेडएलसी/पीसी-ए' की पांच खेपों का आयात (दिसंबर 2019 से जनवरी 2020) किया गया। विभाग ने आयातित वस्तुओं को सीटीएच 85177090 के अंतर्गत उन्हें दूरसंचार/नेटवर्किंग उपकरण के पुर्ज़े के रूप में गलत वर्गीकृत करके स्वीकृत किया और अधिसूचना सं. 57/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून, 2017 के अंतर्गत बीसीडी से छूट प्रदान की।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातित वस्तुएं "स्विचिंग और रूटिंग उपकरण" होने के कारण स्वयं किसी भी उपकरण का 'पुर्ज़ा' होने के स्थान पर एक भिन्न कार्य करता है, जो सीटीएच 85177090 के स्थान पर सीटीएच 85176290 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है। तदनुसार, बीसीडी 'शून्य' के स्थान पर 20 *प्रतिशत* की दर से उदग्राहय था। प्रमाणित साक्ष्य के रूप में, यह भी पाया गया कि मैसर्स ई इंडिया, हांगकांग ने दो बीई के समर्थक चालानों में ट्रांसपोंडर को सीटीएच 85176290 के अंतर्गत वर्गीकृत किया था। इसी प्रकार मैसर्स डी लि. ने इसी अवधि में कोलकाता (समुद्र) आईएनसीसीयू 1 के माध्यम से एक ऐसी ही वस्तु अर्थात् ट्राँसरिसीवर का आयात सीटीएच 85176290 के अंतर्गत किया था।

गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹1.89 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ, जो आयातक से लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था।

यह जुलाई 2022 में मंत्रालय को इंगित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2022)।

3.6.4 'नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स' को 'वॉयस, इमेज या डेटा के रिसेप्शन, ट्रांसमिशन की मशीनों के पार्ट्स' के रूप में गलत वर्गीकरण

ध्वनि, छवियों या अन्य डेटा, वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क में संचार के लिए (नेटवर्क इंटरफेस कार्ड-मॉडेम का आंतरिक भाग) उपकरण सहित ट्रांसमिशन या रिसेप्शन, रूपांतरण के लिए 'नेटवर्क इंटरफेस कार्ड' को सीटीएच 85176290 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और 20 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लागू होता है।

दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 की अवधि में, सीटीएच 85177090 के अंतर्गत 'नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और अन्य' के आयात के लिए सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एसीसी, नई दिल्ली के माध्यम से कुल 6,371 बीई फाइल किए गए थे, जिसमें ₹4,896 करोड़ का आयात सम्मिलित था। लेखापरीक्षा ने नेटवर्क इंटरफेस कार्डों के आयात से संबंधित पूरे आंकड़ों को जांचा तथा पांच बीई में वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण ₹89.39 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण इंगित किया।

मैसर्स एफ मीटर्स लि. और मैसर्स जी कम्युनिकेशंस इंडिया प्रा. लि. ने (दिसंबर 2018 से जनवरी 2019) सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एसीसी, नई दिल्ली के माध्यम से सीटीएच 85177090 के अंतर्गत 'नेटवर्क इंटरफेस कार्ड' की पांच खेपों का आयात किया। विभाग ने आयातक की घोषणा को स्वीकृत करते हुए वस्तुओं को 'स्विचिंग और रूटिंग उपकरण सहित ध्वनि, छवियों या आंकड़ों का अभिग्रहण, रूपांतरण और संचारण की मशीनों के पुर्ज़ों' के रूप में स्वीकृत किया और अधिसूचना सं. 57/2017-सीमा शुल्क, क्र. स. 5, दिनांक 30 जून, 2017 के अंतर्गत बीसीडी से छूट की अनुमति दी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि आयातित वस्तुएं 'स्विचिंग और रूटिंग उपकरण' थीं, न कि पुर्ज़ा जो कि सीटीएच 85177090 के स्थान पर सीटीएच 85176290 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य थी। तदनुसार, आयातित वस्तुएं पर बीसीडी 20 *प्रतिशत* की दर से उदग्राहय थीं और पूर्वोक्त अधिसूचना में छूट हेतु पात्र नहीं होंगी। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹89.39 लाख का शुल्क कम उद्ग्रहीत हुआ, जो लागू ब्याज सहित आयातकों से वसूली योग्य था।

यह इंगित (फरवरी/मई 2019) किए जाने पर, विभाग ने (जुलाई 2021) सूचित किया कि मामले का अधिनिर्णयन किया गया था, जिससे ₹89.91 लाख की मांग की पुष्टि हुई। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

3.6.5 "स्मार्ट घड़ियों" का "अन्य कलाई घड़ियों" के रूप में गलत वर्गीकरण

कॉल करने हेतु, बीपी मॉनिटर, हार्ट पल्स रेट आदि (आमतौर पर स्मार्ट घड़ियों के रूप में ख्यात) जैसे समय-पालन से संबंधित कई कार्यों से भिन्न "कलाई में पहनने योग्य उपकरणों" को सीटीएच 85176290 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है और बीसीडी 20 *प्रतिशत* की दर से और आईजीएसटी 18 *प्रतिशत* की दर से लागू हैं।

फरवरी से मार्च 2019 की अवधि में एसीसी आयात आयुक्तालय, दिल्ली के माध्यम से सीटीएच 91021900 के अंतर्गत ₹33.78 करोड़ मूल्य के माल का 156 बीई के अंतर्गत आयात किया गया था। लेखापरीक्षा ने "जी वॉच (स्मार्ट वॉच)" के आयात हेतु पूरे आंकड़ों को फिल्टर किया तथा ₹3.33 करोड़ मूल्य के आयात संबंधी दो बीई में ₹86.63 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण पाया।

मैसर्स एच इंडिया प्रा. लि. ने (मार्च 2019) एसीसी आयात आयुक्तालय, दिल्ली के माध्यम से ₹3.33 करोड़ मूल्य की "जी वॉच (स्मार्ट वॉच)" की दो खेपों का आयात किया। माल को सीटीएच 91021900 के अंतर्गत "समय-पालन से गैर संबंधित अन्य कार्य वाली अन्य कलाई घड़ियों" के रूप में गलत वर्गीकरण किया गया और अधिसूचना सं. 152/2009, क्रमांक 955 दिनांक 31 दिसंबर 2009 के अंतर्गत बीसीडी से छूट प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि आयातित वस्तुएं "स्मार्ट घड़ियां" हैं जो सीटीएच 85176290 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं। आयातित वस्तुएं अधिसूचना सं. 152/2009 के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि छूट साधारण कलाई घड़ियों हेतु थीं और समय पालन से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त कई अन्य कार्य करने वाली 'स्मार्ट घड़ी' के लिए नहीं। इस प्रकार, आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹86.63 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2019) विभाग ने मामले का अधिनिर्णयन किया (अक्टूबर 2020) और ₹8 लाख के जुर्माने और ब्याज सहित कुल ₹86.63 लाख की मांग की पुष्टि की।

3.6.6 'ध्वनि छवि अथवा आंकड़ों के प्रसारण अथवा अभिग्रहण हेतु उपकरण' को "माइक्रो कंप्यूटर /बड़े फ्रेम वाले कंप्यूटर से भिन्न स्वचालित आंकड़ा संसाधन इकाइयों" के रूप में गलत वर्गीकरण

एन पोर्ट डिवाइस सर्वर/डिवाइस सर्वर/स्विच जो 'ईथरनेट लैन में संचार हेतु बने "स्विचिंग और रूटिंग उपकरण" होने के कारण' को सीटीएच 85176990 के अंतर्गत "ध्वनि, छवियों अथवा अन्य आंकड़ों के प्रसारण अथवा अभिग्रहण हेतु अन्य उपकरण" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बीसीडी 10 *प्रतिशत* (10 अक्टूबर 2018 तक) और उसके बाद में 20 *प्रतिशत* पर उद्ग्राह्य है।

(क) वर्ष 2018-19 की अवधि में सीमा शुल्क आयुक्तालय (एसीसी और एअरपोर्ट), बेंगलुरू के माध्यम से सीटीएच 84715000/85365090 के अंतर्गत ₹4.43 करोड़ मूल्य की वस्तुएं 'ईथरनेट स्विच, ईथरनेट लैन में संचार हेतु प्रयुक्त वस्तुएं, सीरियल टू फाइबर ऑप्टिकल कन्वर्टर आदि' के आयात हेतु कुल 18 बीई फाइल किए गए थे। लेखापरीक्षा ने 14 बीई की नमूना जांच की और ₹3.99 करोड़ के आयात वाली सभी 14 बीई में ₹70.98 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण इंगित किया जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में में वर्णित है।

मैसर्स आई प्रा. लि., बेंगलुरु ने (मार्च 2018 से जुलाई 2019) सीमा शुल्क आयुक्तालय (एसीसी और एयरपोर्ट), बेंगलुरु के माध्यम से 'एनपोर्ट डिवाइस सर्वर/डिवाइस सर्वर' की 13 खेपों का आयात किया। आयातक ने सीटीएच 84715000 के अंतर्गत वस्तुओं को "माइक्रो-कंप्यूटर (सीटीएच 847141)/लार्ज फ्रेम वाले कंप्यूटर (सीटीएच 847149) से भिन्न स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग इकाइयों" के रूप में घोषित किया। विभाग ने आयातक की घोषणा को स्वीकारते हुए वस्तुओं को सीटीएच 84715000 के अंतर्गत अधिसूचना सं. 24/2005 (क्र.सं. 8) के तहत निर्दिष्ट वस्तुओं का छूट लाभ देते हुए बीसीडी को 'शून्य' *प्रतिशत* की दर से लागू करके निष्कासित किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 'ईथरनेट लैन में संचार में प्रयोग होने वाले एनपोर्ट डिवाइस सर्वर/डिवाइस सर्वर की वस्तुएं' होने के कारण सीटीएच 85176990 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं और अधिसूचना संख्या 24/2005 के अंतर्गत छूट लाभ के लिए पात्र नहीं थे क्योंकि सीटीएच 85176990 को इस अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया था। गलत वर्गीकरण के

परिणामस्वरूप ₹53.50 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ, जो आयातक से लागू ब्याज सहित वसूला जाना चाहिए था।

(ख) ऐसे ही एक अन्य मामले में, मैसर्स जे लि., बेंगलुरु ने सीमा शुल्क आयुक्तालय (एसीसी और एअरपोर्ट), बेंगलुरु के माध्यम से ₹1.64 करोड़ के निर्धारण मूल्य के माल की एक खेप 'स्विच 7210-एसएएस कार्ड सिस-72-एएलएमपी-10067-एचएफ' का आयात (जनवरी 2019) किया। आयातक ने सीटीएच 85365090 के अंतर्गत माल को "विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अन्य स्विच" के रूप में घोषित किया। विभाग ने आयातक की घोषणा को स्वीकार किया और माल का सीटीएच 85365090 के अंतर्गत निर्धारण कर 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी को उद्ग्रहीत करते हुए निकासी की। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि माल 'स्विच 7210-एसएएस कार्ड सिस-72-एएलएमपी-10067-एचएफ' सीटीएच 85176990 के अंतर्गत "ध्वनि, छवियों या अन्य आंकड़ों के अभिग्रहण, रूपांतरण और संचरण या पुनरुत्पादन हेतु अन्य मशीन" के रूप में वर्गीकरण योग्य है और 20 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उद्ग्राहय है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹17.48 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस प्रकार, लागू ब्याज सहित आयातकों से कुल ₹70.98 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ, जो वसूली योग्य था।

यह इंगित किए जाने (जनवरी/अगस्त/सितंबर 2020/मार्च और अक्टूबर 2021) पर, विभाग ने बताया (जून 2021) कि 13 बीई में से एक बीई मैसर्स आई प्रा. लि., बेंगलुरु से लागू ब्याज सहित ₹3.43 लाख की राशि वसूल की गई थी और मैसर्स जे लि., बेंगलुरू के विरूद्ध ₹21.37 लाख की मांग की पुष्टि (दिसंबर 2021) की गई। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

3.6.7 कपास के अतिरिक्त अन्य सामग्री से बनी लाइफ वेस्ट को अध्याय 89 के 'जलयान, नौकाओं और प्लवमान संरचनाओं' के रूप में गलत वर्गीकरण

"कपास के अतिरिक्त अन्य सामग्री से बनने वाले लाइफ जैकेट" सीटीएच 63072090 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं और 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी के अंतर्गत आते हैं (दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017 एकीकृत कर (दर) की अनुसूची II के क्रमांक 171)

मार्च 2019 से मार्च 2021 की अवधि में 85 बीई के अंतर्गत एनसीएच, नई दिल्ली (आयात आयुक्तालय) के माध्यम से सीटीएच 89071000 के अंतर्गत ₹24.06 करोड़ मूल्य के किए गए आयात हेतु, लेखापरीक्षा ने 'लाइफ वेस्ट' के आयात से संबंधित सम्पूर्ण आंकड़ों की जांच की और ₹5.01 करोड़ के आयात संबंधी दो बीई में ₹96.81 लाख के शुल्क का कम भुगतान पाया।

मैसर्स के. कंट्रोल यूनिट ने ₹5.01 करोड़ मूल्य की 'लाइफ वेस्ट' की दो खेपों का आयात (अगस्त 2020) किया। माल को सीटीएच 89071000 "अन्य प्लवमान संरचनाएं- इन्फ्लेटेबल राफ्ट" के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किया गया और बीसीडी 'शून्य' की दर से और आईजीएसटी 5 *प्रतिशत* की दर से निर्धारित किया गया {दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017 एकीकृत कर (दर) की अनुसूची 1 के क्रमांक 251}

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ (मार्च 2021) कि आयातित वस्तुएं "लाइफ वेस्ट" थीं जो एक प्रकार की लाइफ जैकेट है और पानी में डूबने के खतरे की स्थिति में किसी व्यक्ति के बचाव हेतु पहनी जाती हैं। सीटीएच 8907 के एचएसएन टिप्पणियों के अनुसार, लाइफ जैकेट को अध्याय 89- 'जलयान, नौकाओं और प्लवमान संरचनाओं' से बाहर रखा गया है और उन्हें सामग्री के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, सीटीएच -63072090 कपास के अलावा अन्य सामग्री से बने लाइफ जैकेट को सम्मिलित करता है। इसलिए, आयातित वस्तुएं सीटीएच 63072090 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं और 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी के

अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार, आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹96.81 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने (मार्च 2021) पर विभाग ने (सितंबर 2021) सूचित किया कि आयातक को एक नोटिस पूर्व परामर्श (अगस्त 2021) जारी किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

3.6.8 स्वचालित विनियमन और नियंत्रण उपकरण के कुछ पुर्ज़े- 'थ्रॉटल प्रवर्तक परीक्षण सेट' को 'वायुयान के पुर्ज़ों' के रूप में गलत वर्गीकरण

स्वचालित विनियमन और नियंत्रण उपकरणों के कुछ पुर्ज़े सीटीएच 90329000 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए और क्रमशः 2.5 *प्रतिशत* और 18 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और आईजीएसटी के अंतर्गत आते हैं {दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) अनुसूची III, क्रमांक 422}।

वायुयान/हैलिकॉप्टर के इंजन में भरे जाने वाले ईंधन या हवा की मात्रा को विनियमित कर इंजन की शक्ति को नियंत्रित करने में 'थ्रॉटल प्रवर्तक परीक्षण सेट' और 'ईंधन कंप्यूटर परीक्षण सेट' सामंजस्य में काम करते हैं और इसलिए सीटीएच 90329000 के अंतर्गत "मोटर वाहन के पुर्ज़े और उपसाधन" विनियमन अथवा नियंत्रण उपकरण के रूप में वर्गीकरण योग्य हैं।

वर्ष 2018-19 में सीटीएच 88033000 के अंतर्गत वस्तुओं के आयात हेतु ₹39.66 करोड़ मूल्य सहित कुल 198 बीई एसीसी, नेदुमबेसेरी में फाइल किए गए। लेखापरीक्षा में ₹33.14 करोड़ के निर्धारण मूल्य वाले 30 बीई की नमूना जांच की और एक बीई में ₹86.10 लाख का कम उद्ग्रहण पाया। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के खंड XVII के नोट 2 के अनुसार, "पुर्ज़े" और "पुर्ज़े एवं सहायक उपकरण" की व्याख्या अध्याय 90 की वस्तुओं पर लागू नहीं होती है।

मैसर्स एल बेस, कोच्चि ने एसीसी, नेदुमबेसेरी के माध्यम से "थ्रॉटल प्रवर्तक परीक्षण सेट (4 संख्या)" और "ईंधन कंप्यूटर परीक्षण सेट (4 संख्या)" की एक खेप (नवंबर 2018) आयात की थी। विभाग ने आयातित वस्तुओं को सीटीएच 88033000 के अंतर्गत उन्हें 'वायुयानों के पुर्जों' के रूप में गलत

वर्गीकृत किया और तीन *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और पांच *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी {अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 की अनुसूची-1, क्र.सं. 245} से उद्ग्रहीत किया।

लेखापरीक्षा ने आयात दस्तावेज़ों से पाया कि विदेशी आपूर्तिकर्ता ने अपने चालान में सीटीएच 90329000 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं को 'स्वचालित विनियमन अथवा नियंत्रण उपकरण के पुर्जे और सहायक उपकरण' के रूप में वर्गीकृत किया था, जिन्हें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के खंड XVII के नोट 2 के तर्काधार से, सीटीएच 8803 के अंतर्गत वायुयानों/ हैलिकॉप्टरों के पुर्ज़ों के रूप में माना जाने से अलग किया गया है।

आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण और बीसीडी/आईजीएसटी की गलत दर के अनुप्रयोग से ₹86.10 लाख का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने (मार्च 2019) पर, विभाग ने ₹12.63 लाख के लागू ब्याज सहित ₹86.10 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण की वसूली को सूचित किया (फरवरी 2020)।

3.6.9 'गढ़ा हुआ टाइटेनियम' को 'टाइटेनियम की वस्तुओं' के रूप में गलत वर्गीकरण

सीटीएच 81089010 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य "गढ़ा हुआ टाइटेनियम" 5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी के अंतर्गत आता है; जबकि 'टाइटेनियम की वस्तुएं' सीटीएच 81089090 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं और 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी के अंतर्गत आते हैं।

टाइटेनियम को मुख्यत: तीन भिन्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार हैं -

(क) अनगढ- कच्चे रूप में टाइटेनियम, जहां टाइटेनियम पर कोई प्रसंस्करण नहीं किया गया;

(ख) गढा हुआ- टाइटेनियम को विस्पंदन कर आकार दिया जाता है जैसे- सलाखें, ट्यूबों, छड़, बिलेट्स आदि, और

(ग) तैयार उत्पाद अथवा टाइटेनियम की वस्तुएं - दाब पात्र, ऊष्मा विनियमक, मशीनी घटक आदि,

गढ़ा हुआ टाइटेनियम सीटीएच 81089010 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है, यदि ऐसे आयातित उत्पाद विस्पंदित प्रकार के रूप में हो जैसे- प्लेट, बार, ट्यूब, छड़, बिलेट आदि। तैयार उत्पाद के निर्माण हेतु, एक शर्त यह भी है कि टाइटेनियम गढ़े रूप में होना चाहिए ताकि इसे काटने, बनाने, मशीनिंग और जोड़ने जैसी प्रक्रियाओं द्वारा प्रसंस्कृत किया जा सके और आवश्यकतानुसार आवश्यक आकार और माप में बनाया जा सके। इस प्रकार का तैयार उत्पाद 'टाइटेनियम की वस्तु' बन जाता है और अत: सीटीएच 81089090 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है।
अप्रैल 2018 से मार्च 2019 में समुद्र सीमा शुल्क चेन्नई में फाइल 28 बीई में से लेखापरीक्षा ने सभी बीई की जांच की और 10 बीई में ₹68.09 लाख के बीसीडी/आईजीएसटी के कम उद्ग्रहण को पाया।

मैसर्स एम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि. चेन्नई, ने (जुलाई 2018 से फरवरी 2019) 10 बीई के अंतर्गत टाइटेनियम वस्तुओं के अंतर्गत ₹10.49 करोड़ के निर्धारण मूल्य वाले टाइटेनियम सीमलेस यू-ट्यूब, टाइटेनियम बेंड यू-ट्यूब, टाइटेनियम बार, टाइटेनियम रॉड और टाइटेनियम प्लेट्स को आयुक्तालय (समुद्र) चेन्नई के माध्यम से आयात किया। विभाग ने आयातित वस्तुओं को सीटीएच 81089010 के अंतर्गत "गढ़े हुए टाइटेनियम के रूप में वर्गीकृत किया और पांच *प्रतिशत* की दर से बीसीडी का उद्ग्रहण किया।

लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि आयातित वस्तुएं तैयार टाइटेनियम उत्पाद जैसे टाइटेनियम सीमलेस यूट्यूब-, टाइटेनियम बेंड यूट्यूब-, टाइटेनियम प्लेट्स आदि हैं, इस कारण मात्र से कि उन्हें काटने, बनाने, मशीनिंग और जोड़ने जैसे आगे के प्रसंस्करण से निकलना पड़ा और आवश्यक आकार और परिमाप में ढाला गया था। तदनुसार, आयातित वस्तुओं का सीटीएच 81089090- टाइटेनियम वस्तुओं के अंतर्गत वर्गीकरण उचित है और बीसीडी 10 *प्रतिशत* और आईजीएसटी 18 *प्रतिशत* की दर पर उद्ग्राह्य है। अत: गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹68.09 लाख की राशि के बीसीडी और आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने (दिसंबर 2019) पर, विभाग ने (जनवरी 2021) ₹67.86 लाख की मांग की पुष्टि की। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

3.6.10 'पैलेडियम के अकार्बनिक अथवा कार्बनिक यौगिकों' को विविध रासायनिक उत्पाद जो कहीं निर्दिष्ट नहीं हो, के रूप में गलत वर्गीकरण

'पैलेडियम के अकार्बनिक या कार्बनिक यौगिकों' को सीटीएच 28439019 के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता है और 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी के उद्ग्राह्य है।

जून 2019 से जून 2021 की अवधि में एनसीएच, नई दिल्ली (आयात आयुक्तालय) के माध्यम से सीटीएच 38249900 के अंतर्गत ₹128.04 करोड़ मूल्य के 2,011 बीई के अंतर्गत आयात किया गया। लेखापरीक्षा ने 'पैलेडियम सल्फेट सॉल्यूशन चार *प्रतिशत* पीडी' के आयात से संबंधित संपूर्ण आंकड़ों को जांचा गया और 10 बीई जिसमें ₹16.55 करोड़ मूल्य का आयात शामिल था, में ₹53.69 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण पाया।

मैसर्स एन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से 10 बीई के अंतर्गत ₹16.55 करोड़ मूल्य के "पैलेडियम सल्फेट सॉल्यूशन चार *प्रतिशत* पीडी" का आयात किया (अवधि जून 2020 से मई 2021) और ₹3.93 करोड़ की राशि के शुल्क का भुगतान किया। आयातित वस्तुओं को सीटीएच 38249900 के अंतर्गत 'ढलाई साँचों के लिए अन्य तैयार बाइंडर्स; रासायनिक उत्पाद अथवा रसायन की सामग्री अथवा संबद्ध उद्योगों, जो कहीं निर्दिष्ट नहीं है' के रूप में वर्गीकृत किया गया था; और 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उद्ग्रहीत किया गया/ बीसीडी छूट दी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि आयातित माल पैलेडियम के यौगिक थे, जो सीटीएच 28439019 के अंतर्गत 'पैलेडियम के अन्य यौगिकों' के रूप में वर्गीकरण योग्य है, जो 7.5 *प्रतिशत* के स्थान पर 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी के अंतर्गत आते हैं। अत: आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹53.69 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने (जून 2021) पर, विभाग ने ₹4.81 लाख के ब्याज सहित ₹53.69 लाख की पूर्ण वसूली के बारे में सूचित किया (अगस्त 2021)।

3.6.11 न्यूट्रलिस मटर प्रोटीन को "अन्य प्रोटीन पदार्थों" के रूप में गलत वर्गीकरण

सीटीएच 3504 के एचएसएन की व्याख्यात्मक टिप्पणी के अनुसार, वनस्पति पदार्थ से निष्कर्षण द्वारा प्राप्त प्रोटीन और प्रोटीन का मिश्रण अलग होता है, जिसमें प्रोटीन अवयव 90 *प्रतिशत* से कम नहीं होता है, इस शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य होगा।

तथापि, सीटीएच 2106 के अंतर्गत एचएसएन व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अनुसार 'अन्य कहीं गैर-निर्दिष्ट अथवा सम्मिलित खाद्य सामग्री- प्रोटीन सांद्रण और बनावटी प्रोटीन पदार्थ' सीटीएच 21061000 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है और 30 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 28 *प्रतिशत* / 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी के अंतर्गत आते हैं [1 जुलाई 2017 से 14 नवंबर 2017 तक 28 *प्रतिशत* और 15 नवंबर 2017 से आगे 18 *प्रतिशत* पर {दिनांक 14 नवंबर, 2017 की संशोधित अधिसूचना सं. 43/2017- एकीकृत कर (दर)]।

1 जुलाई 2017 से 30 अप्रैल 2018 की अवधि में, सीटीएच 3504 के अंतर्गत सीमा शुल्क समुद्र चेन्नई में ₹8.02 करोड़ के निर्धारण मूल्य (एवी) वाले 25 बीई फाइल किए गए और सभी बिलों की जांच की गई। लेखापरीक्षा संवीक्षा से छह खेपों में आयातों के गलत वर्गीकरण का पता चला, जिससे ₹41.62 लाख का शुल्क कम उद्ग्रहीत हुआ।

मैसर्स ओ एजेंसीज प्रा. लि. ने सीमा शुल्क समुद्र चेन्नई के माध्यम से 'न्यूट्रलिस-मटर प्रोटीन' की छह खेपों का आयात किया। माल को सीटीएच 35040099 के अंतर्गत "पेपटॉन और उनके व्युत्पन्नों, अन्य प्रोटीन पदार्थ और उनके व्युत्पन्न; जो कहीं ओर निर्दिष्ट या सम्मिलित न हो -अन्य" के रूप में वर्गीकृत किया गया था और बीसीडी/आईजीएसटी क्रमशः 20 *प्रतिशत* और 18 *प्रतिशत* की दर से उद्ग्रहीत किया गया था।

चूंकि आयातित 'न्यूट्रालिस-मटर प्रोटीन' में प्रोटीन की मात्रा 90 *प्रतिशत* से कम है और यह प्रोटीन का मिश्रण नहीं है, (जो सीटीएच 3504 के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु एक अनिवार्य शर्त है), तो आयातित वस्तुएं सीटीएच 21061000 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है। आयातक द्वारा प्रस्तुत परीक्षण प्रतिवेदनों से

विभाग द्वारा इस तथ्य पुष्टि की गई कि निहित प्रोटीन 90 *प्रतिशत* से कम है। तदनुसार, आयातित 'न्यूट्रालिस-मटर प्रोटीन' पर बीसीडी 30 *प्रतिशत* और आईजीएसटी 28/18 *प्रतिशत* के दर पर उद्ग्रहण योग्य है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹41.62 लाख का शुल्क कम उद्ग्रहीत हुआ।

यह इंगित किए जाने (जुलाई 2019) पर, विभाग ने (फरवरी 2021) ₹44.20 लाख की मांग की पुष्टि की। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

3.6.12 भोजन सामग्री, जो कहीं और निर्दिष्ट नहीं है- "विज़्योन स्टेला सांद्रित वनिला व्हिपिंग/व्हिप्ड क्रीम" का 'अन्य शर्करा कन्फैक्शनरी' के रूप में गलत वर्गीकरण

"विज़्योन स्टेला सांद्रित वनिला व्हिपिंग/ व्हिप्ड क्रीम" सीटीएच 21069099 के अंतर्गत 'कहीं और निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हो खाद्य सामग्री- अन्य' के रूप में वर्गीकरण योग्य तथा 50 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी के अंतर्गत आती है (अधिसूचना सं. 06/2018-सीमा शुल्क दिनांक 2 फरवरी, 2018 द्वारा संशोधित अधिसूचना सं.50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून, 2017 का क्रमांक 103)।

अगस्त 2018 से दिसंबर 2020 में, जेएनसीएच आयुक्तालय, मुंबई के माध्यम सीटीएच 17049090 के अंतर्गत ₹1.48 करोड़ मूल्य के "विज़्योन स्टेला सांद्रित वनिला व्हीप्ड क्रीम" का नौ बीई के अंतर्गत आयात किया गया, लेखापरीक्षा नमूना जांच में सभी बीई की जांच की गई और ₹38.57 लाख की राशि के शुल्क के कम उद्ग्रहण को इंगित किया।

मैसर्स पी इंडिया प्रा. लि. ने (अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2020) जेएनसीएच आयुक्तालय, मुंबई जोन-II के माध्यम से "विज़्योन स्टेला सांद्रित वनिला व्हीप्ड/व्हीप्ड क्रीम" की नौ खेपों का आयात किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि आयातित वस्तुओं को सीटीएच 17049090 {शर्करा कन्फैक्शनरी (सफेद चॉकलेट सहित), जिसमें कोको शामिल नहीं है- अन्य} के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किया और 30 *प्रतिशत* की दर पर बीसीडी उद्ग्रहीत किया। चूंकि आयातित वस्तुएं शर्करा कन्फैक्शनरी नहीं थीं, इसलिए ये सीटीएच 20169090 के अंतर्गत 'कहीं और निर्दिष्ट अथवा सम्मिलित नहीं हो, खाद्य सामग्री- अन्य' के रूप में वर्गीकरण योग्य हैं और बीसीडी 50 *प्रतिशत* की दर

से उदग्राह्य हैं। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹38.57 लाख का शुल्क कम उद्ग्रहीत हुआ।

यह इंगित किए जाने (फरवरी 2021) पर, विभाग ने आयातक को कम शुल्क सह मांग नोटिस (अगस्त 2021) जारी किया। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित हैं (सितंबर 2022)।

3.6.13 'फ्लाइंग सिम्युलेटर और उसके पुर्ज़ों' का 'वायुयान अथवा हैलिकॉप्टरों के अन्य पुर्ज़ों' के रूप में गलत वर्गीकरण

"एयर कॉम्बैट सिम्युलेटर और उसके कुछ पुर्ज़ों" को सीटीएच 88052100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और ये 10 *प्रतिशत* की दर पर बीसीडी और 18 *प्रतिशत* की दर पर आईजीएसटी के अंतर्गत आते हैं (अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, अनुसूची III, क्रमांक 406)।

मार्च 2019 से अप्रैल 2020 के दौरान ₹174.78 करोड़ मूल्य के सीटीएच 8801 अथवा 8802 के माल के पुर्जों का चार बीई के अंतर्गत एनसीएच आयुक्तालय, मुंबई के माध्यम से आयात किया गया। लेखापरीक्षा ने सभी चार बीई की नमूना जांच की और ₹171.74 करोड़ के आयात वाले एक बीई के मामले में ₹38.66 करोड़ के कम उद्ग्रहण को इंगित किया।

मैसर्स क्यू मुख्यालय ने (जनवरी 2019) एनसीएच आयुक्तालय, मुंबई जोन-I के माध्यम से "सिम्युलेटर" की एक खेप आयात किया गया। आयातित वस्तुओं को सीटीएच 88033000 के अंतर्गत "वायुयान अथवा हैलिकॉप्टरों के अन्य पुर्ज़ों" के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया और तीन *प्रतिशत* की दर पर बीसीडी और पांच *प्रतिशत* की दर पर आईजीएसटी उद्ग्रहीत करके निकासी की (दिनांक 28 जून 2017 की पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची I के क्रमांक 245)। आयातित वस्तुएं 'वायुयान अथवा हैलिकॉप्टरों के अन्य पुर्ज़े' (सीटीएच 88033000) नहीं बल्कि ज़मीनी प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु उपयोगी 'ग्राउंड उड़ान प्रशिक्षक और उनके पुर्जे' यथा एक स्वतंत्र उपकरण/घटक थे तथा सीटीएच 88052100 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है और 10 *प्रतिशत* की दर पर बीसीडी एवं 18 *प्रतिशत* की दर पर आईजीएसटी के अंतर्गत आते हैं। इस

प्रकार, गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹38.66 करोड़ का कम शुल्क उद्ग्रहीत हुआ, जिसकी लागू ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

यह इंगित किए जाने (नवंबर 2020) पर, विभाग ने (दिसंबर 2020) ब्याज समेत ₹49.87 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

3.6.14 मोटर वाहनों के लिए इंजन का पुर्ज़ा-क्रैंकशाफ्ट बीयरिंग आदि को "बीयरिंग हाउसिंग जिसमें बॉल अथवा रोलर बीयरिंग सम्मिलित नहीं हैं" के रूप में गलत वर्गीकरण

'स्पार्क इग्निशन इंटरनल कम्बस्चन इंजन' (सीटीएच 8407) अथवा 'कंप्रेशन इग्निशन इंटरनल कम्बस्चन इंजन' (सीटीएच 8408) के साथ केवल अथवा मुख्यत: उपयोग हेतु उपयुक्त पुर्ज़े" शीर्षक 8409 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं। ये वस्तुएं 15 *प्रतिशत* की दर पर बीसीडी और 28 *प्रतिशत* की दर पर आईजीएसटी के अंतर्गत आती हैं {दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं.1/2017-एकीकृत कर (दर) की अनुसूची IV क्र.सं.116}।

मोटर वाहन हेतु इंजन का एक पुर्ज़ा होने के कारण, "क्रैंकशॉफ्ट बीयरिंग हॉफ", सीटीएच 8409- 'स्पार्क इग्निशन इंटरनल कम्बस्चन इंजन' (सीटीएच 8407) अथवा 'कम्प्रेशन इग्निशन इंटरनल कम्बस्चन इंजन' (सीटीएच 8408) के साथ केवल अथवा मुख्यत: उपयोग हेतु उपयुक्त पुर्ज़ों" के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य उचित है और 15 *प्रतिशत* की दर पर बीसीडी और 28 *प्रतिशत* की दर पर आईजीएसटी के अंतर्गत आते हैं। {दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं.1/2017-एकीकृत कर (दर) की अनुसूची IV क्र.सं.116}।

1 जून, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान, आईसीडी, इरनगाट्टूकोट्टई के अंतर्गत सीटीएच 84833000 (₹15.37 करोड़ का निर्धारण मूल्य) के अंतर्गत 1,068 खेपों (172 बीई) को फाइल किया गया। लेखापरीक्षा में सभी बीई की जांच की गई और ₹2.20 करोड़ के निर्धारण मूल्य वाले 235 खेपों (32 बीई) में गलत वर्गीकरण को पाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹36.80 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

मैसर्स आर कमर्शियल व्हीकल्स प्रा. लि. ने आईसीडी इरनगाट्टूकोट्टई के माध्यम से (32 बीई) "क्रैंकशॉफ्ट बीयरिंग हॉफ" (इंजन का पुर्ज़ा होने के

कारण) आयातित किए गए और इनको सीटीएच 84833000 के अंतर्गत "बीयरिंग हाउसिंग, जिसमें बॉल अथवा रोलर बीयरिंग सम्मिलित नहीं हैं, प्लेन शॉफ्ट बीयरिंग" के रूप में वर्गीकृत किया। आयातित वस्तुओं पर बीसीडी 7.5 *प्रतिशत* की दर से और 31 दिसंबर, 2018 तक आईजीएसटी 28 *प्रतिशत* की दर पर तथा उसके बाद 18 *प्रतिशत* की दर पर उद्ग्रहीत किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मोटर वाहन हेतु इंजन का एक अनिवार्य पुर्ज़ा होने के कारण आयातित वस्तुएं "क्रैंकशॉफ्ट बीयरिंग हॉफ" सीटीएच 8409 के अंतर्गत "स्पार्क इग्निशन इंटरनल कम्बस्चन इंजन" (सीटीएच 8407) अथवा 'कम्प्रेशन इग्निशन इंटरनल कम्बस्चन इंजन' (सीटीएच 8408) के साथ केवल अथवा मुख्यत: उपयोग हेतु उपयुक्त पुर्ज़ों" के रूप में वर्गीकरण योग्य उचित है और 15 *प्रतिशत* की दर पर बीसीडी और 28 *प्रतिशत* की दर पर आईजीएसटी के अंतर्गत आते हैं। अत:, आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹36.80 लाख का शुल्क कम उद्ग्रहीत हुआ।

यह इंगित (मई 2020) किए जाने पर, विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2021) कि ₹36.80 लाख के अवकलन शुल्क की मांग की पुष्टि की गई है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (सितंबर, 2022)।

3.6.15 74 सेंटीमीटर' से अधिक स्क्रीन के आकार वाले प्लाज्मा एलईडी टीवी का अधिकतम 68 सेंटीमीटर स्क्रीन आकार वाले टेलीविजन/टेलीविजन सेट के पुर्ज़ों के रूप में गलत वर्गीकरण

सीटीएच 852872 के अंतर्गत '74 सेंटीमीटर से अधिक स्क्रीन के आकार वाले प्लाज्मा एलईडी टीवी' वर्गीकरण योग्य है और 20 *प्रतिशत* की दर पर बीसीडी और 28 *प्रतिशत* की दर पर आईजीएसटी उदग्राह्य हैं {दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर), के क्रमांक 154 की अनुसूची-IV, यथा संशोधित}

सीटीएच 8529 के अंतर्गत 'सोनी प्लाज्मा एलईडी टीवी' के आयात हेतु अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान सीमा शुल्क आयुक्तालय, सीमा शुल्क भवन, अहमदाबाद के अधीन आईसीडी अंकलेश्वर के माध्यम से ₹2.16 करोड़ मूल्य के कुल चार बीई फाइल किए गए थे। लेखापरीक्षा नमूना जांच में सभी बीई

की जांच की गई और तीन बीई में ₹36.76 लाख के आईजीएसटी के कम उद्ग्रहण सूचित किया।

मेसर्स एस ट्रेडर्स ने सीमा शुल्क आयुक्तालय, सीमा शुल्क भवन, अहमदाबाद के अधीन आईसीडी अंकलेश्वर के माध्यम से "74 सेंटीमीटर से अधिक स्क्रीन के आकार वाले सोनी प्लाज्मा एलईडी टीवी" की तीन खेपों (अगस्त 2018) का आयात किया था। विभाग ने सीटीएच 85299090 के अंतर्गत आयातित एलईडी को "रेडियो/टेलीविजन हेतु पुर्ज़ों" के रूप में गलत वर्गीकृत किया और उन्हें पूर्वोक्त अधिसूचना के अंतर्गत क्रमशः 15 *प्रतिशत* की दर पर बीसीडी और 18/28 *प्रतिशत* (क्रमांक 384 ए, अनुसूची-III)/ 28 *प्रतिशत* (क्रमांक 154, अनुसूची-IV) की दर पर आईजीएसटी उद्ग्रहण हेतु निकासी दी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि आयातित वस्तुएं '74 सेंटीमीटर से अधिक स्क्रीन के आकार वाले सोनी प्लाज्मा एलईडी टीवी' (स्क्रीन 32 इंच से 55 इंच) हैं और सीटीएच 852872 के अंतर्गत 'टेलीविजन के लिए अभिग्रहण उपकरण' के रूप में वर्गीकरण उचित है, न कि सीटीएच 8529 के अंतर्गत 'रेडियो/टेलीविजन के पुर्ज़ों' के रूप में। तदनुसार, इन वस्तुओं पर 20 *प्रतिशत* की दर पर बीसीडी और 28 *प्रतिशत* की दर पर आईजीएसटी लागू होगा। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹36.76 लाख का शुल्क कम उद्ग्रहीत हुआ, जो आयातकों से ब्याज सहित वसूली योग्य था।

यह इंगित किए जाने (अगस्त 2019) पर, विभाग ने (अप्रैल 2021) सूचित किया कि शुल्क के अंतर की मांग करते हुए आयातक को एससीएन जारी किया गया था। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (सितंबर 2022)।

3.7 अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि 33 मामले, जिनमें से प्रत्येक में ₹10 लाख या उससे अधिक का राजस्व सम्मिलित था, उनमें विभिन्न अधिसूचनाओं का अनुचित अनुप्रयोग हुआ। ₹9.07 करोड़ का कुल राजस्व निहितार्थ था। क्षेत्रीय निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से स्थानीय आयुक्तालयों को ₹10 लाख से कम मूल्य की अधिसूचनाओं के अनुचित अनुप्रयोग आवेदन के एकल मामलों की सूचना दी गई। विभाग ने ₹7.91 करोड़ के कुल निहितार्थ राजस्व वाले 30 मामलों को स्वीकार किया और ब्याज सहित 23 मामलों में ₹8.28 करोड़

की वसूली की सूचना दी। ₹3.86 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाले पांच मामलों पर अनुगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है और ₹5.21 करोड़ के निहितार्थ राजस्व वाले शेष 28 मामलों को **अनुलग्नक 4(19 मामले) और अनुलग्नक 5(9 मामले)** में सम्मिलित किया गया है।

3.7.1 आईजीएसटी अधिसूचनाओं के अंतर्गत कम/गैर-उद्ग्रहण

आईजीएसटी दरों के गलत अनुप्रयोग के कारण डीजल इंजनों के पुर्ज़ों पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण

शीर्ष 8407 के इंजनों के साथ केवल अथवा मुख्यत: उपयोगी उपयुक्त पुर्ज़े (स्पार्क इग्निशन/रोटरी इंटरनल कम्बस्चन इंजन अथवा 8408 (डीजल या अर्ध-डीजल इंजन)' का सीटीएच 8409 के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता हैं और 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी के अंतर्गत आते हैं {अधिसूचना सं. 01/2017-एकीकृत कर (दर) की अनुसूची IV के क्रमांक 116; दिनांक 28 जून, 2017}।

सीमा शुल्क आयुक्त (समुद्र), चेन्नई के माध्यम से जुलाई से अक्टूबर, 2017 के दौरान सीटीएच 8409 के अंतर्गत ₹89.39 करोड़ के निर्धारण मूल्य के साथ “डीजल इंजन” संकेत शब्द वाले फाइल किए गए 110 बीई में से सभी बीई के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि ₹20.19 करोड़ मूल्य के आयात वाले चार बीई में ₹1.31 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

मैसर्स क्यू मुख्यालय, चेन्नई और दो अन्य ने सीमा शुल्क आयुक्त (समुद्र), चेन्नई के माध्यम से "डीज़ल इंजन के पुर्ज़ों" की तीन खेपें (अगस्त से अक्टूबर 2017) आयात हुई थी। आयातकों ने आयातित वस्तुओं को विभिन्न सीटीएच 84212900/84818090 के अंतर्गत 'तरल पदार्थों के लिए अन्य फिल्टर या शुद्धिकरण मशीनरी और उपकरण'/'मशीनरी के लिए अन्य वाल्व्स’ के रूप में वर्गीकृत किया गया था और लागू आईजीएसटी दर 28 *प्रतिशत* के स्थान पर दिनांक 28 जून, 2017 की आईजीएसटी अधिसूचना सं. 01/2017-एकीकृत कर (अनुसूची III/ क्रमांक 322, 368 और 371) के अंतर्गत 18 *प्रतिशत* की दर पर आईजीएसटी उद्ग्रहण हेतु निकासी दी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि आयातित वस्तुएं "डीजल इंजन के पुर्जे" होने के कारण सीटीएच 8409 के अंतर्गत वर्गीकरण उचित है और 28 *प्रतिशत* की दर पर आईजीएसटी के अंतर्गत आती हैं (अधिसूचना संख्या 01/2017-एकीकृत कर (दर) की अनुसूची IV के क्रमांक 116 दिनांक 28 जून, 2017)। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹1.31 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ, जो लागू ब्याज सहित आयातकों से वसूली योग्य था।

यह इंगित किए जाने (फरवरी 2019) पर विभाग ने कहा (जनवरी 2021) कि मैसर्स क्यू मुख्यालय के मामले में शास्ति समेत ₹3.30 करोड़ के देय एवं दिए गए शुल्क के अंतर की वसूली की गई है। अन्य दो आयातकों (मैसर्स टी हेवी इंडस्ट्रीज और मैसर्स यू एग्रीकल्चर मशीनरी इंडिया प्रा. लि.) ने ₹1.21 लाख की राशि और ब्याज का भुगतान किया। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (सितंबर 2022)।

3.7.2 'स्टील ग्राइन्डिंग बॉल्स और धात्विक शीटों पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण

"स्टील ग्राइन्डिंग बॉल्स और धात्विक शीट" सीटीएच 7326 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं और अधिसूचना संख्या 01/2017-एकीकृत कर (दर) की अनुसूची III के क्रमांक 238 दिनांक 28 जून, 2017 के माध्यम से 18 *प्रतिशत* की दर पर आईजीएसटी निर्धारण योग्य हैं- "फोज़्ड़ या मुद्रांकित लोहे और इस्पात की अन्य वस्तुएं, किन्तु जिन पर आगे कुछ न किया गया हो; जैसे ग्राइन्डिंग बॉल्स, मोटरगाड़ी की वस्तुएं और अर्थमूविंग उपकरण और क्लेड धातु की वस्तुएं आदि"।

लेखापरीक्षा ने चेन्नई समुद्र सीमा शुल्क, चेन्नई में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान सीटीएच 73261990/73261100 के अंतर्गत फाइल ₹32.01 करोड़ के कुल निर्धारण मूल्य वाले 185 बीई की नमूना जांच की। यह पाया गया कि मैसर्स वी स्टील लिमिटेड ने ₹15.70 करोड़ के निर्धारण मूल्य वाले 'स्टील ग्राइंडिंग बॉल्स और धात्विक शीटों' की चार खेपो का आयात किया था और माल को सीटीएच 73261100/73261990 के अंतर्गत उचित वर्गीकृत किया था। तथापि, आयातित वस्तुओं को गणितीय बक्से, ज्योमेट्री बॉक्स और कलर बॉक्स, पेंसिल शार्पनर के रूप में दिनांक 28, जून 2017 की

आईजीएसटी अधिसूचना सं. 01/2017-एकीकृत कर (दर) क्रमांक 238, अनुसूची III के अंतर्गत 18 *प्रतिशत* की लागू दर के स्थान पर अधिसूचना की अनुसूची II के क्रमांक 180 के अंतर्गत 12 *प्रतिशत* की दर पर आईजीएसटी को लागू कर अनुमति दी गई थी।

इसके परिणामस्वरूप ₹1.05 करोड़ के एकीकृत कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने (सितंबर 2020) पर, विभाग ने (अप्रैल 2021) पूर्ण ₹1.05 करोड़ के कम उद्ग्रहण और ₹0.27 करोड़ के ब्याज की वसूली की सूचना दी।

3.7.3 '20 इंच से बड़े कम्प्यूटर मॉनिटरों' के आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण

'20 इंच से बड़े कंप्यूटर मॉनिटर' सीटीएच 8528 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं और 28 *प्रतिशत* की दर पर आईजीएसटी के अंतर्गत आते हैं (यथा संशोधित अधिसूचना सं.1/2017-एकीकृत कर (दर) की अनुसूची-IV के क्रमांक 154 दिनांक 28 जून, 2017)।

सीटीएच 8528 के अंतर्गत आयात हेतु अक्टूबर से दिसंबर 2018 में सीमा शुल्क आयुक्तालय, सीमा शुल्क भवन, एमपी एवं एसईजेड (मुंद्रा), गुजरात के माध्यम से ₹719 करोड़ मूल्य के कुल 585 बीई फाइल किए गए थे, लेखापरीक्षा ने "एलसीडी/एलईडी मॉनिटर" के आयात हेतु ₹9.62 करोड़ के आयात वाले 20 बीई की नमूना जांच की थी और सात बीई में ₹34.60 लाख के एकीकृत कर (आईजीएसटी) के कम उद्ग्रहण को इंगित किया गया था।

मैसर्स डब्ल्यू टेक्निकल प्रा. लि. और पांच अन्य ने सीमा शुल्क आयुक्तालय, सीमा शुल्क भवन, एमपी एवं एसईजेड (मुंद्रा), गुजरात के माध्यम से सीटीएच 85285900 के अंतर्गत (अक्टूबर से दिसंबर 2018) 'मेन बोर्ड रहित 20 इंच से बड़े स्क्रीन वाले एलईडी/एलसीडी' आयात किए। विभाग ने पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची-III के क्रमांक 383सी/384 के अंतर्गत 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी उद्ग्रहण वाली वस्तुओं को अनुमति दी, जो स्क्रीन आकार 68 सेंटीमीटर से अधिक न हो ऐसे एलसीडी या एलईडी टेलीविजन, टेलीविजन सेट सहित/कंप्यूटर मॉनिटर 20 इंच से बड़े ना हो, पर लागू है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि आयातित वस्तुएं सीटीएच 85285900 के अंतर्गत '20 इंच से बड़े आकार वाले एलईडी/एलसीडी मॉनिटर' हैं और लागू 18 *प्रतिशत* के स्थान पर 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी के अंतर्गत आते हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹34.60 लाख के आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण किया गया, जो लागू ब्याज सहित आयातकों से वसूली योग्य था।

यह इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2019), विभाग ने (फरवरी और मई 2021/जून 2022) बताया कि छः मामलों में ₹50.28 लाख की वसूली की जा चुकी है. शेष मामलों में वसूली लंबित थी (सितंबर 2022)।

3.7.4 आयातकों को अधिसूचना लाभ की गलत अनुमति

"कोटेड मेडिकल ग्रेड /अनकोटेड क्राफ्ट पेपर" के आयात पर अधिसूचना लाभ की गलत अनुमति के कारण बीसीडी का कम उद्ग्रहण

"कोटेड/अनकोटेड पेपर" क्रमशः सीटीएच-48116000/48043800 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है और 10 *प्रतिशत* की दर पर बीसीडी के अंतर्गत आता है।

सीटीएच 48043900/48116000/48119099 के अंतर्गत "मेडिकल ग्रेड कोटेड/अनकोटेड क्राफ्ट पेपर" के आयात हेतु मार्च 2019 से फरवरी 2021 में सीमा शुल्क आयुक्तालय, आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से ₹289.72 करोड़ मूल्य के कुल 5,645 बीई फाइल किए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा ₹6.49 करोड़ के आयात वाले 'मेडिकल ग्रेड कोटेड/अनकोटेड क्राफ्ट पेपर' के आयात से संबंधित 22 बीई की नमूना जांच की गई और 22 बीई में ₹61.06 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण इंगित किया गया।

मैसर्स एक्स प्रोडक्ट्स प्रा. लि. और दो अन्य ने (मार्च 2019 से फरवरी 2021) सीमा शुल्क आयुक्तालय, आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से "मेडिकल ग्रेड कोटेड/अनकोटेड क्राफ्ट पेपर" को 22 खेपें आयात की। विभाग ने माल की निकासी दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क के क्रमांक 564 के अंतर्गत "शीर्षक 9018, 9019, 9020, 9021 अथवा 9022 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के निर्माण में उपयोगी कच्चे माल, पुर्जों अथवा सहायक उपकरणों" (चिकित्सा विज्ञान, यांत्रिक चिकित्सा उपकरणों, श्वास उपकरणों, आर्थोपेडिक उपकरणों और चिकित्सा, शल्य

चिकित्सा, दंत चिकित्सा अथवा पशु चिकित्सा हेतु उपयोगी अथवा गैर-उपयोगी एक्स-रे उपकरण) पर बीसीडी छूट देते हुए निकासी दी।

आयातित माल "मेडिकल कोटेड/अनकोटेड क्राफ्ट पेपर" होने के कारण सीटीएच 9018/9019/9020/9021 अथवा 9022 के अंतर्गत निर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण हेतु कच्चे माल/पुर्ज़ों अथवा सहायक उपकरण नहीं अपितु विभिन्न चिकित्सा उपकरणों/उत्पाद को आवरण करने हेतु उपयोगी पैकिंग सामग्री हैं, जबकि विनिर्माण प्रक्रिया विभिन्न मशीनों और प्रक्रियाओं की सहायता द्वारा कच्चे माल से तैयार उत्पाद बनाने की प्रक्रिया है। अत: पूर्वोक्त सीमा शुल्क अधिसूचना के अंतर्गत लाभ आयातित वस्तुओं पर लागू करने योग्य नहीं था और बीसीडी प्रभारित दर 2.5 *प्रतिशत* के स्थान पर 10 *प्रतिशत* की दर पर लागू थी। इसलिए, आयातित वस्तुओं को अधिसूचना लाभ की गलत अनुमति से ₹61.06 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ, जो ब्याज सहित आयातकों से वसूली योग्य था।

यह इंगित किए जाने (जून/जुलाई 2021) पर, विभाग ने (सितंबर 2021/ मई 2022) सूचित किया कि तीनों आयातकों के विरूद्ध ₹61.06 लाख की मांग की पुष्टि की गई। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (सितंबर 2022)।

3.7.5 बीसीडी छूट प्राप्त करने हेतु चने के आयातों को अधिसूचना लाभ की गलत अनुमति

सीटीएच 071320 के अंतर्गत वर्गीकृत चना, दिनांक 20 जून, 2018 से प्रभावी, अधिसूचना सं.49/2018-सीमा शुल्क दिनांक 20 जून, 2018 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना सं.50/2017-सीमा शुल्क के अधीन 60 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उदग्राह्य हैं।

वर्ष 2019-20 की अवधि में सीमा शुल्क आयुक्तालय (पत्तन), कोलकाता के माध्यम से सीटीएच 0713 के अंतर्गत ₹172 करोड़ मूल्य की वस्तुएं 'चना/दलहन' के आयात हेतु 180 बीई फाइल किए गए थे। लेखापरीक्षा नमूना जांच में ₹31.80 करोड़ के आयात संबंधी 50 बीई की नमूना जांच की गई और दो बीई में ₹53.97 लाख की बीसीडी के कम उद्ग्रहण को इंगित किया गया।

मैसर्स वाई प्राइवेट लिमिटेड ने (जून/जुलाई 2019) सीमा शुल्क आयुक्तालय (पत्तन), कोलकाता के माध्यम से 'देसी चने' की दो खेपों का आयात किया। माल को अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क (क्रमांक 20) दिनांक 30 जून, 2017 के अंतर्गत बीसीडी उद्ग्रहण की छूट देकर निकासित कर दिया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क में संशोधन किए जाने के बाद आयातित वस्तुएं पर बीसीडी दिनांक 20 जून, 2018 से प्रभावी 60 *प्रतिशत* की दर से उदग्राह्य हैं। इसके परिणामस्वरूप अधिसूचना लाभ की गलत अनुमति के कारण ₹53.97 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ, जो लागू ब्याज सहित आयातक से वसूली योग्य था।

यह जून 2022 में मंत्रालय को इंगित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2022)।

उपरोक्त मामले के उत्तर के अतिरिक्त, मंत्रालय से एक वर्ष की समाप्ति उपरांत भी आईसीईएस प्रणाली में संशोधित बीसीडी दर के गैर-अद्यतन के कारणों की जांच और चूक के कारणों पर टिप्पणियां प्रदान करने का भी अनुरोध किया जाता है। 20 जून, 2018 के बाद किए गए इसी प्रकार के अन्य आयातों पर भी बीसीडी के गलत निर्धारण हेतु जांच की जाए।

3.8 अन्य अनियमितताएं

लेखापरीक्षा में नौ आयुक्तालयों से संबंधित ₹7.52 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाली 10 अन्य अनियमितताओं, 'आयात आगमों के प्राप्त न होने पर प्रतिअदायगी शुल्क की गैर-वसूली', प्रतिअदायगी शुल्क का अतिरिक्त अनुदान, स्वास्थ्य उपकर के गैर-उद्ग्रहण', रक्षोपाय शुल्क के गैर-उद्ग्रहण, प्रतिपाटन शुल्क के गैर-उद्ग्रहण' से संबंधित, का पता चला। मंत्रालय/विभाग ने सभी अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और पांच मामलों में ₹55.64 लाख की वसूली की सूचना दी।

इनमें से, तीन मामलों पर अनुगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है। शेष मामले **अनुलग्नक 6** में उल्लेखित हैं।

3.8.1 अप्राप्त आयात आगमों पर ₹5.30 करोड़ के प्रतिअदायगी शुल्क की गैर वसूली

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद प्रतिअदायगी शुल्क नियमावली, 2017 (पूर्ववर्ती प्रतिअदायगी शुल्क नियमावली, 1995 के उप-नियम 16ए(1)) के उप-नियम 18 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75(1) में यह प्रावधान है कि जहां किसी निर्यातक को प्रतिअदायगी शुल्क की राशि का भुगतान किया गया है, किन्तु विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अंतर्गत अनुमत अवधि के भीतर, ऐसी अवधि के किसी भी विस्तार समेत, ऐसी निर्यात वस्तुओं से संबंधित बिक्री आगम की प्राप्ति नहीं हुई हो, तो ऐसी प्रतिअदायगी शुल्क की वसूली की जाएगी।

(i) सीमा शुल्क आयुक्तालय - नवीन सीमा शुल्क भवन, मंगलुरु, (ii) एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, बेंगलुरु और (iii) आईसीडी, बेंगलुरु के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में ₹29.73 करोड़ के प्रतिअदायगी शुल्क दावे हेतु ₹1,551 करोड़ के एफओबी मूल्य वाले शिपिंग बिल्स् (3,880 संख्या) फाइल किए गए थे। लेखापरीक्षा में ₹592 करोड़ की निर्यात आगम वाले 1,477 एसबी की नमूना जांच की गई तथा 697 एसबी में शामिल ₹5.30 करोड़ के प्रतिअदायगी शुल्क सहित ₹276.25 करोड़ की निर्यात आगमों की अप्राप्ति पाई गई।

मैसर्स जेड इंजीनियरिंग और 232 निर्यातकों ने तीन ईकाइयों {(i) सीमा शुल्क आयुक्तालय-नवीन सीमा शुल्क भवन, मंगलुरु, (ii) एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, बेंगलुरु और (iii) आईसीडी, बेंगलुरु} में ₹276 करोड़ की सम्मिलित निर्यात आगमों वाली 697 एसबी में ₹5.30 करोड़ के प्रतिअदायगी शुल्क का दावा (2012 से 2019) किया। पूर्वोक्त तीन इकाइयों के माध्यम से वर्ष के दौरान ₹25,000 से अधिक की निकासी हेतु स्वीकृत प्रतिअदायगी शुल्क से संबंधित 31 दिसंबर 2019 तक आरबीआई के विदेशी विनिमय बकाया (आरबीआई_एक्सओएस) विवरण के विश्लेषण को जब डीजीएफटी वेबसाइट (व्यापार हेतु ई-बीआरसी विवरण) पर उपलब्ध वसूली गई निर्यात आगमों की जानकारी के साथ जोड़ा गया तो 697 एसबी के संबंध में ₹5.30 करोड़ के प्रतिअदायगी शुल्क सहित ₹276 करोड़ के निर्यात आगमों की अप्राप्ति पाई गई। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों और फेमा प्रावधानों के अनुसार

अनुमत समय से तीन महीने से 81 महीने की समाप्ति के बाद भी आगमों की वसूली नहीं की गई। विभाग ने अप्राप्त निर्यात आगमों हेतु ₹5.30 करोड़ रुपए के प्रतिअदायगी राशि की वसूली हेतु कार्रवाई आरंभ नहीं की थी।

यह बताये जाने पर (अप्रैल/नवंबर 2020) पर, एनसीएच, मंगलुरु के प्राधिकारियों ने (दिसंबर 2020) आठ निर्यातकों से ₹5.73 लाख की वसूली तथा ₹1.14 लाख के ब्याज की सूचना दी। एसीसी, बेंगलुरू ने 126 निर्यातकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने (अप्रैल 2022) की सूचना दी। आईसीडी, बेंगलुरू से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितंबर 2022)।

3.8.2 दर की गलत अनुमति के कारण प्रतिअदायगी शुल्क का अतिरिक्त अनुदान

प्रतिअदायगी शुल्क अनुसूची के अनुसार, 'शॉल, स्कार्फ, मफलर, मंटिलस, घूंघट और उनके जैसे समान' को प्रतिअदायगी शुल्क शीर्ष 6214 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है; इसके अंतर्गत 'शॉल, स्कार्फ, मफलर, मंटिला और घूंघट' को शीर्षक 621401 तथा 'मानव निर्मित फाइबर के अन्य महिला वस्त्रों' को 621402 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, मानव निर्मित फाइबर के दुपट्टे को प्रतिअदायगी शुल्क क्रमांक 62140203बी के अंतर्गत वर्गीकरण सही है और ₹25 प्रति किलोग्राम (कि.ग्रा.) की सीमा सहित एफओबी मूल्य के 2.5 *प्रतिशत* की दर से प्रतिअदायगी शुल्क की अनुमति है।

फरवरी 2019 से जनवरी 2020 की अवधि के दौरान, आईसीडी, तुगलकाबाद (निर्यात आयुक्तालय), नई दिल्ली के माध्यम से 31,931 एसबी द्वारा ₹10,377 करोड़ मूल्य के निर्यात किए गए। लेखापरीक्षा ने "मानव निर्मित फाइबर व 100 *प्रतिशत* पॉली वाले रेडीमेड वस्त्र महिला दुपट्टे और मानव निर्मित फाइबर के छपाई वाले दुपट्टे (छपाई वाला दुपट्टे)", के सम्पूर्ण निर्यात आँकड़ों (31,931 एसबी) की जांच की तथा ₹27.45 करोड़ की निर्यात राशि वाले सात एसबी में ₹48.78 लाख के प्रतिअदायगी शुल्क के अतिरिक्त भुगतान का पता चला।

मैसर्स एए एंटरप्राइजेज और तीन अन्य निर्यातकों ने ₹27.45 करोड़ के संयुक्त निर्धारण मूल्य वाले सात एसबी के अंतर्गत 'मानव निर्मित फाइबर के रेडीमेड वस्त्र महिला फैंसी दुपट्टे और 100 *प्रतिशत* पॉली मानव निर्मित फाइबर के

छपाई वाले दुपट्टे (छपाई वाले दुपट्टे)' का निर्यात किया। निर्यात की गई वस्तुओं को प्रतिअदायगी शुल्क क्रमांक 62140103बी- मानव निर्मित फाइबर के शॉल, स्कार्फ, मफलर, मैंटिल के अंतर्गत एफओबी मूल्य में 2.5 प्रतिशत की दर पर ₹8 प्रति मद की अधिकतम प्रतिअदायगी सीमा पर वर्गीकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ (फरवरी 2020) कि मानव निर्मित फाइबर से बनी वस्तु दुपट्टे को प्रतिअदायगी शुल्क क्रमांक 62140103 बी के अंतर्गत नहीं अपितु क्रमांक 62140203 बी- "मानव निर्मित फाइबर के अन्य महिला वस्त्र" के अंतर्गत उचित तरीके से शामिल किया गया है। तदनुसार, ₹8 प्रति मद की सीमा सहित एफओबी मूल्य के 2.5 *प्रतिशत* की दर, के स्थान पर ₹25 प्रति किलोग्राम की सीमा सहित एफओबी मूल्य के 2.5 *प्रतिशत* की दर, जो भी कम हो, पर प्रतिअदायगी शुल्क देय है। अत:, प्रतिअदायगी शुल्क की गलत दर की अनुमति के कारण ₹48.78 लाख की राशि के अतिरिक्त प्रतिअदायगी शुल्क का भुगतान हुआ।

यह इंगित किए जाने (फरवरी 2020) पर, विभाग ने निर्यातकों के प्रति ₹48.78 लाख की मांग की पुष्टि की है (जुलाई 2022)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित (सितंबर 2022) है।

3.8.3 लागू प्रतिपाटन शुल्क (एडीडी) उद्ग्रहण किए बिना पेरासिटामोल के आयात की निकासी

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए के अनुसार, किसी वस्तु को किसी भी बाह्य देश से उसके सामान्य मूल्य से कम पर भारत में निर्यात किए जाने पर, भारत में ऐसी वस्तु के आयात पर, केंद्र सरकार, एक अधिसूचना द्वारा, एडीडी अधिरोपित कर सकती है। तदनुसार, पेरासिटामोल, डिजिटल वर्सेटाइल रिकॉर्डेबल डिस्क (डीवीडी-आर) जैसी वस्तुओं पर एडीडी अधिरोपित किया गया था। दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं.26/2013-सीमा शुल्क (एडीडी) यह प्रावधान करती है कि सीटीएच 29222933 के अंतर्गत चीन में उत्पत्ति वाली अथवा से निर्यातित तथा भारत में आयातित 'पेरासिटामोल' पर एडीडी लगाया जाएगा जैसाकि अधिसूचना में प्रदत्त है। पूर्वोक्त अधिसूचना जिसे पहले दिनांक 16 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना

सं.19/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा निरस्त कर दिया था, को गुजरात उच्च न्यायालय के 3 जुलाई, 2019 के एससीए सं.5278/2019 के मामले में दिए आदेशानुसार 9 जुलाई, 2019 तक विस्तारित कर दिया गया था {दिनांक 24 जून, 2019 की अधिसूचना सं.26/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)}।

जेएनसीएच आयुक्तालय के माध्यम से 1 मई से 24 जून, 2019 के दौरान 39 बीई के अंतर्गत ₹15.01 करोड़ के "पेरासिटामोल आईपी बीपी" के आयात किए गए, लेखापरीक्षा ने ₹2.65 करोड़ के आयात वाले दो बीई की नमूना जांच की और ₹2.65 करोड़ के आयात वाले दो बीई के मामले में ₹47.03 लाख की एडीडी के गैर-उद्ग्रहण सूचित किया गया।

मैसर्स एबी एंड कंपनी और मैसर्स एसी फार्मी लि. ने (मई 2019) जेएनसीएच, मुंबई जोन-II के माध्यम से चीन से "पैरासिटामोल आईपी बीपी" के दो खेपों का आयात किये थे। अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विभाग ने एडीडी उद्ग्रहण किए बिना इन खेपों को निकासी दी। इसके परिणामस्वरूप ₹47.04 लाख रुपए का गैर-उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने दोनों आयातकों के प्रति मांगों की पुष्टि की सूचना दी।

3.9 निष्कर्ष

इस अध्याय में आयातों के निर्धारण में लेखापरीक्षा द्वारा संज्ञान में आई लागू अधिसूचनाओं, लागू सीमा शुल्क टैरिफ शुल्क और उद्ग्रहण के गैर-अनुपालनों के 88 मामलों पर प्रकाश डाला गया है। आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण, छूट अधिसूचनाओं की गलत अनुमति अथवा अन्य शुल्कों के गैर-उद्ग्रहण के कारण शुल्क के गैर/कम उद्ग्रहण के कारण ₹75 करोड़ के राजस्व का जोखिम था।

मंत्रालय/विभाग ने 80 मामलों को स्वीकृत किया तथा इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिए जाने के समय तक ₹65 करोड़ की वसूली की। प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिए जाने के समय नौ मामलों में मंत्रालय/विभाग का उत्तर अपेक्षित था।

यद्यपि मंत्रालय ने कई मामलों में शुल्क वसूली हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की, फिर भी यह इंगित किया जा सकता है कि ये केवल कुछ निदर्शी मामले हैं।

इस बात की पूरी संभावना है कि आरएमएस आधारित निर्धारणों अथवा मानवीय निर्धारणों में भूल-चूक की ऐसी त्रुटि, और कई मामलों में भी हो सकती है।

यह जानकारी दी जानी आवश्यक है कि लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच में जांचे गए कई बीई का निर्धारण आरएमएस द्वारा किया गया था, जो यह दर्शाता था कि प्रणाली आधारित निर्धारण की सुविधा हेतु आरएमएस में प्रतिचित्रित किए गए निर्धारण नियम अपर्याप्त थे। आरएमएस में जोखिम मापदंडों का प्रतिचित्रण तथा अद्यतन की प्रक्रिया की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

गत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 2017-18 से अखिल भारतीय संव्यवहार संबंधी आंकड़ों के गैर-प्रावधान पर प्रकाश डाला गया था। फलस्वरूप, विभाग द्वारा किए गए आयात और निर्यात निर्धारणों का, लेखापरीक्षा द्वारा 32 आयुक्तालयों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके किए गए सीमित लेखापरीक्षाओं के आधार पर, सीमित आश्वासन प्रदान किया गया। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को सभी परस्पर-संबंधित आयात-निर्यात जोखिम वाले संव्यवहारों की समीक्षा और प्रतिपरीक्षण करना चाहिए।

अध्याय IV

विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

4.1 प्रस्तावना

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) व्यापार सुविधा में सुधार और व्यापार करने में सुगमता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात की बढ़ोतरी हेतु एक रूपरेखा प्रदान करती है। यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) (एफटीडीआर) अधिनियम 1992 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा एफटीपी 2015-2020 को अधिसूचित किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) एफटीपी के निरूपण हेतु उत्तरदायी है, जो डीजीएफटी और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है।

4.1.1 एफटीपी के अंतर्गत निर्यात संवर्धन योजनाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है:

(I) पारितोषिक/प्रोत्साहन योजनाएं: इनका उद्देश्य निर्यातकों को माल के निर्यात में सम्मिलित अवसंरचना अक्षमताओं और संबद्ध लागतों की क्षतिपूर्ति हेतु पुरस्कृत किया जाना तथा समान अवसर क्षेत्र उपलब्ध कराना है। मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) तथा सर्विसेस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) इस श्रेणी के अंतर्गत की दो मुख्य योजनाएं हैं।

1 जनवरी, 2021 से एमईआईएस को वापस ले लिया गया था। तत्पश्चात् प्रतिबंधात्मक प्रावधान लाए गए, जहां 1 सितंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 की अवधि में किए गए निर्यातों पर एमईआईएस के अंतर्गत कुल पारितोषिक प्रति आईईसी ₹2 करोड़ तक सीमित था। कोई भी आईईसी धारक, जिसने 1 सितंबर, 2019 से 31 अगस्त, 2020 की अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं किया अथवा 1 सितंबर, 2020 या उसके बाद प्राप्त किसी भी नए आईईसी को, 1 सितंबर, 2020 से किए गए निर्यात हेतु एमईआईएस के अंतर्गत लाभ हेतु कोई दावा प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा।

एमईआईएस लाभ हेतु आवेदन प्रस्तुति की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2022 (दिनांक 1 जुलाई, 2022 की डीजीएफटी की अधिसूचना सं.15/2015-20) निर्धारित की गई है। निर्धारित अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2022 के बाद अन्य आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी तथा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेट कट प्रावधान भी उपलब्ध नहीं होंगे।

वि.व. 2018-19 से वि.व. 2020-21 में स्क्रिप्सों के मूल्य तथा निर्यात के एफओबी मूल्य सहित जारी एमईआईएस, एसईआईएस स्क्रिप्सों के विवरण नीचे **तालिका 4.1** में दिए गए हैं:

तालिका 4.1: पारितोषिक/प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत प्राधिकार जारी करना

योजना		2018-19	2019-20	2020-21
एमईआईएस	स्क्रिपों की संख्या	2,98,350	2,88,023	1,15,413
	निर्यातों का मूल्य (₹ करोड़ में)	39,298	39,045	14,404
	निर्यातों का एफओबी मूल्य (₹ करोड़ में)	12,46,771	12,02,958	5,04,536
एसईआईएस	प्राधिकार की संख्या	6,371	8,280	6,098
	निर्यातों का सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	4,262	7,114	4,739
	निर्यातों का एफओबी मूल्य (₹ करोड़ में)	13,72,212	27,64,376	10,08,970

स्रोत: डीजीएफटी की निर्यात संवर्धन योजनाएं 2022 पर एमआईएस प्रतिवेदन

निर्यातकों को देय सभी लंबित निर्यात प्रोत्साहनों के वितरण हेतु वि.व. 2021-22 की विभिन्न शुल्क ऋण योजनाओं की लंबित बकाया राशि के लिए ₹56,027 करोड़ (वाणिज्य मंत्रालय, वार्षिक प्रतिवेदन 21-22) स्वीकृत किए गए। स्वीकृत ₹56,027 करोड़ का योजनावार विवरण था:

(i) एमईआईएस- ₹33,010 करोड़, (ii) एसईआईएस- ₹10,002 करोड़, (iii) राज्य एवं केंद्रीय करों तथा उद्ग्रहणों की छूट हेतु योजना (आरओएससीटीएल)- ₹5,286 करोड़, (iv) स्क्रिप्स तंत्र के अंतर्गत राज्य उद्ग्रहणों पर छूट (आरओएसएल)- ₹330 करोड़ और (v) लक्ष्य प्लस आदि जैसी अन्य विरासती योजनाएं- ₹4,831 करोड़।

(II) शुल्क छूट एवं माफी योजनाएं: ये योजनाए पूंजीगत वस्तुओं के नि:शुल्क आयात अथवा रियायती दरों पर आयात और निर्यात उत्पादन हेतु अन्य इनपुटों अथवा निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन के दौरान निर्यातकों द्वारा वहन किए गए करों और शुल्कों से राहत प्रदान कराने में शुल्क माफी हेतु योग्य बनाती हैं।

(क) शुल्क छूट योजनाएं निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से समाविष्ट इनपुटों के नि:शुल्क आयात की अनुमति देती हैं। किसी भी इनपुटों के अतिरिक्त, निर्यात उत्पाद की प्रक्रिया में खपत/उपयोग किए जाने वाले पैकेजिंग सामग्री, ईंधन, तेल, उत्प्रेरक, को भी अनुमति दी जाती है। इस योजना में विनिर्माता निर्यातकों अथवा सहायक विनिर्माता(ओं) से निबद्ध व्यापारी निर्यातकों को भी शामिल किया गया है। शुल्क छूट योजनाएं हैं:

(i) अग्रिम प्राधिकरण (एए) योजना: एए निर्यात करने से पूर्व जारी तथा वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त के अधीन होता है।

(ii) नि:शुल्क आयात प्राधिकरण (डीएफआईए) योजना: डीएफआईए उत्तरवृत्ति निर्यात के आधार पर उन उत्पादों हेतु जारी किया जाता, जिनके लिए मानक आगत निर्गत मानदंड अधिसूचित किए गए हैं तथा जो हस्तांतरणीय हैं।

(ख) शुल्क माफी योजना: राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित प्रतिअदायगी शुल्क योजना इस श्रेणी के अंतर्गत की योजना है।

(III) निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएं (ईपीसीजी) योजना प्रतियोगी मूल्यों पर निर्यात वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं हेतु शून्य/रियायती दरों पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा प्रदान करती है।

वि.व. 2018-19 से वि.व. 2020-21 में आयात के सीआईएफ मूल्य और निर्यात के एफओबी मूल्य सहित शुल्क छूट/माफी योजनाओं के अंतर्गत जारी प्राधिकरण एवं स्क्रिप्सों के विवरण आगे **तालिका 4.2** में दिए गए हैं:

तालिका 4.2: शुल्क वापसी योजनाओं के अंतर्गत प्राधिकार जारी करना

योजना		2018-19	2019-20	2020-21
एए	प्राधिकार की संख्या	23,042	22,113	20,703
	निर्यातों का सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	2,05,060	1,67,567	1,84,601
	निर्यातों का एफओबी मूल्य (₹ करोड़ में)	3,78,808	3,19,346	3,24,053
डीएफआईए	प्राधिकार की संख्या	1,321	1,718	1,075
	निर्यातों का सीआईएफ मूल्य(₹ करोड़ में)	3,253	3,070	1,986
	निर्यातों का एफओबी मूल्य (₹ करोड़ में)	5,183	5,157	2,896
ईपीसीजी	प्राधिकार की संख्या	13,175	11,535	10,067
	शुल्क छूट (₹ करोड़ में)	15,901	14,329	12,483
	निर्यातों का एफओबी मूल्य (₹ करोड़ में)	96,257	84,356	68,523

स्रोत: डीजीएफटी की निर्यात संवर्धन योजनाएं 2022 पर एमआईएस प्रतिवेदन

डीजीएफटी विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत निर्यातकों को पत्रक/लाइसेंस जारी करता है तथा 24 क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरए) के नेटवर्क के माध्यम से उनके संबंधित दायित्वों का अनुवीक्षण करता है। सभी 24 आरए कम्प्यूटरीकृत हैं और डीजीएफटी सेंट्रल सर्वर से जुड़े हुए हैं। डीजीएफटी द्वारा जारी स्क्रिप के अंतर्गत आयात को विनियमित करने हेतु, सीबीआईसी द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं और इन शेयरों को संबंधित आयातक/निर्यातक द्वारा आयुक्तालयों के अधीन सीमा शुल्क भवन में पंजीकृत किया जाता है। निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत निविष्टियों तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सीमा शुल्क से पूर्णत: अथवा आंशिक छूट प्रदत्त हैं। ऐसी छूट प्राप्त वस्तुओं के आयातक निर्धारित निर्यात दायित्व (ईओ) को पूरा करने समेत अन्य निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं, जिसमें विफल रहने पर छूट प्राप्त शुल्क, अधिनियम के अंतर्गत सीमा शुल्क विभाग द्वारा वसूली योग्य हो जाता है। सीमा शुल्क विभाग द्वारा कार्रवाई के अतिरिक्त, एफटीडीआर अधिनियम 1992 के अंतर्गत डीजीएफटी लाइसेंसधारक द्वारा जारी लाइसेंस की शर्तें पूरी नहीं करने पर, उस पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।

एफटीपी के अध्याय 3 के अंतर्गत कतिपय अन्य योजनाओं के संबंध में, अवसंरचनात्मक अक्षमताओं और संबद्ध लागतों की क्षतिपूर्ति हेतु एक निश्चित *प्रतिशत* पारितोषिक के रूप में निर्यातों को फ्री ऑन बार्ड (एफओबी) मूल्य प्रदान करने का प्रावधान है।

4.2 निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों का गैर-अनुपालन

इस अध्याय में शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के रूप में अनियमित निर्यात प्रोत्साहन जारी कर तथा एफटीपी एवं प्रक्रिया की हैंड बुक (एचबीपी) के प्रावधानों की पूर्ति किए बिना छूट का लाभ उठाने वाले 17 उच्च मूल्य वाले मामले दर्शाए गए हैं, जिनमें ₹11 करोड़ का कुल राजस्व निहितार्थ था। एमईआईएस से संबंधित दो मामले, एसईआईएस के 14 मामले तथा अग्रिम प्राधिकरण योजना से एक मामले समेत कुल 17 मामले दर्ज किए गए हैं। मंत्रालय/विभाग ने ₹5.57 करोड़ वाले 13 मामलों को स्वीकार किया और 11 मामलों में ₹3.10 करोड़ की वसूली की सूचना प्रदान की है।

17 मामलों में से सात मामलों पर अनुगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है। ₹1.81 करोड़ के कुल निहितार्थ राजस्व वाले शेष दस मामलों को **अनुलग्नक 7** में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

4.2.1 मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस)

(क) पेलेट के रूप में गेंदे के फूल के आहार के निर्यात पर एमईआईएस की अपात्र स्वीकृति

एफटीपी, 2015-20 के अध्याय 3 के अंतर्गत भारत से वाणिज्यिक निर्यात योजना (एमईआईएस), परिशिष्ट 3बी एचबीपी, खंड -1 में निर्धारित दरों पर शुल्क क्रेडिट प्रदान करने हेतु, एक निर्यात संवर्धन योजना है। पारितोषिक की गणना, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, तो मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त निर्यात के एफओबी मूल्य अथवा शिपिंग बिलों में प्रदत्त निर्यातों के एफओबी मूल्य पर, जो भी कम हो, पर की जाएगी। डीजीएफटी ने दिनांक 22 सितंबर, 2016 के सार्वजनिक नोटिस (पीएन) सं. 32/2015-20 के माध्यम से सीटीएच 12119029 के अंतर्गत वर्गीकृत विभिन्न निर्दिष्ट पौधों के भागों के निर्यात पर एमईआईएस लाभ प्रदान किया। किन्तु इसमें सीटीएच 12119029 के

अंतर्गत वर्गीकृत 'गेंदे के पौधे का वैज्ञानिक नाम टेगेटीज' को सम्मिलित नहीं किया गया था। 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी एमईआईएस क्रेडिट की दर सात *प्रतिशत* थी (डीजीएफटी का दिनांक 5 दिसंबर, 2017 का पीएन 44/2015-20, क्रमांक 488)।

निर्यातकों के व्यक्तिगत एमईआईएस प्रोत्साहन दावों को संसाधित करने हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से डीजीएफटी ने निर्देश {दिनांक 16 फरवरी, 2018 की सार्वजनिक सूचना (पीएन) सं. 62/2015-20} दिया था कि पीएन से संलग्नित अनुबंध में निर्दिष्ट निर्यात उत्पादों हेतु भारतीय व्यापार वर्गीकरण सामंजस्यपूर्ण प्रणाली आईटीसी (एचएस) कोड के संबंध में, एचबीपी के परिशिष्ट 3बी की तालिका 2 में निर्यात विवरण को शिपिंग बिल के विवरण के साथ मिलान करने के उपरांत आरए एमईआईएस दावे हेतु आवेदन को मैनुअल मोड में संसाधित करेगा।

पीएन 62 के उक्त अनुबंध में पौधों और पौधों के कुछ भागों, मुख्य रूप से इत्र, फार्मेसी (आईटीसी एचएस कोड 12119029), को निर्यात उत्पादों के एक रूप में सम्मिलित किया गया है। अत:, निर्यात उत्पाद के विवरण को एचबीपी के परिशिष्ट 3बी में विवरण के साथ मिलान कर दावे को संसाधित किया जाएगा।

विकास आयुक्त (डीसी), कोचीन, एसईजेड ने सीटीएच 12119029 के अंतर्गत सितंबर 2017 से सितंबर 2019 के दौरान वस्तुओं जिसमें निर्दिष्ट 'इत्र, फार्मेसी अथवा कवकनाशी अथवा इसी तरह के उद्देश्य हेतु उपयोग किए जाने वाले पौधों और पौधों के भाग' सम्मिलित थे, के निर्यात हेतु 22 एमईआईएस लाइसेंस जारी किए थे। जारी किए गए एमईआईएस लाइसेंसों का कुल मूल्य ₹3.32 करोड़ था जिसमें ₹52.49 करोड़ के निर्यात शामिल थे। लेखापरीक्षा नमूना जांच में जारी किए गए सभी 22 लाइसेंसों की जांच की गई और अपात्र निर्यात उत्पाद "पेलेट रूप में गेंदे के फूल का आहार" वाले ₹3.32 करोड़ के अनियमित 21 एमईआईएस लाइसेंस संज्ञान में आए।

मैसर्स एडी प्रोडक्ट्स (100% ईओयू) ने सीटीएच 12119029 के अंतर्गत वर्गीकृत "पेलेट रूप में गेंदे के फूल का आहार" (गेंदे के फूलों से उत्पादित) का ₹52.49 करोड़ वाले निर्यातों के लिए एमईआईएस दावा फाइल किया।

कोचीन समुद्र पत्तन के माध्यम से नवंबर 2016 से जुलाई 2019 की अवधि में 49 शिपिंग बिलों के अंतर्गत निर्यात किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परिशिष्ट 3बी के क्रमांक 488 में निर्दिष्ट गेंदा एक पौधा नहीं था और इसलिए सीटीएच 12119029 के अंतर्गत एमईआईएस लाभों हेतु पात्र नहीं था। तथापि, डीसी, सीएसईजेड ने दिनांक 16 फरवरी, 2018 की पीएन सं.62/2015-20 के अनुसार आवश्यक, परिशिष्ट 3बी की तालिका 2 में क्रमांक 5071/488 में उल्लिखित मद विवरणों के साथ शिपिंग बिलों में उल्लिखित मद विवरण को सत्यापित और मिलान नहीं किया और ₹3.32 करोड़ मूल्य वाले एमईआईएस लाइसेंस जारी कर दिए। इसके परिणामस्वरूप एमईआईएस के अंतर्गत ₹3.32 करोड़ के अपात्र निर्यात लाभ को स्वीकृति दी गई।

इसे इंगित किए जाने पर (जून 2020), डीसी, सीएसईजेड ने (फरवरी 2021) इकाई से ब्याज सहित स्वीकृत अपात्र राशि को जमा करने का अनुरोध किया । डीसी, सीएसईजेड के पत्र के जवाब में इकाई (मैसर्स एडी प्रोडक्ट्स) ने (मार्च 2021) न्यायसंगत बताते हुए कहा कि एमईआईएस क्रेडिट को दिनांक 23 मार्च, 2018 की पीएन सं.26 के साथ पठित दिनांक 16 फरवरी, 2018 की पीएन सं.62 के आधार पर स्वीकृत किया था जो निर्धारित करता है कि पात्रता शिपिंग बिल में निर्दिष्ट वर्गीकरण के आधार पर तय की जानी थी।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एमईआईएस लाभ की पात्रता एचबीपी के परिशिष्ट 3बी में उल्लिखित निर्यात उत्पादों द्वारा विनियमित की जाएगी। एमईआईएस लाभों हेतु पात्र होने के लिए निर्यात उत्पाद "गेंदा" पौधा परिशिष्ट 3बी के क्रमांक 5071/488 के समुख निर्दिष्ट नहीं है।

दूसरे रूप में, दिनांक 16 फरवरी, 2018 के पीएन सं.62 और दिनांक 23 मार्च, 2018 के व्यापार नोटिस सं.26/2018 परिशिष्ट 3बी की तालिका 2 में निर्यात उत्पाद विवरण के साथ शिपिंग बिलों में विवरणों का मिलान के उपरांत ही एमईआईएस दावों को संसाधित करने हेतु स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। यह मामला विवरण मिलान के बारे में नहीं, अपितु परिशिष्ट 3बी में गैर-सूचीबद्ध निर्यात उत्पादों के बारे में था, और इसलिए एमईआईएस लाभों के लिए अपात्र था।

इस बारे में जून 2022 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2022)।

4.2.2 सर्विसेस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस)

एफटीपी 2015-20 की सर्विसेस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) के अंतर्गत, अधिसूचित सेवाएं प्रदान कर रहे भारत में स्थित सेवा प्रदाता परिशिष्ट 3डी में निर्दिष्ट दरों पर ही पुरस्कृत होंगे। पात्र सेवाओं का विवरण संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी) के अनंतिम केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण (सीपीसी), के सीपीसी 865 के अंतर्गत आने वाली प्रबंधन परामर्श सेवा सम्मिलित वित्तीय प्रबंधन परामर्श सेवाओं के आधार पर संरेखित/संहिताबद्ध किया गया है। किन्तु सलाहकार सेवाएं सूचना की आपूर्ति और पोर्टफोलियो निवेश विश्लेषण, सीपीसी 813 के अंतर्गत वर्गीकृत वित्तीय मध्यस्थता की सेवाओं का गठन करती हैं। इसके अतिरिक्त, ये सेवाएं परिशिष्ट 3डी में निर्दिष्ट नहीं है और इसीलिए एसईआईएस लाभ हेतु पात्र नहीं हैं।

लेखापरीक्षा में ₹7.30 करोड़ के शुल्क क्रेडिट वाले 14 मामलों में एडीएफजीटी-मुंबई, जोनल डीजीएफटी-चेन्नई तथा एडीशनल डीजीएफटी-बेंगलुरु द्वारा एसईआईएस स्क्रिप को जारी करने में अनियमितताऐं देखी गई। मंत्रालय/विभाग ने 11 मामलों (₹5.33 करोड़) को स्वीकार किया और नौ मामलों में ₹2.79 करोड़ की वसूली की। शेष तीन मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है। इनमें से छः मामलों पर अनुगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है और शेष आठ मामलों को **अनुलग्नक 7 (क्रमांक 2 से 9)** में संक्षेपित किया है।

(क) अपात्र सेवाओं हेतु एसईआईएस लाइसेंस जारी करना,

मैसर्स एई प्रा. लिमिटेड ने निवेश प्रबंधक (विदेशी पक्षकार) को निम्न सेवाएं प्रदान की जैसा कि नीचे बताया गया है:

(क) समय-समय पर प्रतिवेदन और विश्लेषण उपलब्ध कराना, अनुसंधान में सहायता और पोर्टफोलियो निवेशों की खरीद अथवा बिक्री हेतु सिफारिशें करना।

(ख) निवेश प्रबंधक द्वारा समय-समय पर मांगे जाने पर प्रत्येक निवेश अवसर के संबंध में तथ्यात्मक सूचना, अनुसंधान प्रतिवेदन तथा निवेश प्रस्ताव प्रदान करना।

(ग) लिखित निवेश प्रतिवेदन तथा विश्लेषण प्रदान करना।

(घ) निवेश प्रबंधक द्वारा किसी आवश्यक निवेश के संबंध में अतिरिक्त वर्णनात्मक सूचना मांगे जाने पर प्रदान करना।

वर्ष 2016-17 हेतु आवेदक ने सीपीसी 865 शीर्ष के अंतर्गत प्रबंधन परामर्श सेवा के अंतर्गत $60,97,118 अमेरिकी डॉलर की निवल विदेशी मुद्रा की घोषणा की थी तथा तीन *प्रतिशत* की दर से $1,82,913[13] अमेरिकी डॉलर की राशि के प्रोत्साहन का दावा किया था। दो *प्रतिशत* की दर से लेट कट की कटौती के बाद, ₹1.16 करोड़ का निवल लाभ स्वीकृत किया गया।

आवेदक की सेवाओं की प्रकृति में पोर्टफोलियो निवेश, निवेश प्रतिवेदनों और विश्लेषण पर प्रतिवेदनों और विश्लेषण तथा सिफारिशों, की आपूर्ति सम्मिलित थी। सीपीसी 8132 प्रतिभूति बाजारों से संबंधित सेवाओं को शामिल करता है, जो पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं तथा अन्य संबंधित सेवाओं[14] को भी शामिल करता है, जबकि, सीपीसी 8133 वित्तीय मध्यस्थता[15] हेतु सहायक सेवाओं को शामिल करता है। अत:, आवेदक की सेवाएं चूंकि परिशिष्ट 3डी में निर्दिष्ट नहीं हैं, इसलिए सीपीसी 8132 अथवा 8133 के अंतर्गत आनी चाहिए और इसलिए एसईआईएस के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं हैं।

इसके अलावा, सेवा कर पंजीकरण से ज्ञात हुआ कि आवेदक प्रबंधन सलाहकार के रूप में पंजीकृत नहीं था तथा विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र से भी ज्ञात हुआ था कि राशि परामर्श शुल्क के रूप में प्राप्त की गई थी।

अत:, सीपीसी 865[16] के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा प्रदत्त सेवाओं का गलत वर्गीकरण और एसईआईएस पारितोषिक का दावा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अपात्र सेवा हेतु ₹1.15 करोड़ का लाभ दिया गया। इसी तरह,

---

[13] '1,17,97,923.33, के समान 1$='64.50

[14] प्रतिभूति बजार से संबंधित सूचना स्टॉक उद्धरण और सेवाएँ

[15] स्टॉक विनिवेश इत्यादि पर वित्तीय परामर्शी सेवाएँ

[16] वित्तीय प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ

वि.व. 2018 हेतु, आवेदक ने प्रतिभूतियों/पोर्टफोलियो निवेश से संबंधित वित्तीय परामर्शी सेवाओं हेतु ₹1.73 करोड़ का दावा किया और इसे दिनांक 10 फरवरी, 2019 के प्राधिकार के रूप में गलत तरीके से प्रदान किया गया था। इसलिए अपात्र सेवा हेतु आवेदक को ₹2.88 करोड़ के कुल एसईआईएस लाभ को गलत प्रदान किया गया था।

यह इंगित किए जाने (फरवरी 2021) पर विभाग ने सूचित किया (मार्च 2021) कि आवेदक को ₹1.15 करोड़ और ₹1.73 करोड़ की राशि हेतु दो मांग पत्र जारी किए गए हैं। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

(ख) 1 अप्रैल, 2015 से पूर्व प्रदत्त सेवाओं पर एसईआईएस लाभ की गलत अनुमति

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 में प्रदत्त है कि भारत में स्थित अधिसूचित सेवाएं प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं को एचबीपी के परिशिष्ट 3डी में विनिर्दिष्ट दरों पर एसईआईएस के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। एफटीपी यह भी निर्दिष्ट करता है कि नीति की अधिसूचना की तारीख को या उसके बाद यानी 1 अप्रैल 2015 के बाद प्रदान की गई सेवाओं के लिए ही कार्य स्वीकार्य होंगें।

मैसर्स एएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने (2015-16) परिवहन (परिशिष्ट 3डी की माल ढुलाई परिवहन एजेंसी (748)) के सभी साधनों हेतु सहायक सेवाओं की निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) आय (यूएस $1,20,34,491.25) के लिए पांच *प्रतिशत* की दर से तथा वि.व. 2015-16 की अवधि के लिए अन्य व्यापार सेवाओं (परिशिष्ट 3डी की प्रबंधन परामर्श सेवा) से निवल विदेशी मुद्रा (यूएस $16,31,446.19) के लिए तीन *प्रतिशत* की दर से पारितोषिकों का दावा किया। विभाग ने पांच *प्रतिशत* की दर से लेट कट अधिरोपित किया तथा और ₹4.10 करेड़ का कुल निवल पारितोषिक प्रदान किया गया था।

डीजीएफटी, मुंबई में निर्यात सेवा चालानों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि कंपनी ने निर्यात प्रोत्साहनों हेतु फरवरी 2015 से मार्च 2015 जोकि 1 अप्रैल 2015 की अधिसूचना से पूर्व की थी, तक प्रदत्त सेवाओं हेतु, 31 चालानों के सापेक्ष विदेशी मुद्रा (यूएस $22,82,884.02) अर्जित की थी। चूंकि सेवाएं अधिसूचना की दिनांक से पहले प्रदत्त की गई थीं, इसलिए वे

एसईआईएस प्रावधानों हेतु पात्र नहीं थीं। तथापि, विभाग ने पूर्वोक्त का उल्लंघन करके अपात्र निर्यातित सेवाओं को छोड़े बिना कुल दावों पर एसईआईएस स्क्रिप्स प्रदान किए। इसके परिणामस्वरूप पाँच *प्रतिशत* के लेट कट की कटौती के उपरांत ₹92.84 लाख की गलत प्रोत्साहन राशि अनुमत की गई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति विभाग (फरवरी, 2021) तथा मंत्रालय (अगस्त, 2022) को सूचित की गई थी; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

(ग) योजना आरंभ होने से पूर्व की निर्यातित सेवाओं पर एसईआईएस प्रोत्साहनों को प्रदान करना

मैसर्स एजी प्राइवेट लिमिटेड, एक सेवा निर्यातक ने 28 मार्च 2018 को एक संशोधित आवेदन प्रस्तुत किया और वि.व. 2015-16 की अवधि हेतु अनुसंधान एवं विकास सेवाओं {परिशिष्ट 3डी की संख्या आईबी (सी) अंतर्विषयक अनुसंधान एवं विकास सेवाएं (853)} से ₹46.49 करोड़ की एनएफई आय घोषित की। सेवा निर्यातक ने दावा किया और पांच *प्रतिशत* का लेट कट अधिरोपित करने के उपरांत पांच *प्रतिशत* की दर से ₹4.41 करोड़ के पारितोषिक प्रदान किए थे।

निर्यात सेवा चालानों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि एसईआईएस लाभों हेतु विचारित किए गए चालानों में से एक में, सेवा निर्यातक ने योजना आरंभ होने से पहले, यानि 1 अप्रैल, 2015 से पूर्व प्रदत्त सेवा हेतु एसईआईएस लाभों का दावा किया था। विभाग ने 21 फरवरी 2015 से 31 मार्च 2015 के दौरान निर्यातित सेवाओं हेतु ₹7.79 करोड़ का एसईआईएस लाभ अनुमत किया जोकि अनुचित था चूंकि सेवा 1 अप्रैल 2015 से पहले निर्यात की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹38.92 लाख का एसईआईएस लाभ गलत जारी किया गया।

यह इंगित किए जाने (सितंबर 2020) पर, विभाग (मई 2021) ने ₹38.92 लाख के अतिरिक्त एसईआईएस लाभ तथा ₹16.60 लाख के ब्याज की वसूली की सूचना दी।

(घ) दावा प्रस्तुत करने में देरी के कारण लेट कट अधिरोपित नहीं करने से एसईआईएस स्क्रिप्स की अतिरिक्त अनुमति

एचबीपी खंड-1 2015-20 के पैराग्राफ 3.15 में प्रदत्त है कि एसईआईएस के अंतर्गत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स की मांग करने वाले आवेदन, दावों की अवधि के सम्बद्ध वि.व. के अंत से 12 माह के भीतर फाइल किए जाएंगे और लेट कट[17] अधिरोपण का प्रावधान प्रदत्त है।

मैसर्स एएच लिमिटेड ने ट्रैवल एजेंसियों और टूर ऑपरेटर्स सेवाओं[18] की अधिसूचित सेवाओं से वि.व. 16 में $1,17,57,895 डॉलर की विदेशी मुद्रा आय की घोषणा की तथा एनएफई के पांच *प्रतिशत* पर ₹39.03 लाख के पारितोषिक का दावा किया। विभाग ने उसी राशि का पारितोषिक अनुमत किया।

डीजीएफटी, मुंबई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि आवेदन (मार्च 2017 में देय) 12 माह (अप्रैल 2018) की देरी के बाद फाइल किया गया तथा उस पर 10 *प्रतिशत* की दर से लेट कट लागू था। विभाग ने बिना लेट कट अधिरोपित किए बिना दावे को अनुमत किया (सितंबर 2018)। इसके परिणामस्वरूप ₹39.03 लाख के अतिरिक्त एसईआईएस स्क्रिप्स की अनुमति प्रदान की गई।

इसे विभाग (सितंबर 2020) और मंत्रालय (जून 2022) को इंगित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितंबर 2022)।

(ड.) एसईआईएस शुल्क क्रेडिट की गलत गणना

गत वर्ष में अर्जित एनएफई के एक निर्दिष्ट *प्रतिशत* पर पारितोषिक दिए जाएंगे। एनएफई को, सेवा क्षेत्र से संबंधित आवेदक द्वारा वि. व.में विदेशी मुद्रा में अर्जित सकल आय में से विदेशी मुद्रा के कुल व्ययों/भुगतानों/प्रेषणों को घटाकर, के रूप में परिभाषित किया गया था। यद्यपि, परिशिष्ट 3ई में

---

[17] एचबीपी खंड 1, 2015-20 का पैरा 9.02 दो *प्रतिशत* की दर से लेट कट, आवेदन देय तिथि के बाद लेकिन देय तिथि से छह महीने के अंदर प्राप्त होता है, पाँच *प्रतिशत* यदि छह महीने से एक वर्ष के अंदर प्राप्त होता है और दस *प्रतिशत* यदि देय तिथि से 12 महीनों के बाद लेकिन देय तिथि से दो वर्ष के बाद नहीं, को प्राप्त होता है।

[18] परिशिष्ट 3डी के क्रमांक 7 बी पर आने वाला

निर्दिष्ट सेवाएं, जो पत्तन क्षेत्रों में प्रदान की जाती हैं, एफटीपी 2015-20 के पैराग्राफ 3.08 (सी) के अनुसार, भारतीय रूपये में प्राप्तियां भी एसईआईएस हेतु पात्र हैं (दिनांक 4 मई, 2016 की सार्वजनिक सूचना 7/2015-20)।

मैसर्स एआई पोर्ट लिमिटेड, मोरमुगाँव ट्रस्ट गोवा के साथ एक लाइसेंस करार के अंतर्गत बहुउद्देशीय कार्गो हैंडलिंग बर्थ का संचालन कर रहा था। इस योजना के अंतर्गत, अक्टूबर 2017 तक पांच *प्रतिशत* की दर से $2.20 लाख डॉलर का प्रोत्साहन और वि.व. 2017-18 की उत्तरवर्ती अवधि (नवंबर 2017 से मार्च 2018) हेतु सात *प्रतिशत* की दर से $1.72 लाख डॉलर के प्रोत्साहन, को बर्थ पर डॉक्ड किए गए "जलायनों से वसूले गए बर्थ किराए प्रभारों" हेतु "समुद्री परिवहन सेवाओं (समुद्री परिवहन की सहायक सेवाओं (745)} के लिए दावा किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फर्म द्वारा वि.व. 2017-18 में प्रदत्त सेवाओं के लिए किसी व्यय की घोषणा नहीं की गई थी और कुल सकल आय पर प्रोत्साहन का दावा किया था। विभाग ने व्ययों को अलग किए बिना ₹43.99 करोड़ की कुल सकल आय के सापेक्ष ₹2.52 करोड़ के एसईआईएस स्क्रिप्स अनुमत किए (जनवरी 2019)। तथापि, वर्ष 2017-18 के वित्तीय लेखाओं के अनुसार ₹54.50 करोड़ का कुल व्यय दर्ज किया गया था।

पूर्वोक्त व्यय न तो सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट किए गए थे और न ही लाभार्थी के आवेदन में घोषित किए गए थे। चूंकि पूंजीगत वस्तुओं, विदेशी मुद्रा में तकनीकी सेवाओं और पत्तन सेवाओं से संबंधित स्पेयर पार्ट्स, रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क के भुगतान हेतु भारतीय रूपये में किए गए व्ययों को एसईआईएस लाभ हेतु घोषित प्राप्तियों के अनुपात में घटाकर एनएफई को प्राप्त किया जाना चाहिए। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹48.77 लाख (₹27,36,046[19] एवं ₹21,41,413[20]) का कुल अतिरिक्त एसईआईएस अनुमत हुआ।

---

[19] ₹5,47,20,914 का 5 *प्रतिशत*

[20] ₹3,05,91,614 का 7 *प्रतिशत*

यह इंगित किए जाने (जनवरी 2021) पर विभाग ने फर्म को कमी सह-मांग पत्र जारी किया (फरवरी 2021)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

(च) अपात्र सेवाओं को एसईआईएस शुल्क क्रेडिट की गलत अनुमति

मेसर्स एजे लिमिटेड ने 2015 से 2018 के दौरान 'विभिन्न देशों में लाइव कार्यक्रमों हेतु संगीतकार श्री एके के अदाकारी शुल्क' के लिए परिशिष्ट 3डी-8ए के अंतर्गत 5 *प्रतिशत* और 7 *प्रतिशत* की दर से ₹65.69 लाख के एसईआईएस स्क्रिप्स (अक्टूबर 2018) शुल्क क्रेडिट का दावा किया था। जेडडीजीएफटी, चेन्नई ने फर्म का दावा स्वीकार किया था तथा परिशिष्ट 3डी-8ए मनोरंजन सेवाएं 9619- (थियेटर, लाइव बैंड और सर्कस सेवाओं सहित) के अंतर्गत 5/7 *प्रतिशत* की दर से ₹65.69 लाख का एसईआईएस शुल्क क्रेडिट प्रदान किया था (नवंबर 2018)।

निर्यात सेवा बीजकों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि श्री एके, (एक प्रसिद्ध संगीतकार) ने 2015-16 के दौरान यूनाइटेड किंगडम, दुबई, कनाडा, ओमान और मलेशिया जैसे देशों में 'लाइव मनोरंजन कार्यक्रम' प्रदर्शित किए थे, जिसके लिए मैसर्स एजे, चेन्नई ने विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त किया था। चूंकि संगीतकार स्वयं विदेशों में उपस्थित था और उसने मनोरंजन कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया था, इसलिए विदेशों में प्रदत्त सेवाएं मोड-4 श्रेणी यथा किसी अन्य देश- वाणिज्यिक में व्यक्ति की प्राकृतिक उपस्थिति के माध्यम से भारत से 'सेवा' की आपूर्ति के अंतर्गत आती हैं, जो एफटीपी के पैराग्राफ 9.51 के अनुसार एसईआईएस लाभ प्रदान करने हेतु अपात्र है। एफटीपी के पैराग्राफ 3.08(ए) के अनुसार, इस योजना के पूर्वोक्त पैराग्राफ 9.51(i) मोड-1 और पैराग्राफ 9.51(ii) मोड-2 के अनुसार प्रदान की जाने वाली सेवाएं केवल एसईआईएस योजना के अंतर्गत पारितोषिक हेतु पात्र होंगी। इसलिए, मोड-4 के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं एसईआईएस योजना के अंतर्गत शुल्क क्रेडिट प्रदान करने हेतु अपात्र हैं।

इस प्रकार, मैसर्स एजे को ₹65.69 लाख का प्रदत्त क्रेडिट शुल्क गलत था जो लागू ब्याज सहित फर्म से वसूली योग्य था।

यह इंगित किए जाने (सितंबर 2019) पर, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2019) कि अभियुक्ति की जांच की जाएगी और संबंधित पक्ष को प्रदत्त अतिरिक्त/अपात्र लाभों की वापसी हेतु मांग नोटिस जारी किया जाएगा। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

नई दिल्ली **(कार्तिकेय माथुर)**
दिनांक: 09 दिसम्बर 2022 **प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांक: 09 दिसम्बर 2022 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1

विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर तथ्य पत्रक

1 अप्रैल 2021 तक **(पैराग्राफ 1.9 देखें)**

औपचारिक अनुमोदनों की संख्या (31 मार्च 2021 तक)	**427**		
अधिसूचित सेज की संख्या (31 मार्च 2021 तक)	378 जिसमें 7 केंद्र सरकार के एवं 2 राज्य/निजी सेज सम्मिलित हैं		
परिचालित सेज	265		
सेज में स्वीकृत इकाइयाँ (31 मार्च 2021 तक)	5,563		
निवेश	**निवेश (फरवरी 2006 तक)**	**वृद्धिशील निवेश**	**कुल निवेश (1 अप्रैल 2021 तक)**
केंद्र सरकार के सेज	₹2,279 करोड़	₹19,225.44 करोड़	₹ 21,504.64 करोड़
2006 से पहले स्थापित राज्य/निजी सेज	₹1,756 करोड़	₹13,438.13 करोड़	₹ 15,194.44 करोड़
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज	-	₹5,80,799.92 करोड़	₹5,80,799.92 करोड़
कुल	**₹4,035 करोड़**	**₹6,13,463.49 करोड़**	**₹6,17,499.00 करोड़**
रोजगार	**रोजगार (फरवरी 2006 तक)**	**वृद्धिशील रोजगार**	**कुल रोजगार (1 अप्रैल 2021 तक)**
केंद्र सरकार के सेज	1,22,236 व्यक्ति	65,643 व्यक्ति	1,87,879 व्यक्ति
2006 से पहले स्थापित राज्य/निजी सेज	12,468 व्यक्ति	94,085 व्यक्ति	1,06,553 व्यक्ति
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज	0	20,63,704 व्यक्ति	20,63,704 व्यक्ति
कुल	**1,34,704 व्यक्ति**	**22,23,432 व्यक्ति**	**23,58,136 व्यक्ति**
निर्यात प्रदर्शन			
वर्ष	**निर्यात (₹ करोड़ में)**		**वृद्धि का *प्रतिशत***
वि.व. 17	5,23,637		12
वि.व. 18	5,81,033		11
वि.व. 19	7,01,179		21
वि.व. 20	7,96,669		14
वि.व. 21	7,59,524		(-)4.66

कुल निवेश	**2016-17 ₹करोड़ में**	**2017-18 ₹करोड़ में**	**2018-19 ₹करोड़ में**	**2019-20 ₹करोड़ में**	**2020-21 ₹करोड़ में**
केंद्र सरकार के सेज	15,974	19,381	18,677	20,557	21,505
2006 से पहले स्थापित राज्य/निजी सेज	11,478	12,952	13,274	13,534	15,194
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज	4,05,690	4,59,979	4,75,693	5,37,644	5,80,800
कुल	**4,33,142**	**4,92,312**	**5,07,644**	**5,71,735**	**6,17,499**
रोजगार (वैयक्तिक रूप से)	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
केंद्र सरकार के सेज	2,34,861	2,39,870	2,28,037	1,97,777	1,87,879
2006 से पहले स्थापित राज्य/निजी सेज	95,970	1,00,669	1,03,052	1,09,124	1,06,553
अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेज	14,48,020	16,56,071	17,29,966	19,31,404	20,63,704
कुल	**17,78,851**	**19,96,610**	**20,61,055**	**22,38,305**	**23,58,136**

***स्रोत:* www.sezindia.nic.in**

अनुलग्नक 2

डीआरआई द्वारा पता लगाए गए शुल्क अपवंचन के मामले (योजना-वार)

(पैराग्राफ 1.13.1 देखें)

क्र. सं.	योजना	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19	वि.व. 20	वि.व. 21
		मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या
		शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
		(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
1	अंतिम उपयोग और अन्य अधिसूचना शर्तों का दुरुपयोग।	29	48	60	17	39
		15.91	117.5	539.47	117.90	691.29
2	ईपीसीजी का दुरुपयोग	53	37	32	77	45
		311.96	237.47	72.90	389.42	161.60
3	अधोमूल्यन	154	346	80	45	34
		184.89	1825.42	301.01	106.85	201.33
4	गलत घोषणा	167	163	211	179	425
		309.09	184.72	791.89	349.45	1419.30
5	धनवापसी योजना का दुरुपयोग	58	146	21	83	53
		99.70	40.22	6.87	257.71	66.64
6	ईओयू/ईपीजेड/सेज का दुरुपयोग	6	3	3	2	5
		37.34	1.05	4.95	1.57	7.05
7	डीईईसी/अग्रिम लाइसेंस का दुरुपयोग	55	79	178	70	34
		265.21	293.54	3433.40	335.73	220.28
8	अन्य	145	118	167	288	170
		198.08	364.74	1077.70	624.80	720.69
	कुल	**667**	**940**	**752**	**761**	**805**
		1422.18	**3064.65**	**6228.19**	**2183.43**	**3488.19**

स्रोत: तस्करी रोधी निष्पादन प्रतिवेदन (एएसपीआर)

अनुलग्नक 3
आयातों का गलत वर्गीकरण

(पैराग्राफ 3.6 देखें)

क्र. सं.	डीएपी संख्या	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹लाख में)	स्वीकृत राशि (₹लाख में)	वसूली गई राशि (₹लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1.	1	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	12.79	12.79	0	एसीसी और एअरपोर्ट, बेंगलुरु	चॉकलेट फ्लेवर मिश्रण
2.	2	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	18.98	18.98	0	एसीसी और एअरपोर्ट, बेंगलुरु	बेरीज् के साथ एल-ग्लूटामाइन
3.	3	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	24.85	24.85	0	आईसीडी, सनथनगर	फीकसे एन्जाइम
4.	5	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	15.71	15.71	15.71	एसीसी, शमशाबाद	ट्रांसमिशन उपकरण-वीडियो कॉन्फ्रेंस कैमरा
5.	6	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.60	10.60	12.58	हैदराबाद सीमा शुल्क आयुक्तालय	थर्मल बैटरी घटक-पी 130
6.	11	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	19.62	19.62	0	एसीसी, मीनमबक्कम, चेन्नई	सीसीटीवी कैमरा
7.	12	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	15.74	15.74	20.58	न्यू सीमा शुल्क हाउस, दिल्ली	स्पार्क प्लग के निर्माण के लिए हेडर पिन
8.	16	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	25.14	25.14	7.53	आईसीडी, तुगलकाबाद	मास्क बनाने की मशीन
9.	18	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.84	10.84	0	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	मोशन एक्टिवेटेड नाइट लाइट
10.	19	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	15.24	15.24	16.65	एनसीएच, आयात, दिल्ली	आईपीपीबीएक्स 32 एफएक्स 64-एसआईपी

क्र. सं.	डीएपी संख्या	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹लाख में)	स्वीकृत राशि (₹लाख में)	वसूली गई राशि (₹लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
11.	27	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	18.13	0	0	आयुक्तालय सीमा शुल्क (पत्तन) कोलकाता	मोनोकैल्सियम फॉस्फेट, मेथियोनीन, बीटाइन एचसीएल 95%
12.	34	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.27	11.27	11.27	सीमा शुल्क हाउस, कोच्चि	कंप्रेसर पुर्जे-सील डायाफ्राम
13.	37	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	24.52	24.52	3.07	जेएनसीएच, मुंबई	क्लटीवेटिड ब्लूबेरी की सामग्री
14.	45	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	17.23	17.23	0.15	आईसीडी, तुगलकाबाद	फोटोग्राफिक स्टूडियो लाइट मिनी
15.	47	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	12.48	12.48	12.5	आईसीडी, गढ़ी हरसरू	मोटरसाइकिलों के पुर्जे
16.	50	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	15.89	15.89	0	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	सर्च लाइट
17.	51	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	12.92	12.92	0	आईसीडी, इरुंगट्टुकोट्टई	हेडलैंप, टेल लैंप, स्टॉप लैंप और ब्लिंकर
18.	52	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.39	11.39	9.66	आईसीडी, इरुंगट्टुकोट्टई	बाउन्ड्री माइक्रोफोन
19.	53	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	28.87	28.87	16.50	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	मशीन निर्मित पॉलिएस्टर कालीन
20.	56	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	16.73	16.73	5.53	एसीसी-आयात, नई दिल्ली	फिंगरटिप ऑक्सीमीटर/ पल्स ऑक्सीमीटर

क्र. सं.	डीएपी संख्या	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹लाख में)	स्वीकृत राशि (₹लाख में)	वसूली गई राशि (₹लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
21.	61	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	22.97	0	0	एनसीएच, मुंबई	नकली आभूषण-केचर
22.	62	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	19.58	19.58	4.38	चेन्नई (समुद्र) सीमा शुल्क	फुलाए जाने वाले खिलौने
23.	67	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	23.33	23.33	27.23	आईसीडी, रेवाड़ी	आर्गन ऑयल वैक्स, ग्रीन एप्पल वैक्स, गोल्ड वैक्स, पर्ल वैक्स
24.	68	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	16.78	16.78	0	आईसीडी, पटपड़गंज, दिल्ली	मोलिब्डेनम दर्पण/कवच
25.	72	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	12.49	12.49	16.82	एनसीएच, मुंबई	ट्रांसफार्मर 1500 केवीए
26.	94	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.43	11.43	0	जेएनसीएच, मुंबई	फिल्टर पेपर 75 मिमी /82 मिमी रोल
27.	99	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	18.96	18.96	0	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	कोडक एलईडी लाइट/आरजीबी लाइट पैनल
28.	100	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.05	0	0	जेएनसीएच, मुंबई	सेंसर मॉड्यूल - मोटर वाहन के पुर्जे
29.	104	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	22.14	15.43	0	एसीसी (आयात) नई दिल्ली	एयर कंडीशनर की पीसीबी और डिस्प्ले पीसीबी
30.	111	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	16.84	16.84	0	चेन्नई (समुद्र) सीमा शुल्क	सेंसर मॉड्यूल - मोटर वाहन के पुर्जे
		कुल	**513.51**	**455.65**	**180.16**		

अनुलग्नक 4

आईजीएसटी अधिसूचना का गलत अनुप्रयोग

(पैराग्राफ 3.7 देखें)

क्र. सं.	डीएपी संख्या	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹लाख में)	स्वीकृत राशि (₹लाख में)	वसूली गई राशि (₹लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	4	आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	18.79	18.79	21.77	आईसीडी, सनथनगर	कागज के बैग
2	10	आईजीएसटी दर को गलत रूप से लागू करने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.41	10.41	12.74	एनसीएच (आयात), दिल्ली	निकल कैडमियम बैटरी
3	14	आईजीएसटी दर को गलत रूप से लागू करना	20.86	20.86	22.62	सीमा शुल्क हाउस, कांडला	भारोत्तोलन उपकरण
4	20	आईजीएसटी दर को गलत रूप से लागू करना	11.28	11.28	11.56	सीमा शुल्क (पत्तन), कोलकाता	डिप्पड नायलॉन/पॉलिएस्टर/रेयान टायर कॉर्ड
5	23	गलत वर्गीकरण के कारण आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	22.82	22.82	29.82	एसीसी, मुंबई III	प्रोबायोटेक एलजीजी स्टिक-गैर-मादक पेय बनाने के यौगिक
6	24	आईजीएसटी दर को गलत रूप से लागू करने के कारण शुल्क की कम उद्ग्रहण	14.00	14.00	17.48	आईसीडी, व्हाइटफील्ड बेंगलुरु	सिस्को आईई स्विच
7	29	आईजीएसटी दर को गलत रूप से लागू करना	15.36	15.36	23.41	एनसीएच, मुंबई	निर्दिष्ट के अलावा ट्रैक्टर के पुर्जे
8	35	आईजीएसटी की गलत छूट	24.56	24.56	0	सीमा शुल्क हाउस, कोच्चि	फिश पेलेट फ्रोजन- ब्रांडेड उत्पाद
9	48	आईजीएसटी दर को गलत रूप से लागू करना	15.12	15.12	0.82	एसीसी, मीनांबक्कम, चेन्नई	तेल पंप मोटर, फ्लेक्सी पंप, ईंधन इंजेक्शन पंप, पानी पंप
10	58	आईजीएसटी दर को गलत रूप से लागू करना	26.26	26.26	19.99	जेएनसीएच, मुंबई	लचीले इंटरमिडिएट बल्क कंटेनर

क्र. सं.	डीएपी संख्या	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹लाख में)	स्वीकृत राशि (₹लाख में)	वसूली गई राशि (₹लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
11	63	आईजीएसटी दर को गलत रूप से लागू करना	18.27	0	0	आईसीडी, गढ़ी हरसरू, हरियाणा	टायर असेंबली
12	65	आईजीएसटी दर को गलत रूप से लागू करना	17.08	17.08	1.24	एसीसी (आयात), नई दिल्ली	मशीन के पुर्ज़े
13	69	आईजीएसटी दर को गलत रूप से लागू करना	19.02	19.02	14.29	आईसीडी-तुगलकाबाद, दिल्ली	नायलॉन/ऊन पॉलिएस्टर/विस्कोस कालीन
14	71	आईजीएसटी दर को गलत रूप से लागू करना	14.95	14.95	18.48	एसीसी (आयात), नई दिल्ली	निकल कैडमियम बैटरी
15	73	आईजीएसटी दर को गलत रूप से लागू करना	25.91	0	0	जेएनसीएच, मुंबई	पॉलिएस्टर से बनी रजाई
16	76	आईजीएसटी दर को गलत रूप से लागू करना	13.28	13.28	17.24	जेएनसीएच, मुंबई	व्हाइट चॉकलेट कैलेट- सुगर कन्फेक्शनरी
17	80	आईजीएसटी दर को गलत रूप से लागू करना	26.14	26.14	26.14	एनसीएच, मुंबई	कप सज्जित स्फटिक- कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों की नकल
18	89	आईजीएसटी दर को गलत रूप से लागू करना	22.82	6.06	0	सीमा शुल्क हाउस, एमपी और सेज, मुंद्रा, गुजरात	झाड़ू
19	96	आईजीएसटी दर को गलत रूप से लागू करना	11.37	11.37	14.95	आईसीडी, पटपड़गंज	एयर बैग कुशन
		कुल	**348.3**	**287.36**	**252.56**		

अनुलग्नक 5

छूट अधिसूचना को गलत रूप से लागू करना

(पैराग्राफ 3.7 देखें)

क्र. सं.	डीएपी संख्या	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	8	अधिसूचना के गलत रूप से लागू करने के कारण कम उद्ग्रहण	25.56	25.47	0	आईसीडी, तुगलकाबाद	ग्रिड लाह लेपित मेडिकल पेपर- अमुद्रित
2	26	अधिसूचना के गलत रूप से लागू करने के कारण बीसीडी का कम उद्ग्रहण	14.25	14.25	15.27	सीमा शुल्क (पत्तन) कोलकाता	रेलवे वैगनों के हिस्से
3	43	अधिसूचना के गलत रूप से लागू करने के कारण बीसीडी का कम उद्ग्रहण	29.38	29.38	28.90	आईसीडी, तुगलकाबाद	पॉली विनाइल क्लोराइड के प्राथमिक रूप
4	55	अधिसूचना के गलत रूप से लागू करने के कारण बीसीडी का कम उद्ग्रहण	15.85	15.85	15.85	सीमा शुल्क (पत्तन) कोलकाता	नेत्र संबंधी उपयोग के लिए फ्लिंट बटन
5	59	अधिसूचना के गलत रूप से लागू करने के कारण कम उद्ग्रहण	33.33	33.06	0	आईसीडी, तुगलकाबाद	एसेप्टिक पैकेजिंग पेपर
6	74	अधिसूचना के गलत रूप से लागू करने के कारण कम उद्ग्रहण	11.39	11.39	11.39	आईसीडी, तुगलकाबाद	मोटरसाइकिल इंजन के पुर्जे
7	75	अधिसूचना के गलत रूप से लागू करने के कारण कम उद्ग्रहण	11.00	11.00	0	आईसीडी, तुगलकाबाद	ग्रिड लाह लेपित मेडिकल पेपर- अमुद्रित
8	84	छूट अधिसूचना के गलत रूप से लागू करने के कारण कम उद्ग्रहण	15.97	15.97	18.12	सीमा शुल्क हाउस, मुंद्रा	स्टीयरिंग गियर्स- कार के पुर्जे
9	87	अधिसूचना के गलत रूप से लागू करने के कारण कम उद्ग्रहण	15.94	15.94	0	आईसीडी, तुगलकाबाद	ग्रिड लाह लेपित मेडिकल पेपर- अमुद्रित
		कुल	**172.67**	**172.31**	**89.53**		

अनुलग्नक 6
अन्य अनियमितताएं

(पैराग्राफ 3.8 देखें)

क्र. सं.	डीएपी संख्या	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	15	स्वास्थ्य उपकर का उद्ग्रहण न करना	16.60	16.60	13.36	आईसीडी, तुगलकाबाद	बेड सोर प्रिवेंशन किट, एयर बेड मैट्रेस, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थेरेपी सिम्युलेटर
2	21	सेफगार्ड शुल्क का उद्ग्रहण न करना	10.70	10.70	2.92	सीमा शुल्क (पत्तन) कोलकाता	प्लास्टिक फ्रेम के साथ सौर पैनल, सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल
3	64	स्वास्थ्य उपकर का उद्ग्रहण न करना	11.34	11.34	9.13	एनसीएच (आयात) नई दिल्ली	मैकेनो थेरेपी उपकरण
4	92	प्रतिअदायगी शुल्क का अधिक अनुदान	11.59	11.59	0	आईसीडी, तुगलकाबाद	पॉलिएस्टर से बुना हुआ महिलाओं का फैंसी दुपट्टा
5	93	प्रतिअदायगी शुल्क का अधिक अनुदान	17.95	17.95	0	आईसीडी, तुगलकाबाद	ग्रे फैब्रिक/100% पॉलिएस्टर ग्रे फैब्रिक
6	101	प्रतिअदायगी शुल्क का अधिक भुगतान	34.29	34.29	0	चेन्नई (समुद्र) सीमा शुल्क	1500 सीसी सिलेंडर क्षमता की मोटर कारें
7	105	प्रतिपाटन शुल्क का गैर-उद्ग्रहण	23.36	32.83	23.36	सीमा शुल्क हाउस, मुंद्रा, गुजरात	ब्लैंक डीवीडी-आर
		कुल	**125.83**	**135.30**	**48.77**		

अनुलग्नक 7

एफटीपी की निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

(पैराग्राफ 4.2 देखें)

क्र. सं.	डीएपी संख्या	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	33	प्राप्त एमईआईएस लाभ को पुनः आयात के समय वसूला नहीं गया	12.41	12.41	19.29	सीमा शुल्क हाउस, कोच्चि	ओलियोरेसिन पेपरिका, फ्रोजन स्क्विड का पुन: आयात
2	78	1 अप्रैल 2015 से पहले की सेवाओं पर दिए गए एसईआईएस प्रोत्साहन	20.24	20.24	28.44	डीजीएफटी, मुंबई	प्रबंधन परामर्श सेवाएं
3	82	सेवा कर और जीएसटी प्राप्तियों पर एसईआईएस स्क्रिप का गलत अनुदान	25.08	25.08	35.70	डीजीएफटी, मुंबई	कार्गो हैंडलिंग सेवाएं
4	88	लेट-कट के गैर अधिरोपण के कारण एसईआईएस स्क्रिपों का अधिक अनुदान	11.28	11.28	16.28	डीजीएफटी, मुंबई	वेयरहाउसिंग और गोदाम सेवाएं
5	107	एसईआईएस लाभों का गलत अनुदान	12.59	12.59	20.64	डीजीएफटी, मुंबई	विज्ञापन सेवाएं
6	108	एसईआईएस लाभों का गलत अनुदान	19.90	19.90	33.20	डीजीएफटी, मुंबई	कार्गो हैंडलिंग सेवाएं
7	7	गलत प्रोत्साहन दर लागू करने के कारण एसईआईएस स्क्रिपों का अधिक अनुदान	26.71	26.71	31.71	जोनल डीजीएफटी, चेन्नई	प्रबंधन परामर्श सेवाएं, परीक्षण विकास सेवाएं
8	70	अपात्र सेवाओं के लिए एसईआईएस स्क्रिप का गलत अनुदान	12.41	12.41	12.30	जोनल डीजीएफटी, चेन्नई	व्यवसायिक सेवाएं (इंजीनियरिंग सेवाएं)

क्र. सं.	डीएपी संख्या	विषय	आपत्तिकृत राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
9	112	अपात्र सेवाओं के लिए एसईआईएस स्क्रिप का अनुदान	28.75	28.75	45.16	एडीजीएफटी, बेंगलुरु	अभियांत्रिकी सेवाएं- ताप विद्युत संयंत्र
10	102	अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत निर्यात दायित्व की पूर्ति न करना	11.70	11.70	11.70	जोनल डीजीएफटी, कोलकाता	संश्लिष्ट रबर, प्राकृतिक रबर, कार्बन ब्लैक, रबर रसायन
		कुल	**181.07**	**181.07**	**254.42**		

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in